खण्ड-275, अंक-1
गुरूवार, 5 श्रावण, शक संवत् 1889
(27 जुलाई, 1967 ई0)

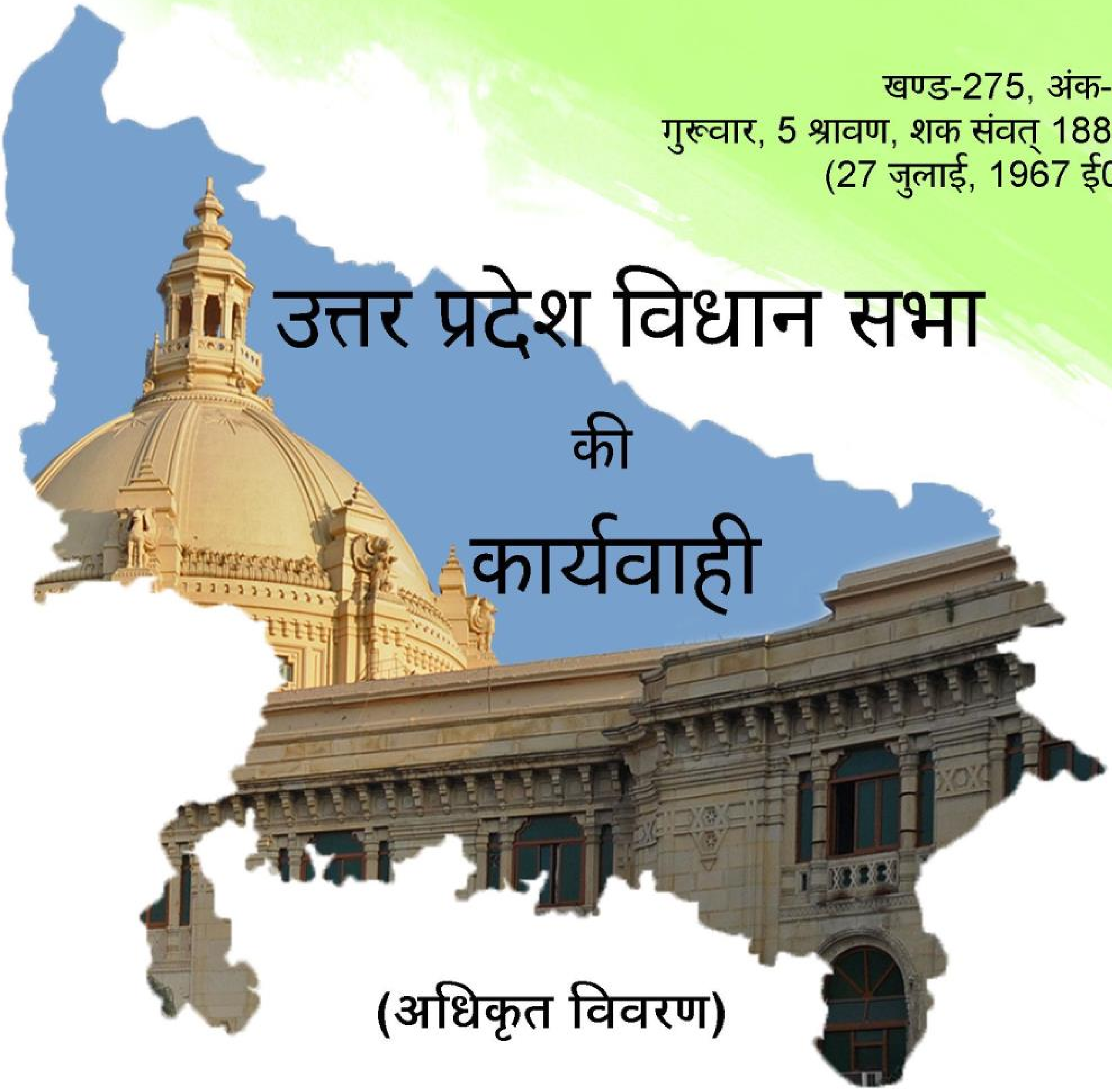

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 275 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

बृहस्पतिवार, २७ जुलाई, १९६७

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	६–२८
नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित पारगमन अनुमति-पत्र नियमावली (सदन के पटल पर रखी गयी)	२८
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तीसरा संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	२९
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, १९६७ (सदन के पटल पर रखा गया)	२९
उर्दू के संबंध में घोषणा में कथित गलतबयानी के संबंध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी गयी)	२९–३५
कतिपय विषय	३६
श्री जितेन्द्रनाथ मिश्र के पुनः संयुक्त विधायक दल में सम्मिलित होने के संबंध में सूचना	३६–३७
३ जुलाई, १९६७ के तारांकित प्रश्न ९ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	३७
आर्य कन्या इंटर कालेज, जिला बरेली के अनिश्चित काल के लिए बन्द करा दिये जाने के संबंध में मंत्री का वक्तव्य	३७–४०
अनशनकारी महिला कर्मचारियों द्वारा आत्म-दाह की धमकी देने के संबंध में वक्तव्य	४०–४५
मंत्रि-मंडल में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद (जारी)	४५–७७
नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें (अस्वीकृत) ..	७७
मंत्रि-मंडल में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद (प्रस्ताव अस्वीकृत) ..	७७–१००
नत्थियां	१०१–१०९

सोमवार, १८ दिसम्बर, १९६७

उपस्थित सदस्य	१११–११५
प्रश्नोत्तर	११६–१६०
डाक्टर राममनोहर लोहिया के निधन पर शोकोद्गार	१६०–१६५
सर्वश्री बद्रीप्रसाद तथा उदयशंकर दुबे के निधन पर शोकोद्गार ..	१६५–१६६
व्यवस्था का प्रश्न	१६७
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, १९६६ (सदन के पटल पर रखे गये)	१६७

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय) संशोधन नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१६७
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अध्यादेश, १९६७ (सदन के पटल पर रखा गया)	१६७–१६८
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच अध्यादेश, १९६७ (सदन के पटल पर रखा गया)	१६८
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ (सदन के पटल पर रखा गया)	१६८
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६७ (सदन के पटल पर रखा गया)	१६८
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश १९६७ (सदन के पटल पर रखा गया)	१६९
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१६९
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (नालियां तथा जल त्सारण) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१६९
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१६९
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर (निर्धारण संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१६९
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यवाहियों का संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१७०
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	१७०
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आसुधार शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	१७०
उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के १९६४–६५ का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	१७०
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१७०
राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के सम्बन्ध में आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	१७१
भारत के निर्वाचन आयोग का आदेश संख्या १५–क (सदन के पटल पर रखा गया)	१७१
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयी)	१७१–१७२
उत्तर प्रदेश शासन के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६७ वित्त लेखे १९६५–६६ तथा विनियोग लेखे १९६५–६६ (सदन के पटल पर रखे गये) ..	१७२

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७ में किये गये शाब्दिक संशोधन ..	१७२
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, १९६७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१७२
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१७३
उद्योग मन्त्री श्री प्रभु नारायण सिंह तथा वित्त मन्त्री श्री रामस्वरूप वर्मा की दिल्ली में गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी गयी)	१७३–१७५
श्री चन्द्रबली द्वारा मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठान की सूचना (प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी गयी) ..	१७५–१७७
श्रम मन्त्री श्री प्रभु नारायण सिंह एवं वित्त मन्त्री श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा दिल्ली में दफा १४४ का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में नियम १०४ के अन्तर्गत प्रस्ताव की सूचना (अनुमति दी गयी)	१७७–१७९
"जन कांग्रेस विधायक दल" के "भारतीय क्रान्ति दल" में विलीनीकरण के सम्बन्ध में सूचना	१७९–१८०
प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड में विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१८०
उत्तर प्रदेश सिविल लाज संशोधन विधेयक, १९६७ (पुरःस्थापित किया गया)	१८०
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (चालू रखने का) विधेयक, १९६७ (पुरः स्थापित किया गया)	१८०–१८१
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९६७ (पुरःस्थापित किया गया)	१८१
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच विधेयक १९६७ (पुरः स्थापित किया गया)	१८१–१९०
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६७ (सदन द्वारा अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१९०–२०७
नत्थियां	२०८–२६१

मंगलवार, १९ दिसम्बर, १९६७

उपस्थित सदस्य	२६३–२६७
प्रश्नोत्तर	२६८–२९७
सदन की कार्यवाही मर्यादित ढंग से चलाने के लिये श्री अध्यक्ष की नेता विरोधी दल से अपील	२९८–३१८
अनुपूरक आय-व्ययक को समय से सदन में प्रस्तुत न करने तथा विधान परिषद् में पहले प्रस्तुत करने के सबध में वैधानिक आपत्तियां	३१८–३२७
प्रश्नों के गलत उत्तर दिये जाने के संबंध में खाद्य उपमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित) ..	३२७

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुपूरक आय-व्ययक समय पर प्रस्तुत न करने के संबंध में वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (स्थगित) ..	३२७–३२८
श्री भैरव दत्त धूलिया द्वारा संविद छोड़ने की सूचना	३२९–३३०
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६७ (पुरः स्थापित किया गया)	३३०–३३१
किंग जार्ज मेडिकल कालेज तथा गांधी मेमोरियल एन्ड ऐसोशियेटेड हास्पिटल विधेयक, १९६७ (पुरःस्थापित किया गया) ..	३३१–३३४
श्रम मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह तथा वित्त मंत्री, श्री राम स्वरूप वर्मा द्वारा दिल्ली में धारा १४४ का उल्लंघन करने के संबंध में नियम १०४ के अन्तर्गत प्रस्ताव (जारी)	३३५–३६०
प्रदेश में भाषा विधेयक संबंधी आन्दोलन से हुई क्षति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुज्ञा दी गई)	३६०–३६३
नानक सागर बांध टूटने से हुई क्षति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें (नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकृत) ..	३६३–३६५
अनुपूरक आय-व्ययक को समय से प्रस्तुत न करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा गोपनीयता भंग से संबंधित वैधानिक आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	३६६–३६८
कतिपय विषय	३६८–३६९
वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के अतिरिक्त अनुदान (प्रस्तुत किये गये) ..	३६९
वित्तीय वर्ष १९६७–६८ के प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये) ..	३६९–३७०
नानक सागर बांध टूटने से हुई क्षति के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य (स्थगित)	३७०
नस्थियां	३७१–३८१

बुधवार, २० दिसम्बर, १९६७

उपस्थित सदस्य	३८३–३८७
प्रश्नोत्तर	३८८–४१९
बजट में अंग्रेजी के अंकों के प्रयोग पर आपत्ति	४१९–४२१
विधान परिषद् द्वारा दो मंत्रियों के आचार की निन्दा करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	४२१–४२२
श्री कृष्णानन्द राय द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न (अनुमति नहीं दी गई)	४२२
पूरक प्रश्नों के लिये अधिक समय की प्रार्थना	४२२–४२४
उत्तर प्रदेश चतुर्थ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	४२४–४२५
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	४२६–४२७
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६७ (पुरः स्थापित किया गया)	४२८

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्रम मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह तथा वित्त मंत्री, श्री राम स्वरूप वर्मा द्वारा दिल्ली में धारा १४४ का उल्लंघन करने के संबंध में नियम १०४ के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत)	४२८–४६५
नानक सागर बांध के टूटने से हुई क्षति के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य .	४६५–४७४
प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५३ के अन्तर्गत सूचनायें (केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	४७४–४७५
अनट्रेन्ड अध्यापकों की छटनी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	४७५
नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें	४७५
गंगा नदी पर पुल निर्माण संबंधी आन्दोलन के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना (केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	४७५
टांडा में चेचक से मौतों के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	४७६
प्रदेश में भाषा विधेयक संबंधी आन्दोलन से हुई क्षति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव (चर्चा आप से आप समाप्त हो गई)	४७६–५००
नत्थियां	५०१–५१९

बृहस्पतिवार, २१ दिसम्बर, १९६७

उपस्थित सदस्य	५२१–५२५
प्रश्नोत्तर	५२६–५७४
प्रश्नों के उत्तर विलम्ब से मिलने तथा अन्य साहित्य न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत	५७४–५७५
सदन का भावी कार्य-क्रम	५७५
बड़े दिन पर ईसाइयों के लिये अतिरिक्त चीनी का प्रबन्ध करने के लिये प्रार्थना	५७५
विविध विषय	५७६
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, १९६७ (सदन के पटल पर रखे गये)	५७६
उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५७६–५७७
सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (निर्णय स्थगित)	५७८
वन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी गई)	५७८–५७९
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी गयी)	५७९–५८८
आगामी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना	५८८–५८९

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड हेतु ४ सदस्यों के निर्वाचम सम्बन्धी प्रस्ताव (स्वीकृत)	५८९
एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति हेतु दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५८९
उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५९०
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् हेतु चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	५९०
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६७ (पुरःस्थापित किया गया)	५९०–५९१
१९६३–६४ की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी (स्वीकृत)	५९१
अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत)	५९१
अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	५९१–५९२
अनुदान संख्या १९—जन-स्वास्थ्य (स्वीकृत)	५९२
अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्वीकृत)	५९२
अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार (स्वीकृत)	५९२
अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते और निवृत्ति वेतन (स्वीकृत) ..	५९३
अनुदान संख्या ४३—लेखन-सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत)	५९३
अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) ..	५९३
अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) ..	५९३–५९४
अनुदान संख्या ५४—पेंशनों की संराशि (स्वीकृत)	५९४
अनुदान संख्या ५५—राज्य व्यापार की योजनायें (स्वीकृत) ..	५९४
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३–६४ की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९६७ (पारित)	५९४–५९७
१९६७–६८ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद ..	५९७–६२२
१९६७–६८ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर (स्वीकृत)	६२२
अनुदान संख्या ५—अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत)	६२२
अनुदान संख्या ७—निबन्धन (स्वीकृत)	६२३
अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)	६२३
अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत) ..	६२३
अनुदान संख्या १५—पुलिस (स्वीकृत)	६२३
अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन (स्वीकृत) ..	६२४
अनुदान संख्या १७—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य (स्वीकृत) ..	६२४
अनुदान संख्या १८—शिक्षा (स्वीकृत)	६२४
अनुदान संख्या १९—चिकित्सा (स्वीकृत)	६२४

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या २०—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	६२५
अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास (स्वीकृत)	६२५
अनुदान संख्या २३—पशुपालन और मत्स्य पालन (स्वीकृत) ..	६२५
अनुदान संख्या २४—सहकारिता (स्वीकृत)	६२५
अनुदान संख्या २५—उद्योग (स्वीकृत)	६२६
अनुदान संख्या २६—नियोजन और समन्वय (स्वीकृत)	६२६
अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन (स्वीकृत)	६२६
अनुदान संख्या २९—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां (स्वीकृत) ..	६२६–६२७
अनुदान संख्या ३०—समाज कल्याण (स्वीकृत)	६२७
अनुदान संख्या ३१—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्वीकृत)	६२७
अनुदान संख्या ३२—सिंचाई अधिष्ठान (स्वीकृत)	६२७
अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं (स्वीकृत)	६२८
अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान (स्वीकृत) ..	६२८
अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (स्वीकृत)	६२८
अनुदान संख्या ४२—वन (स्वीकृत)	६२८
अनुदान संख्या ४३—प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	६२९
अनुदान संख्या ४६—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	६२९
अनुदान संख्या ४८—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	६२९
अनुदान संख्या ५०—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	६२९–६३०
अनुदान संख्या ५१—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	६३०
अनुदान संख्या ५३—राज्य व्यापार की योजनायें (स्वीकृत) ..	६३०
अनुदान संख्या ५४—व्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	६३०
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७–६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७ (विचारोपरान्त पारित)	६३०–६३५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	६३५–६३६
नियम ५१ के अन्तर्गत विभिन्न सूचनायें (जारी)	६३६
वैस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी लिमिटेड, बरेली में तालाबन्दी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	६३६–६३७
पंचायत मंत्रियों की नौकरी की शर्तों के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	६३७
नियम ५१ के अन्तर्गत विभिन्न सूचनायें	६३७
पूर्वी जमुना नहर में पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना ..	६३८

विषय	पृष्ठ-संख्या
कतिपय विषय	६३८–६३९
नस्थियां	६४०–६६९

शुक्रवार, २२ दिसम्बर, १९६७

उपस्थित सदस्य	६७१–६७५
प्रश्नोत्तर	६७६–७२२
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	७२२–७२४
नेशनल हेराल्ड में छपे कुछ शब्दों पर आपत्ति	७२४–७२६
बड़े दिन पर इसाइयों को शक्कर न देने पर आपत्ति	७२७
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति	७२७–७२८
कतिपय विषय	७२८
नेता विरोधी दल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (अनुमति नहीं दी गई)	७२८–७२९
अनट्रेन्ड अध्यापकों की छटनी के सम्बन्ध में वक्तव्य	७२९–७३१
गंगा नदी पर पुल निर्माण सम्बन्धी आन्दोलन के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	७३२–७३३
वेस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी लिमिटेड, बरेली में तालाबन्दी के सम्बन्ध में वक्तव्य	७३४–७३६
पंचायत मंत्रियों की नौकरी की शर्तों के सम्बन्ध में वक्तव्य	७३७–७३९
पूर्वी जमुना नहर से पर्याप्त पानी न मिलने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	७३९–७४३
प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने के सम्बन्ध में वक्तव्य	७४३–७४७
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार निरसन विधेयक, १९६७ (पारित)	७४७–७६६
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (निरसन) विधेयक, १९६७ (जारी)	७६७–७७३
गल्ला वसूली के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत)	७७३
न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर की बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (वक्तव्य के लिए स्वीकृत) ..	७७३–७७४
लगान वसूली में ज्यादती के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (उचित कार्यार्थ मंत्री जी के पास भेजा गया)	७७४
निरोधात्मक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों की बन्दी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अस्वीकृत)	७७४

विषय	पृष्ठ-संख्या
मिर्जापुर में अनावृष्टि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (वक्तव्य के लिए स्वीकृत)	७७४
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	७७४-७७५
कतिपय विषय	७७५-७७७
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६३-६४ का बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९६७ (विधान परिषद् से वापस प्राप्त होने की सूचना) ..	७७७
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६७-६८ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६७ (विधान परिषद् से वापस प्राप्त होने की सूचना)	७७८
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर निरसन, (विधेयक)—१९६७ (पारित)	७७८-७८३
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६७ (पारित)	७८३-७८४
नत्थियां	७८५-८०१

विधान भवन

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

शासन

राज्यपाल

डाक्टर बी० गोपाल रेड्डी

मंत्रि परिषद्

१—श्री चरण सिंह, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, गृह तथा नियोजन।
२—श्री राम प्रकाश, उप मुख्य मंत्री, शिक्षा तथा समाज कल्याण।
३—श्री रामचन्द्र विकल, वन मंत्री, वन एवं पशुपालन।
४—श्री जयराम वर्मा, कृषि मंत्री, कृषि तथा सामुदायिक विकास।
५—श्री झारखंडे राय, खाद्य मंत्री, खाद्य तथा रसद।
६—श्री प्रभुनारायण सिंह, उद्योग मंत्री, उद्योग तथा श्रम।
७—श्री गंगाभक्त सिंह, सहकारिता मंत्री, सहकारिता।
८—श्री उदितनारायण शर्मा, राजस्व मंत्री, राजस्व, सहायता तथा पुनर्वासन।
९—श्री टम्बरेश्वर प्रसाद, सिंचाई मंत्री, सिंचाई तथा विद्युत।
१०—श्री रामस्वरूप वर्मा, वित्त मंत्री, वित्त।
११—श्री प्रताप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा।
१२—श्री मंगल देव विशारद, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, सार्वजनिक निर्माण।
१३—श्री अख्तर अली खां, आबकारी मंत्री, आबकारी तथा मुस्लिम वक्फ।
१४—श्री श्याम लाल यादव, न्याय मंत्री, न्याय तथा सूचना।
१५—श्री वरमेश्वर पांडेय, स्वायत्त शासन मंत्री, स्वायत्त शासन।

उप मंत्री

१—श्री रुस्तम सैटिन, गृह उप मंत्री।
२—श्री ओमप्रकाश सिंह, शिक्षा उप मंत्री।
३—श्री अनन्तराम जायसवाल, वन उप-मंत्री।
४—श्री रूपनाथ यादव, कृषि उप मंत्री।
५—श्री महीलाल, कृषि उप मंत्री।
६—श्री शमीम आलम, खाद्य उप मंत्री।
७—श्री हिम्मत सिंह, उद्योग उप मंत्री।
८—श्री जोरावर वर्मा, सहकारिता उप मंत्री।
९—श्री राजेन्द्र सिंह यादव, राजस्व उप मंत्री।
१०—श्री राम प्रसाद देशमुख, सिंचाई उप मंत्री।
११—श्री कृष्ण बहादुर मिश्र, स्वास्थ्य उप मंत्री।
१२—श्री मुहम्मद असरार अहमद, स्वायत्त शासन उप मंत्री।

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा निर्वाचन क्षेत्र

131849

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
१	अंगनेलाल, श्री	बेनीगंज
२	अख्तर अली खां, श्री	रामपुर
३	अजीत प्रताप, श्री	प्रतापगढ़
४	अठई राम, श्री	हंडिया
५	अतीकुर्रहमान, श्री	नगीना
६	अनन्त राम, श्री	नवाबगंज
७	अब्दुल खालिक, श्री	सहारनपुर
८	अब्दुल मुईज खां, श्री	रुदौली
९	अयोध्या प्रसाद, श्री	ललितपुर
१०	अयोध्या प्रसाद, श्री	दुद्धी
११	अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री	भाटपार रानी
१२	अर्जुन, श्री	मार्टिनगंज
१३	अवधेश प्रताप मल, श्री	सलेमपुर
१४	अवंद्यनाथ, श्री	मानीराम
१५	अशरफ अली खां, श्री	सादाबाद
१६	अशर्फीलाल, श्री	सहसवान
१७	अश्वनी कुमार, श्री	कौड़ी राम
१८	अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री	मिर्जापुर
१९	अहमद उल्ला खां, श्री	ठाकुर द्वारा
२०	आत्मा, श्री	सईदपुर
२१	आनन्द सिंह, कुंवर	मनकापुर
२२	इन्द्रपाल, श्री	मानिकपुर
२३	इन्द्रपाल सिंह, श्री	अलीगढ़
२४	इन्द्रमणी, श्री	देवप्रयाग
२५	इन्द्र मोहिनी, श्रीमती	चन्दौसी
२६	इन्द्रलाल, श्री	हलद्वानी
२७	ईश्वर शरण, श्री	गोंडा
२८	उग्रसेन, श्री	बरहज
२९	उदय प्रताप, श्री	गोरखपुर
३०	उदयवीर सिंह, श्री	जलेसर
३१	उदित नारायण, श्री	झांसी
३२	उमादत्त, श्री	लम्भुआ
३३	ऊदल, श्री	कोलअसला
३४	ए० सी० दत्त, श्री	कल्याणपुर
३४	एस०सी० ग्राइस, श्री	————
३५	ओंकार सरन, श्री	मुरादाबाद नगर
३६	ओम् प्रकाश, श्री	आंवला
३७	ओम प्रकाश सिंह, श्री	फरीदपुर

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
३८	कन्धई लाल, श्री	पुवायां
३९	कन्हैया लाल, श्री	लखमा
४०	कन्हैया लाल, श्री	गरौठा
४१	कन्हैया लाल बल्मीकी, श्री	पिहानी
४२	कमलापति त्रिपाठी, श्री	जौनपुर नगर
४३	कमला प्रसाद, श्री	बरसठी
४४	कमला प्रसाद, श्री	भिनगा
४५	करनसिंह, श्री	निघासन
४६	कलारानी, श्रीमती	बिलग्राम
४७	कल्पनाथ सिंह, श्री	चिल्लुपार
४८	कल्याणचन्द मोहिले (उपनाम छुन्नन गुरु, श्री)	इलाहाबाद (दक्षिण)
४९	कल्याण सिंह, श्री	अतरौली
५०	कामता सिंह, श्री	चिलकहर
५१	कालीचरण, श्री	कासगंज
५२	काशीनाथ, श्री	संडीला
५३	किशनलाल, श्री	बरखेरा
५४	किशनलाल दिलेर, श्री	कोइल
५५	किशनसिंह, श्री	मुरादाबाद देहात
५६	किशुनलाल, श्री	नानपारा
५७	कृष्णबहादुर, श्री	बहराइच
५८	कृष्णसिंह, श्री	उत्तर काशी
५९	कृष्णनन्द राय, श्री	दिलदारनगर
६०	केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री	फखरपुर
६१	केशरी लाल, श्री	भोगनीपुर
६२	केशव देव, श्री	चंदौसी
६३	खूबसिंह, श्री	नूरपुर
६४	खेमा, श्री	गोवर्धन
६५	गंगाधर, श्री	बद्रीकेदार
६६	गंगा प्रसाद, श्री	एटा
६७	गंगा प्रसाद, श्री	गोकुल
६८	गंगाभक्त सिंह, श्री	बावन
६९	गंगा राम, श्री	जनरलगंज
७०	गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	बेहटा
७१	गजाधर, श्री	चंदौं (आ० ज०)
७२	गंगा प्रसाद (उपनाम मास्टर साहब), श्री	महसी
७३	गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री	बिसवां
७४	गिरजा शंकर, श्री	दरियाबाद
७५	गिरधारी लाल चौधरी, श्री	अफजलगढ़
७६	गिरिराजसिंह, श्री	गौरीगंज
७९	गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री	कायमगंज
७८	गुप्तार सिंह, श्री	सरेनी

क्रम सं०	सदस्य का नाम			निर्वाचन क्षेत्र
७९	गुलाबसिंह, श्री	..	..	मसूरी
८०	गेंदासिंह, श्री	..	..	सेवरही
८१	गोपालदत्त ओझा, श्री	..	..	डी डी हाट
८२	गोपाल राम दास, श्री	..	..	बागेश्वर
८३	गोविन्द नारायण तिवारी, श्री	..	..	माधोगढ़
८४	गौरीराम गुप्त, श्री	..	..	फरेंदा
८५	गौरीशंकर सर्राफ, श्री	..	..	बांदा
८६	गौरींसिंह राठौर, श्री	..	..	विनावर
८७	घनश्यामगिरि महन्त, श्री	..	..	हरिद्वार
८८	घनश्यामदास, श्री	..	..	सिद्धौर
८९	चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	..	उरई
९०	चन्द्र किशोर, श्री	..	..	खागा
९१	चन्द्र कुमार, श्री	..	..	रुदौली
९२	चन्द्र देव, श्री	..	..	पडरौना
९३	चन्द्रबली, श्री	..	..	गौरीबाजार
९४	चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	..	रानीखेत
९५	चन्द्र शेखर, श्री	..	..	चंदरौली
९६	चन्द्रशेखर सिंह, श्री	..	..	मेंहदावल
९७	चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	..	पौड़ी
९८	चरण सिंह, श्री	..	..	छपरौली
९९	चेतराम पचपेड़ा, श्री	..	..	नवाबगंज
१००	चेतराम वर्मा, श्री	..	..	लखीमपुर
१०१	जंगबहादुर, श्री	..	..	हैदरगढ़
१०२	जगतसिंह, श्री	..	..	कांठ
१०३	जगदम्बा प्रसाद, श्री	..	..	जलालपुर
१०४	जगदीशनारायण त्रिपाठी, श्री	..	..	भोगांव
१०५	जगनप्रसाद रावत, श्री	..	..	खेरागढ
१०६	जगन्नाथ प्रसाद, श्री	..	..	धौरहरा
१०७	जगपतसिंह, श्री	..	..	नरैनी
१०८	जगवीरसिंह, श्री	..	..	अगमैता
१०९	जमादार सिंह, श्री	..	..	बरनावा
११०	जमीलुरहमान, श्री	..	..	मसौली
१११	जयनारायण सिंह, श्री	..	..	हसवा
११२	जयराम वर्मा, श्री	..	..	अकबरपुर
११३	जयेन्द्र सिंह, श्री	..	..	चरखारी
११४	जवाहर लाल जाटव, श्री	..	..	आर्यनगर
११५	जवाहर लाल, डाक्टर	..	..	चायल
११६	जवाहिर लाल, श्री	..	..	मछरेहटा
११७	जशोदानन्द, श्री	..	..	मनवापुर
११८	जानकी प्रसाद, श्री	..	..	सोहावल
११९	जितेन्द्रनाथ मिश्र, श्री	..	..	रानी की सराय

विधान सभा

क्रम सं०	सदस्यों का नाम			निर्वाचन क्षेत्र
१२०—	जियाउर्रहमान, श्री	..	..	उन्नाव
१२१—	जी० एस० चौधरी, श्री	..	..	मुरादनगर
१२१—	जुगल किशोर, श्री	..	..	गुन्नौर
१२३—	जे० एन० सिन्हा, श्री	..	..	रुड़की
१२४—	जैदत्तसिंह, श्री	..	..	डुमरियागंज
१२५—	जैनूराम, श्री	..	..	मेहनगर (अ० ज०)
१२६—	जोरावर वर्मा, श्री	..	..	महोबा
१२७—	झारखन्डे राय, श्री	..	..	घोसी
१२८—	टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री	..	..	सीतापुर
१२९—	टीकमसिंह, श्री	..	..	छाता
१३०—	तिरमलसिंह, श्री	..	..	पटियाली
१३१—	तेजसिंह, श्री	..	..	दादरी
१३२—	त्रिवेणी, श्री	..	..	लालगंज
१३३—	त्रेपन सिंह, श्री	..	..	टेहरी
१३४—	दलबहादुरसिंह, श्री	..	..	सलोन
१३५—	दलसिंह, श्री	..	..	जलालाबाद
१३६—	दशरथ, श्री	..	..	नौरंगिया
१३७—	दीपंकर, आचार्य	..	..	बड़ौत
१३८—	दुर्गा प्रसाद, श्री	..	..	बांकेगंज
१३९—	दुर्योधन, श्री	..	..	महाराजगंज
१४०—	दूगराजसिंह, श्री	..	..	कैसरगंज
१४१—	देवराम, श्री	..	..	जखनियां
१४२—	देवीशरण अग्निहोत्री, श्री	..	..	मथुरा
१४३—	देवीदयाल सेन, श्री	..	..	हापुड़
१४४—	देवीसहाय बाजपेयी, श्री	..	..	कानपुर छावनी
१४५—	देवीसेवक, श्री	..	..	गंड़वारा
१४६—	देवेन्द्रसिंह, कुंवर	..	..	नजीबाबाद
१४७—	देशराजसिंह, श्री	..	..	बबेरू
१४८—	धनराज यादव, श्री	..	..	नौगढ़
१४९—	धनुषधारी पांडेय, श्री	..	..	खलीलाबाद
१५०—	धर्मराजसिंह, श्री	..	..	हरदोई
१५१—	धर्मवीर, श्री	..	..	मेजा
१५२—	धर्मवीर सिंह, श्री	..	..	सरधना
१५३—	धर्मसिंह, श्री	..	..	छतारी
१५४—	ध्रुवकुमार, श्री	..	..	अनूपशहर
१५५—	नन्हेलाल, श्री	..	..	फतेहपुर
१५६—	नरदेवसिंह, श्री	..	..	चांदपुर
१५७—	नरबदेश्वर, श्री	..	..	सगड़ी
१५८—	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	..	..	पिथौरागढ़
१५९—	नवलकिशोर, श्री	..	..	आलमपुर

विधान सभा

क्रम संख्या	सदस्य का नाम			निर्वाचन क्षेत्र
१६०—	नाथूराम शिक्षक, श्री	..	..	मंझनपुर
१६१—	नारायणदास, श्री	..	..	मोहनलालगंज
१६२—	नारायणसिंह, श्री	..	..	नकुड़
१६३—	नित्यानन्द पांडेय, श्री	..	..	डेरापुर
१६४—	नियाज हसन, श्री	..	..	कुंडा
१६५—	निहालसिंह, श्री	..	..	औराई
१६६—	नेकराम शर्मा, श्री	..	..	सिकन्दराराऊ
१६७—	नेनपाल सिंह, श्री	..	..	स्याना
१६८—	नौनिहालसिंह, श्री	..	..	इलाहाबाद (पश्चिमी)
१६९—	पञ्चरराम, श्री	..	..	गाजीपुर
१७०—	पातीराम महरवार, श्री	..	..	कन्नौज
१७१—	पीतमसिंह, श्री	..	..	खेकड़ा
१७२—	प्यारेलाल , श्री	..	..	खैर
१७३—	प्यारेलाल, श्री	..	..	गाजियाबाद
१७४—	प्रतापनारायण तिवारी, श्री	..	..	बलरामपुर
१७५—	प्रतापसिंह, श्री	..	..	नैनीताल
१७६—	प्रभाकर त्रिपाठी, श्री	..	..	गोविन्दनगर
१७७—	प्रभुदयाल, श्री	..	..	बांसी
१७८—	प्रेमदत्त, श्री	..	..	लखनऊ
१७९—	फारुक चिश्ती, श्री	..	..	देवरिया
१८०—	फूलसिंह, श्री	..	..	देवबन्द
१८१—	बंशीधर, श्री	..	..	शाहाबाद
१८२—	बंशीधर मिश्र, श्री	..	..	फूलपेहड़
१८३—	बजरंगबली, ब्रह्मचारी	..	..	हमीरपुर
१८४—	बदनसिंह, श्री	..	..	सकीट
१८५—	बदलराम, श्री	..	..	जमहांगीरगंज
१८६—	*बद्री प्रसाद, श्री	..	..	किशुनपुर
१८७—	बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री	..	..	लखनऊ छावनी
१८८—	बचारसीदास, श्री	..	..	दुर्जा
१८९—	बलदेवसिंह, सरदार	..	..	मंसरी
१९०—	बलबीरसिंह, श्री	..	..	गड़मुक्तेश्वर
१९१—	बलबीरसिंह, श्री	..	..	कमालगंज
१९२—	बसन्तलाल, श्री	..	..	कांच
१९३—	बसन्तलाल, श्री	..	..	मलिहाबाद
१९४—	बसन्तसिंह, श्री	..	..	मौवहा
१९५—	बाबू बदरे, श्री	..	..	चमनगंज
१९६—	बाबू राम, श्री	..	..	पीलीभीत
१९७—	बाबूलाल श्री,	..	..	महादेवा
१९८—	बाबूसिंह, श्री	..	..	गंगोरी
१९९—	बिशनलाल, श्री	..	..	बहजोई

*९–१०–६७ को देहान्त हो गया।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
२००—	बृजकिशोर, श्री ..	.. अयोध्या
२०१—	बृजपालसिंह, श्री ..	.. उसहत
२०२—	बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री ..	.. मऊ
२०३—	बुधिराम, श्री ..	.. हरैया
२०४—	बेचमराम, श्री ..	.. शाहा
२०५—	बेचमरान, श्री ..	.. चकिया
२०६—	बेनीबाई, श्रीमती ..	.. मऊरानीपुर
२०७—	बेनीसिंह अवस्थी, श्री ..	.. घाटमपुर
२०८—	बैजनाथ, श्री ..	.. बांसडीह
२०९—	बैजनाथ, श्री ..	.. धानापुर
२१०—	ब्रह्माश्रम, स्वामी ..	.. छानबे
२११—	भगवती सिंह विशारद, श्री ..	.. भगवतनगर
२१२—	भगौती, श्री ..	.. इकौना
२१३—	भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री ..	.. महमूदाबाद
२१४—	भग्गूराम उपनाम भृगुनाथ, श्री ..	.. आराजीलाइन
२१५—	भारतसिंह चौहान, श्री ..	.. औरैया
२१६—	भीखालाल, श्री ..	.. मियागंज
२१७—	भीमाप्रसाद, श्री ..	.. आजमगढ़
२१८—	भुवनेश भूषण, श्री ..	.. इटवा
२१९—	भृगूनाथ चतुर्वेदी, श्री ..	.. श्यामनउरवा
२२०—	भैरवदत्त धूलिया, श्री ..	.. लैंसडाउन
२२१—	मंगलदेव, श्री ..	.. नत्थूपुर
२२२—	मंगलाप्रसाद तिवारी, श्री ..	.. सिराथू
२२३—	मंजूर अहमद, श्री ..	.. किठौर
२२४—	मकसूद हुसैन, श्री ..	.. स्वारटंडा
२२५—	मदनमोहन मिश्र, श्री ..	.. राय बरेली
२२६—	मदनमोहन सिंह, श्री ..	.. कर्नलगंज
२२७—	मधुकर दिघे, श्री ..	.. पिपराइच
२२८—	मन्ना लाल, श्री ..	.. मोहम्दी
२२९—	मन्नी लाल, श्री ..	.. अहिरोरी
२३०—	मन्सादीन, श्री ..	.. सिधौली
२३१—	मलिखान सिंह, श्री ..	.. मैनपुरी
२३२—	मसाली देवी, श्रीमती ..	.. बांसगांव
२३३—	महराम सिंह, श्री ..	.. फर्रुखाबाद
२३४—	महिपाल सिंह, श्री ..	.. बामगंगा
२३५—	महीलाल, श्री ..	.. कुंदरकी
२३६—	महेन्द्रप्रतापसिंह, कुंवर ..	.. शेरगढ़
२३७—	महेशकुमार, श्री ..	.. सम्भल

*१०-११-६७ को निर्वाचित।

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
२३८	माता प्रसाद, श्री	शाहगंज
२३९	मानसिंह, श्री	आगरा (पश्चिम)
२४०	मारकंडे, श्री	अतरौलिया
२४१	मुंशीलाल चमार, श्री	बरहल
२४२	मुक्तिनाथ राय, श्री	गोपालपुर
२४३	मुजफ्फरहसन, श्री	प्रतापपुर
२४४	मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	बीसलपुर
२४५	मुंशीलाल, श्री	विलासपुर
२४६	मुरलीधर, श्री	ज्ञानपुर
२४७	मुलायमसिंह, श्री	जसवन्त नगर
२४८	मुल्कीराज, श्री	मुजफ्फराबाद
२४९	मुल्तानसिंह, श्री	टुंडला
२५०	मुहम्मद असरार अहमद, श्री	बदायूं
२५१	मुहम्मद महमूद अली खां, श्री	सरसा
२५२	मुहम्मद रऊफ, श्री	मछलीशहर
२५३	मुहम्मद रफी खां, श्री	शाहजहांपुर
२५४	मोतीलाल देहलवी, श्री	बिल्हौर
२५५	मोहनलाल, आचार्य	पूरनपुर
२५६	मोहनलाल कपूर, श्री	मेरठ
२५७	मोहनलाल गौतम, श्री	इगलास
२५८	यशोदा देवी, श्रीमती	धुरियापार
२५९	यादवेन्द्रसिंह (उपनाम लल्लन जी)	सिसवा
२६०	योगेश्वर प्रसाद, श्री	कर्ण प्रयाग
२६१	रईस उद्दीन, श्री	हसनपुर
२६२	रघुनाथ सिंह, श्री	फतेहपुर सीकरी
२६३	रघुनाथसिंह, श्री	सर्वन खेड़ा
२६४	रघुनाथ सिंह, श्री	महरौली
२६५	रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री	जसराना
२६६	रघुराज, श्री	लक्ष्मीपुर
२६७	रघुवीर, श्री	कासिमाबाद
२६८	रघुवीर सिंह, श्री	निधौली कलां
२६९	रघुवीर सिंह, श्री	बिरौर
२७०	रफी मुहम्मद खां, श्री	अतरौली
२७१	रमाकान्त, श्री	बिन्दकी
२७२	रमावल्लभ मिश्र, श्री	बरेली छावनी
२७३	रमाशंकर अग्रवाल, श्री	आगरा (पूर्व)
२७४	रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री	अमेठी
२७५	राज किशोर, श्री	मड़ियाहूं
२७६	राजदेव, श्री	रामकोला
२७७	राजनाथ, श्री	रादात
२७८	राजनारायण सिंह, श्री	चुनार

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
२७९	राजबली, श्री	माया
२८०	राजबहादुर, श्री	रारी
२८१	राजबहादुर श्री	मिश्रिख
२८२	राजबहादुर चन्द, श्री	खेसरहा
२८३	राजबहादुर द्विवेदी, श्री	बीकापुर
२८४	राज राजेश्वर, श्री	हैदराबाद
२८५	राजाराम, श्री	फीरोजाबाद
२८६	राजाराम, श्री	हाटा
२८७	राजराम, श्री	सिकन्दरपुर
२८८	राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर	इलाहाबाद (उत्तर)
२८९	राजेन्द्र दत्त, श्री	मोरना
२९०	राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	सबना संतात
२९१	राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	मुहम्मदाबाद
२९२	राधेश्याम कपूर, श्री	लखनऊ (पूर्व)
२९३	रामअंजोर, श्री	रामपुर खास
२९४	रामअचल सिंह सेन्गर, श्री	शिवपुर
२९५	रामअधार, श्री	विधुना
२९६	रामअधीनसिंह, श्री	विछिया
२९७	रामआसरे, श्री	रामनगर
२९८	रामकरन, श्री	सहजनवां
२९९	रामकिंकर, श्री	पट्टी
३००	रामकिशोर, श्री	बिक्रमजोत
३०१	रामकुमार, श्री	चौबेपुर
३०२	रामचन्द्र आजाद, श्री	टांडा
३०३	रामचन्द्र जोशी, श्री	अल्मोड़ा
३०४	रामचन्द्र विकल, श्री	सिकन्दराबाद
३०५	रामचन्द्र सिंह, श्री	भावन
३०६	रामचरन दोहरे, श्री	अजीतमल
३०७	रामजीलाल सहायक, श्री	हस्तिनापुर
३०८	रामदत्त, श्री	काशीपुर
३०९	रामदास, श्री	बाह
३१०	रामदुलार पटेल, श्री	बुजेहना
३११	रामदुलारे, श्री	बुजेहना
३१२	रामदुलारे, श्री	बछरावां
३१३	रामदेव, श्री	कटरा बाजार
३१४	रामदेव, श्री	बीरापुर
३१५	रामनरेश पांडेय, श्री	कुशीनगर
३१६	रामनरेश शुक्ल, श्री	लक्ष्मणपुर
३१७	रामनाथ, श्री	राजगढ़
३१८	रामनाथ, श्री	निगोहां
३१९	रामनारायण, श्री	कटेहरी
३२०	रामपति, श्री	संगहा

विधान सभा

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
३२१	रामपाल त्रिवेदी, श्री	महोना
३२२	रामप्यारे शुक्ल, श्री	सुल्तानपुर
३२३	रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री	छिबरामऊ
३२४	रामप्रसाद, श्री	दयालबाग
३२५	राम प्रसाद, श्री	एकेश्वर
३२६	रामप्रसाद, श्री	रोखी
३२७	रामप्रसाद देशमुख, श्री	सासनी
३२८	रामवचन, श्री	फूलपुर
३२९	रामबली मिश्र, श्री	इखौली
३३०	राममूर्ति, श्री	बहेड़ी
३३१	राममूर्ति "अंचल", श्री	दबरोल
३३२	रामरतन, श्री	रसड़ा
३३३	रामलखन सिंह, श्री	बहादुरपुर
३३४	राम लाल, श्री	बिल्कोपुर
३३५	राम श्री राजपूत	राठ
३३६	राम सजीवन, श्री	करबी
३३७	राम समझावन, श्री	केराकत
३३८	रामसरन सिंह, श्री	हाथरस
३३९	रामसिंह, श्री	नागल
३४०	राम सुन्दर शास्त्री, श्री	जमनियां
३४१	राम सेवक, श्री	जगदीशपुर
३४२	रामस्वरूप, श्री	बहराइच
३४३	राम स्वरूप., श्री	बिहार
३४४	राम स्वरूप, श्री	शिकोहाबाद
३४५	रामस्वरूप वर्मा, श्री	राजपुर
३४६	रामायण राय, श्री	फाजिलनगर
३४७	रामेश्वरसिंह, श्री	बलिया
३४८	रुस्तम सैटिन, श्री	वाराणसी (दक्षिण)
३४९	रूपनाथ, श्री	बहादुरपुर
३५०	रूपनारायण, श्री	राबर्टसगंज
३५१	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	मांठ
३५२	लक्ष्मीशंकर, श्री	खेटहन
३५३	लटूरीसिंह, श्री	अलीगढ़
३५४	लाखन, श्री	पुरवा
३५५	लालकृष्ण कुमार पाल, श्री	बस्ती
३५६	लालन शर्मा, श्री	मल्लावां
३५७	लालन बहादुर, श्री	बिलायतसी
३५८	वरमेश्वर पांडेय, श्री	वाराणसी (छावनी)
३५९	वसी नकवी, श्री	तिलोई
३६०	विजय कुमार त्रिपाठी, श्री	सरोजिनी नगर
३६१	विजय शंकर सिंह, श्री	मोहम्मदाबाद
३६२	विपिन बिहारी तिवारी, श्री	लहरपुर

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
३६३	विशुन प्रत.पसिंह, श्री	साबुल्लानगर
३६४	विश्वनाथ प्रसाद (उपनाम झींगन साहू), श्री	वाराणसी उत्तर
३६५	विश्वनाथ सिंह, श्री	मुबारकपुर
३६६	विष्णु स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
३६७	वीर बहादुर, श्री	पनियारा
३६८	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	कान्धला
३६९	वीरेश्वर त्यागी, श्री	मेरठ (छावनी)
३७०	शंकरसिंह, चौधरी	कालपी
३७१	शकुन्तला देवी, श्रीमती	हरौड़ा
३७२	शफकतजंग, श्री	कैराना
३७३	शब्बीर हसन, श्री	फतेहपुर
३७४	शमीम आलम, श्री	बुलन्दशहर
३७५	शराफत हुसेन रिजवी, श्री	अमरोहा
३७६	शशिभूषण सिंह, श्री	सरसोल
३७७	शिवगोपाल तिवारी, श्री	बांगरमऊ
३७८	शिवनाथ सिंह, श्री	कोड़ीहार
३७९	शिवमंगल सिंह, श्री	दूवाबा
३८०	शिवराज सिंह, श्री	किसनी
३८१	शिवलाल, श्री	सियर
३८२	शिव शंकर सिंह, श्री	डलमऊ
३८३	शीतलादीन, श्री	करछना
३८४	शीतला प्रसादसिंह, श्री	तरबगंज
३८५	शुगनचन्द मजदूर, श्री	जानसठ
३८६	श्यामलाल यादव, श्री	मुगलसराय
३८७	श्याम सिंह, श्री	बिसौली
३८८	श्रीनाथ, श्री	मुहम्मदाबाद गोहना
३८९	श्री नारायण तिवारी, श्री	कोपाचोट
३९०	श्रीपति मिश्र, श्री	जैसिंहपुर
३९१	श्रीराम तिवारी, श्री	हसनगंज
३९२	श्री शंकर शर्मा उपनाम लालो शर्मा वकील, श्री	लखनऊ (पश्चिम)
३९३	सईद अहमद, श्री	लक्सर
३९४	सत्यवीर, कुंवर	बिजनौर
३९५	सन्तू, श्री	हैसरबाजार
३९६	सरजू प्रसाद, श्री	मौदीनगर
३९७	सरदारसिंह, श्री	खतौली
३९८	सहदेवसिंह, श्री	भरथना
३९९	सालिक राम, श्री	हरगांव
४००	सियाराम, श्री	सोरों (आं०ज०)
४०१	सीताराम, डाक्टर	रुद्रपुर
४०२	सुक्खन लाल, श्री	गंगेश्वरी
४०३	सुखदेव, श्री	कावीपुर
४०४	सुखदेव प्रसाद, श्री	तुलसीपुर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
४०५	सुधामा प्रसाद गोस्वामी, श्री	बबीना
४०६	सुरेन्द्र, विक्रम श्री	तिलहर
४०७	सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री	लखनऊ (मध्य)
४०८	सोहनलाल, श्री	अम्बियापुर
४०९	सोहनलाल बुसिया, श्री	साऊघाट
४१०	हरिगेन राम, श्री	भदोही
४११	हरिहरनाथ अग्रवाल (उपनाम हरीबाबू), श्री	आगरा (छावनी)
४१२	हरिहर बख्शसिंह, राजा	शाहाबाद
४१३	हरीदत्त कांडपाल, श्री	द्वाराहाट
४१४	हरीशकुमार गंगवार, श्री	भोजीपुरा
४१५	हरीशचन्द्र, श्री	जरथावल
४१६	हरीशचन्द्र सिंह, श्री	हालगंज हालगंज
४१७	हरीसिंह, श्री	जबर (आ० ज०)
४१८	हरीसिंह, श्री	रोहटा (आ० ज०)
४१९	हिम्मत बहादुर, श्री	चिरईगांव
४२०	हिम्मतसिंह, श्री	डिबई
४२१	हुकुमसिंह, श्री	फतेहाबाद
४२२	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री ..	बारा
४२३	होरी लाल यादव	उमर्दा
४२४	(रिक्त)	धामपुर
४२५	(रिक्त)	किशुनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

म

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री जगदीश शरण अग्रवल, बी० ए०, एल-एल० बी०

उपाध्यक्ष

श्री श्रीपति मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी०,

सचिव विधान मण्डल

श्री गुरुशरण लाल श्रीवास्तव एम० ए०, एल-एल० बी०, एच० जे० एस०

सचिव, विधान सभा

श्री देवकी नन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०

सहायक सचिव

श्री कैलासनाथ मेहरोत्रा

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए०, एल-एल० बी०

समिति अधिकारी

श्री गिरधारी लाल, बी० ए०

अधीक्षक

श्री श्रीनाथ दीक्षित, बी० ए०, एल-एल० बी०

श्री उमाशंकर, बी० ए०

श्री हरिनन्दन शरण भटनागर, बी० काम०, एम० ए०, एल-एल० बी०

उत्तर प्रदेश संसदीय अध्ययन केन्द्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

131849

वृहस्पतिवार, २७ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४२१

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अवश्नी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
ओम् प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशन सिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री

केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगतसिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकमसिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपन, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देव राम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवा दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवा सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
देशराज सिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री

धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारे लाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदन सिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बद्री प्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्त लाल, श्री (जालौन)
बसन्त लाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबू लाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपालसिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेवनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेवनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनी सिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भगूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महराम सिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर
महेश कुमार, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान सिंह, श्री
मारकंण्डे, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री

मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राज बली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह सेंगर, श्री
राम अधार, श्री
राम अधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामकृष्ण दोहरे, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (राय बरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम प्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री (आगरा)
राम प्रसाद, श्री (गढ़वाल)
राम प्रसाद, श्री (राय बरेली)
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपुत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

रामसरन सिंह, श्री
राम सिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
राम सेवक, श्री
राम स्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
रूप नरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लालकृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
परमेश्वर पांण्डेय, श्री
बसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
बीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिव गोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
श्याम लाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्री नारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांण्डपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरी लाल यादव, श्री

नोट—उद्योग मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २७ जुलाई, १९६७

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बिजली की दर के लिए टैरिफ कमेटी

**१—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या बिजली मंत्री बतायेंगे कि क्या टैरिफ कमेटी यू० पी० स्टेट एलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ने बिजली के रेट्स के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है, जिसकी बैठक मार्च, १९६७ में हुई थी ? यदि हां, तो उसने क्या सिफारिश की है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)—

टैरिफ कमेटी राज्य विद्युत परिषद् ने बनाई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट परिषद् को प्रस्तुत करेगी। सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता। इसकी कोई बैठक मार्च, १९६७ में नहीं हुई थी।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

यह टैरिफ बोर्ड किस तारीख को बना था और उसके कौन-कौन से सदस्य थे ?

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

तारीख तो मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता, सदस्य यह थे—श्री भरत नारायण, सदस्य सचिव, अध्यक्ष, श्री रघुनन्दन जोशी, सदस्य एकाउन्ट्स, सदस्य, श्री एस० वेन्कटारमन, चीफ एकाउन्ट्स आफिसर, सदस्य, श्री सोम गुप्त, अधीक्षण अभियन्ता, सदस्य सचिव।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

यह बोर्ड किस काम के लिए बनाया गया था और वे किस संबंध में अपनी रिपोर्ट देंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जो भी ऋण दिया जाता है उस पर इस प्रकार की शर्तें होती हैं कि ११ प्रतिशत की प्राप्तियां हमको होंगी। उस पर वह विचार करेगा कि वे कैसे हों और दूसरी बात यह कि प्रदेश में भिन्न भिन्न जो बिजली के रेट्स हैं उनमें समानता कैसे लायी जाय। केंद्र में जो वेन्कटारमन कमेटी बनी है उसी की सिफारिशों के आधार पर वह है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जिस केन्द्र की कमेटी का मंत्री जी ने जिक्र किया, क्या उस कमेटी ने कोई सिफारिश प्रदेश की सरकार के पास भेजी है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

उसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ही तो यह बोर्ड बनाया गया, उसकी सिफारिशें तो सारे विद्युत् बोर्डों के लिए हैं और सभी को उस पर विचार करना है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिजली का मुहकमा कोई और नये रेट्स बिजली के तैयार कर रहा है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

यह कमेटी इस बात की सिफारिश करेगी कि जो ११ परसेंट का रिटर्न हमको प्राप्त होना है वह कैसे हो तथा कैसे बिजली की दरों में समानता लायी जाय।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या उनको इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के द्वारा ऐसा इशारा प्राप्त हुआ है कि बिजली की मौजूदा दरें बढ़ाई जा रही हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

कुछ प्रतिशत सरचार्ज लगाने की सिफारिश प्राप्त हुई है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितना प्रतिशत रिटन बिजली से सरकार को प्राप्त है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

लगभग ६ प्वाइन्ट कुछ है , मैं ठीक नहीं बता सकता ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बिजली के रेट्स में क्या अन्तर है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

उत्तर प्रदेश में ही विभिन्न खण्डों में विभिन्न दरें हैं तो प्रदेश भर में जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, कानपुर रिहंड क्षेत्र अलग है, इनमें यूनिफार्मिटी हो, यह उद्देश्य है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो रेट्स बढ़ा रहे हैं, खाद्य पूर्ति योजना के अन्तर्गत जो प्राइवेट नलकूप हैं, किसानों ने बिजली ली है, उनको एग्जेम्प्ट कर देंगे, अगर रेट बढ़ायेंगे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

रेटों का जो सुझाव कमेटी ने दिया है वह बढ़ा दें या नहीं, इस पर विचार है, लेकिन जैसाकि सुझाव है इस पर विचार किया जायगा कि कृषकों के नलकूप पर कुछ न बढ़ाया जाय ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उप समिति कब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगी, क्या इस संबंध में कोई निर्देश उनका है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

अभी तक निर्देश नहीं है । अगर आवश्यकता हुई और अधिक देर लगी तो निर्देश दे दिया जायगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न

पीलीभीत जिले में आदमखोर शेर

*१—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री जी को पता है कि देवरिया शूटिंग ब्लाक, जिला पीलीभीत में एक शेर आदम खोर हो गया है और उसने कई आदमी जख्मी किये तथा मार दिये हैं? यदि हां, तो सरकार क्या उपाय उस शेर को मारने के लिए कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

देवरिया ब्लाक में एक शेर के द्वारा २५ अक्तूबर, १९६६ को एक मनुष्य के मार दिये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी परन्तु तत्पश्चात्, उक्त शेर के द्वारा किसी अन्य नर संहार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि १० जून, १९६७ को उस शेर ने एक आदमी को जख्मी किया और एक को पकड़ा और अगर सैकड़ों घास काटने वाले आदमी न होते तो उसे जान से मार देता ?

श्री चरणसिंह—

मैंने जवाब दिया कि मारा तो एक ही आदमी है, दूसरा नहीं मारा ।

श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

कैटिललिफ्टर घोषित करने के लिए सरकार के क्या नियम हैं ?

श्री चरण सिंह—

नियम यह है कि ४–५ मील के अन्दर ५–६ जानवर थोड़े अर्से के अन्दर अगर मार ले, और आदमखोर डिक्लेयर करने के लिए क्या नियम हैं इस समय पता नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या यह सही है कि १६ जुलाई, १९६७ को माननीय मुनीन्द्रपाल सिंह ने जो देवरिया के रहने वाले हैं, मंत्री जी को एक प्रार्थना-पत्र दिया था कि वह शेर अनेक जानवरों को उठा कर ले गया है और दो तीन आदमियों को मार चुका है और जख्मी कर चुका है, उसको मैन-इटर घोषित कर दिया जाय ?

श्री चरणसिंह—

आदमखोर के मुताल्लिक सवाल है । वन मंत्री को किसी सज्जन ने क्या दरख्वास्त दी, वह मैं मालूम करा लूंगा, इस समय मुझे मालूम नहीं है ।

कानपुर की श्रमिक बस्तियों से अनधिकृत व्यक्तियों को हटाने का नोटिस

*२—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में बने सहायता प्राप्त श्रमिक क्वार्टर कालोनी से सुरक्षा विभाग उन कर्मचारियों को, जो कई वर्षों से उनमें रह रहे हैं, हटा रहा है, जिससे उन कर्मचारियों को बे-घरबार हो जाने के कारण उनमें बड़ा क्षोभ फैल रहा है ?

उद्योग उप मंत्री (श्री हिम्मतसिंह)—

इस संबंध में भारत सरकार के आवास और प्रतिरक्षा मंत्रालयों से जानकारी प्राप्त की गई । उन्होंने बताया है कि इन श्रमिक बस्तियों से कर्मचारियों को हटाने के विषय में कोई आदेश उन्होंने नहीं दिये हैं ।

हां, श्रमायुक्त ने अवश्य ऐसे सुरक्षा कर्मचारियों पर, जो अनधिकृत रूप में रह रहे थे, क्वार्टर खाली करने की नोटिस जारी की है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि जिन श्रमिकों को विभाग ने क्वार्टर खाली करने के लिए नोटिस निकाले हैं वह कितनी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा अवधि से इन क्वार्टरों में रह रहे थे ?

उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)—

मान्यवर, लगभग १,१९० अनधिकृत तरीके से कर्मचारी इन क्वार्टरों में रह रहे हैं। जिसमें से केवल ३७५ कर्मचारियों को फिलहाल नोटिस दिये गये हैं। जहां तक समय की बात है वह कुछ अरसे से है और इस संबंध में मैं इतना बता देना चाहता हूं कि हमारे पहले श्रम मंत्री के जमाने में इस संबंध में एक मीटिंग करके फैसला हुआ था।

श्री राममूर्ति—

क्या माननीय श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन क्वार्टर्स में रहने वाले जो मजदूर हैं उनसे उनकी मजदूरी के दशांश के हिसाब से किराया लिया जाता है या जो स्टेन्डर्ड रेंट हैं वह लिया जाता है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जहां तक श्रमिक बस्तियों का संबंध है उसमें कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो रेगुलर तरीके से हैं। वे तो सबसिडाइज्ड रेट्स पर हैं और कुछ को एकानामिक रेट पर देने की बात है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों को सुरक्षा विभाग के क्वार्टरों से हटाया जा रहा है वे सबसिडाइज्ड रेट्स पर रेंट देते हैं या एकानामिक रेट्स पर ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जिनके हटाने का प्रश्न है उनका रेंट अभी भी निश्चित नहीं हो पाया है।

श्री प्रभाकर त्रिपाठी (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां सुरक्षा विभाग के कर्मचारी रह रहे हैं उनको, जब ये कालोनीज बनाई गई और आबाद नहीं हो रही थीं, वहां आन रिक्वेस्ट बसाया गया था ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

मान्यवर, इस संबंध में स्थिति यह रही कि असल में ये श्रम बस्तियां निजी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई गई थीं और केंद्र की इसमें सहायता है। लेकिन जिस समय इन श्रमिक बस्तियों को बनाया गया उस समय आवास के सिलसिले में दरख्वास्तें कम आती थीं। उस अवसर पर इनको स्थान दिया गया और इस तरीके से जिन लोगों को स्थायी रूप से अलाटमेंट हो चुका है व ३,९१९ कर्मचारी सुरक्षा विभाग के हैं, अब उनके हटाने का प्रश्न नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने यह कहा कि उनकी दर अभी निश्चित नहीं की गई थी और उस समय चाहे जो कर्मचारी था उसको मकान दे दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि दर क्यों निश्चित नहीं की गई ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

२,७२९ कर्मचारियों के सिलसिले में दर निश्चित हो चुके हैं। १,१९० जो अन-अथराइज्ड ढंग से थे जिनके अलाटमेंट नहीं हुये थे उनके रेंट निश्चित नहीं हुए।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि १,१०० से अधिक कुछ रहते हैं और ३०० से अधिक के खिलाफ नोटिस दिये गये और यह पिछली सरकार ने आदेश

किये थे। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको उजाड़ने से पहले आल्टरनेटिव जगह देने की योजना बनाई गई या नहीं ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहिले ही अर्ज किया सुरक्षा विभाग के ३,९१९ कर्मचारी इन बस्तियों में रह रहे हैं जिसमें २,३९९ के साथ सब्सिडाइज्ड रेन्ट पर बन्दोबस्त हो चुका है और १,१९० अनअथाराइज्ड ढंग से श्रमिक रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो स्थिति उस बस्ती की है उसको देखते हुये जिस उद्देश्य से वह बस्ती बनायी गयी कि निजी उद्योग के श्रमिकों को अलाटमेंट किया जाय, उनके आवास की व्यवस्था की जाय, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनअथाराइज्ड पोजीशन बन्द करना जरूरी है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, सम्पूर्णानन्द मिनिस्ट्री के कार्यकाल में इन श्रमिक क्वार्टरों के सम्बन्ध में ऐसा ही प्रश्न उस समय आया था और तब यह निश्चय किया गया था कि जो सुरक्षा विभाग के हैं वे एकोनामिक रेन्ट पर दिया करेंगे और दूसरे निश्चित रेट पर। आप उस निश्चय को क्यों नहीं कार्यान्वित करते ? दूसरे मन्त्री के निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

माननीय सदस्य को गलतफहमी है। दो तरह की दरें निश्चित थीं। इन कर्मचारियों को भी सब्सिडाइज्ड रेन्ट पर देने की बात थी। और जो लगभग २,३९९ कर्मचारी सुरक्षा विभाग के वहां रह रहे हैं उनका सब्सिडाइज्ड रेंट पर मासिक नियत किया जाता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

अनअथाराइज्ड लोग उनमें कैसे घुस गये और उनमें से ३०० को ही निकालने के लिए क्यों छाँटा गया है ? क्या बाकी को बाद में नोटिस देंगे ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

यह तो शुरुआत है। जहां तक नाजायज घुसने का प्रश्न है, बहुगुणा जी अपने लैप्स का हमसे सवाल करते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

जब मैं उप मन्त्री लेबर था, हिन्द मजदूर सभा ने और मंत्री जी की पार्टी ने सत्याग्रह तक की धमकी दी थी। अब हम पर लांछन लगा रहे हैं और ज्यादती भी कर रहे हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मितव्ययिता अभियान

*१—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मितव्ययिता अभियान में सरकार कौन-कौन से पद समाप्त करने जा रही है और इस से कितने अधिकारी व राजकीय कर्मचारियों की छंटनी होगी तथा उस से सरकार की कितन रुपय मासिक बचत होगी ?

वित्त मन्त्री (श्री रामस्वरूप वर्मा)—

मितव्ययिता अभियान में जो पद समाप्त किये जा रहे हैं तथा उस कारण जो मासिक बचत होगी वह सूचना संलग्न तालिका में दी है। प्रशासकीय कारणों से या अनुभव के आधार पर भविष्य में इनमें संशोधन भी किये जा सकते हैं।

फालतू कर्मचारियों को अन्य नौकरियां देने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। जिन कर्मचारियों को प्रयत्न के बाद भी नौकरी नहीं दी जा सकेगी उन्हीं कर्मचारियों को छंटनी का प्रश्न पदा होगा। अतः कितने कर्मचारियों की छंटनी होगी यह बताना इस समय सम्भव नहीं है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०१–१०८ पर)।

श्री श्रीराम तिवारी—

यह देखते हुए कि हरिजन और समाज कल्याण विभाग बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उस के उत्थान की आवश्यकता है और महिलायें सब से ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, सरकार विचार करेगी कि हरिजन और समाज कल्याण विभाग की और इन महिलाओं की छंटनी न करें ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

छंटनी उपयोगिता की दृष्टि से की जा रही है। जो अनुपयोगी हैं उनकी छटनी की जायगी। उनमें से कुछ को काम पर लगाने का हम विचार कर रहे हैं, उसके बाद जो बचेंगे, वे छंटनी में माने जायेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि छंटनी में आये व्यक्ति एब्जार्ब कर लिये जावें, इस के लिए रिटायरमेंट की आयु ५८ से ५५ करने पर विचार करेंगे जिस से वे सब ऐबसार्ब किये जा सकें ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

यह विचाराधीन है।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय वित्त मन्त्री बतायेंगे कि ७,३०० के लगभग जो सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करने का इस वर्ष का कार्यक्रम बनाये हैं उन में अभी तक के एस्टिमेट के अनुसार कितनों को आप ऐबजार्ब कर लेंगे ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

योग्यता के अनुसार वे खपाये जायेंगे। अभी किसी को नोटिस नहीं दिया गया है और न कोई छंटनी हुई है।

डाक्टरराजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

इस विचार से कि महिला मंगल योजना की स्त्रियों की नौकरी न जाय, माननीय मन्त्री जी इस योजना को चालू रखने पर विचार करेंगे ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

अभी तो किसी की छंटनी नहीं हुई है। किस को कहां रखा जाय, यह सब हिसाब लगाकर छंटनी करेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

क्या मन्त्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जायगी जब तक उसे दूसरा काम न दे दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

फिर तो छंटनी का ही कोई तात्पर्य नहीं रह गया ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

यह देखते हुये कि किसी भी विभाग में हरिजन १८ फी सदी पूरे नहीं हैं, तो क्या छंटनी करते हुये इस बात का लिहाज रखा जायगा कि हरिजनों की छंटनी से मुक्त रखा जाय ?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

हां, इस सम्बन्ध में विचार किया जायगा ।

श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

क्या यह सही है कि जिन पदों से छंटनी की जा रही है, वह बचत के लिए नहीं की जा रही है बल्कि कार्यक्षमता बढ़ान क लिए की जा रही है ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

इसमें सचाई है ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

मुझे पता है कि पी० डब्लू० डी० में ओवरसियरों की छंटनी हो रही है, पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर ने बताया कि दूसरे विभागों से लिखा-पढ़ी हो रही है कि अगर जरूरत हो तो उन्हें ले लिया जाय । तो मन्त्री जी कैसे कहते हैं कि छंटनी की नोटिस नहीं दी गयी है ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

माननीय सदस्य मुझे सूचना दें तो मैं देख लूंगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

महिला मंगल योजना एक दम खत्म की जा रही है और १५ अगस्त से उन्हें नोटिस भी दी गयी है । क्या मन्त्री जी विचार करेंगे कि उन्हें कहीं दूसरी जगह सब को लगाया जाय, जैसा कि कहा गया था ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मेरी सूचना यह है कि अभी किसी को नोटिस नहीं दिया गया है । यहां जो कैम्प लगाये हुई हैं, इन की इन्क्वायरी हो रही है, कुछ बिना छुट्टी लिये आयी हुई हैं, कुछ एब्सकान्ड कर रही हैं । ऐसों पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जायगी ।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि परिवहन विभाग एक पैसा कमाने वाल विभाग है, उस में छंटनी की जा रही है तो क्या मन्त्री जी इस सिद्धान्त को देखते हुये कि ज्यादा आदमी रहेंगे, तो ज्यादा पैसा कमायेंगे, उन की छंटनी को बन्द करेंगे ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

ऐसी कोई बात नहीं है । इस में तो पद दिये गये हैं, जिन की छंटनी की जा रही है । रोडवेज में अगर किसी को नोटिस दिये गये ह तो वह कोई डिपार्टमेंटल ऐक्शन होगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

ऐसा लगता है कि महिलायें कम जानकारी में आन्दोलन कर रही हैं तो माननीय वित्त मन्त्री जी किसी मन्त्रि परिषद् के सदस्य को उनको समझाने के लिए भेजेंगे कि वह उनको सही परिस्थिति बता दें ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की मुझसे बातचीत हो चुकी है। मैंने उनको समझा दिया था और उसके बाद भी कई बार बयान दिये जा चुके हैं, उनको बतलाया जा चुका है कि हत्तुलइमकान उन को सर्विस में रखने की कोशिश की जायगी। इसके बाद हमारी तरफ से उनके पास जाने की जरूरत मालूम नहीं होती।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी अथवा वित्त मन्त्री जी जो भी उचित समझें, सदन को यह आश्वासन देंगे कि मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुये मन्त्रि परिषद् के सदस्यों की संख्या अब और न बढ़ायी जायगी ताकि सरकार का मितव्ययिता का आन्दोलन लोगों के हृदयों में ठीक स्थान ले सके ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय वित्त मन्त्री ऐसा आश्वासन दे नहीं सकते।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों में व्यवस्था नहीं होती। १२ बजे जब मैं प्रश्न समाप्त कर लूं तब प्रश्नों के सम्बन्ध में यदि आपको कोई कठिनाई हो तो कहियेगा।

श्री श्रीराम तिवारी—

१९ सूत्री कार्यक्रम के आधार पर जब सरकार का आश्वासन था कि राज्य कर्मचारियों की समस्त मांगों को पूरा किया जायगा तो जब उनकी छंटनी न करने की प्रमुख मांग थी तो क्या मन्त्री जी उस को ध्यान में रखते हुये इस छंटनी की योजना को समाप्त करेंगे ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, योजना तो कार्यक्षमता बढ़ाने और पुनसर्गठन के विषय में है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मैं जानना चाहता हूं कि सूचना अधिकारियों के पद समाप्त किये गये और उन की छंटनी होगी और वित्त मन्त्री जी कह रहे हैं कि हम छंटनी नहीं कर रहे हैं तो उनकी यह दोनों बातें कहां तक संगतिपूर्ण हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इस में थोड़ी-सी गलतफहमी हो रही है। माननीय मन्त्री जी के उत्तर में लिखा है कि मितव्ययिता अभियान में जो पद समाप्त किये जा रहे हैं तथा इस कारण जो मासिक बचत होगी उस की सूचना संलग्न है, तो इसके अर्थ हैं कि समाप्त किये जा रहे हैं तो छंटनी हो रही है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि छंटनी नहीं हो रही है लेकिन सूचना और उद्योग अधिकारी जो दो पदों के लोग हैं उन में से अभी तक किसी को छंटनी का नोटिस दिया गया है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--

मान्यवर, अभी तक किसी को नोटिस नहीं दी गयी है और न अपने पद से किसी को हटाया गया है। जो सूची इस प्रश्न के उत्तर के साथ दी गयी है वह बहुत विस्तृत है। उस से आगे बताना बहुत मुश्किल है। अभी किसी को नहीं निकाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आपने अपने उत्तर में यह बताया कि मितव्ययिता अभियान में जो पद समाप्त किये जा रहे हैं, उनकी सूची संलग्न है। तो आप यह स्पष्ट करने की कृपा करें कि क्या आप छंटनी करने और पदों के समाप्त करने में कोई अन्तर समझते हैं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--

नहीं, श्रीमन्, इसका मतलब तो एक ही है।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन पदों को समाप्त करने का उन्होंने जिक्र किया है, उन पदों पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं, वे दूसरी जगह पर लगाये जायेंगे ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--

श्रीमन्, हमारी यह कोशिश है कि जो पद समाप्त किये जायं, उन पर काम करने वालों को योग्यता के अनुसार दूसरी जगहों पर ले लिया जाय।

श्री रामसुन्दर शास्त्री--

श्रीमन्, मैं पी० डब्लू० डी० और परिवार नियोजन के बारे में जानना चाहता हूं कि अगर वहां पर आप की जानकारी के बिना कोई नोटिस गये हैं तो उनको मुल्तवी करने की कृपा करेंगे और जो लोग हटाये गये हैं उनको जगह देने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--

श्रीमन्, जितने विभाग हैं, उनके बारे में सूचना दी गयी है। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में भी सूचना दी गयी है, उसमें सिविल ओवरसियर १८ हैं, अधिशासी अभियन्ता.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामसुन्दर शास्त्री किसी विशेष विभाग के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। वे एक आम बात पूछ रहे हैं। उनका सवाल यह है कि आमतौर से आप ने कहा--सदन में कोई छंटनी की नोटिस नहीं दी गयी। वह कहते हैं कि आपकी सूचना के बिना कोई नोटिस गये होंगे तो उनको अनधिकृत घोषित करेंगे ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--

जो नोटिस दिये गये हैं, फिलहाल निश्चय यह है मन्त्रि परिषद् का कि अभी नोटिस रोक दिये गये हैं। अब अगर उनको कहीं ऐसी सूचना हो तो बतायें। लेकिन नोटिस तो जायेंगे। लेकिन यह इसलिए किया गया था कि योग्यतानुसार दूसरी जगह लगाये जा सकें, इस वजह से दोनों काम साथ-साथ हो जायें तो अच्छा है।

श्री एम० आर० हक की बर्खास्तगी

*२—श्री अशरफ अली खाँ (जिला मथुरा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स, अमीनाबाद, लखनऊ के एक असिस्टेंट मैनेजर (श्री एम० आर० हक) को १९५८ में बरखास्त कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने गवर्नमेंट में अन्दरून मिआद अपील दाखिल कर दी थी मगर उसका फैसला अब ९ साल की मुद्दत गुजर जाने के बाद भी नहीं बताया गया ? इस बारे में क्या पी० एस० सी० तथा ऐडवोकेट जनरल से राय ली गयी ? यदि हां, तो उसकी एक नकल मेज पर रखी जाय ?

श्री हिम्मतसिंह—

श्री एम० आर० हक को १९५८ में बरखास्त किया गया था किन्तु उनकी कोई अपील सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

चूंकि लोक सेवा आयोग की सिफारिश एवं ऐडवोकेट जनरल की राय गोपनीय प्रकृति की है, अतः उनका सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा ।

श्री अशरफ अली खाँ—

क्या यह सही है कि यह प्रश्न ६ जुलाई, १९६७ को आया था परन्तु सरकार ने इसको स्थगित करा लिया और इस प्रश्न को आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में जो डिपार्टमेंट ने लिखा है क्या मन्त्री जी उसको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

मान्यवर, बातें पढ़ कर ही बतायी जाती हैं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या उद्योग मन्त्री को मालूम है कि ६-१०-५८, १८-११-६४, २७-११-६५, ६-५-६७ और १७-७-६७ को इस व्यक्ति की ओर से सरकार के पास उसकी अपील और उसके रिमाइन्डर बराबर आये हैं जिनके ऊपर सरकार ने ऐडवोकेट जनरल और पब्लिक सर्विस कमीशन से राय ली है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

यह बात सही है ।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ६-७-६७ को जब यह सवाल स्थगित कराया था सरकार ने दफा ३८(२) के तहत तो सरकार ने अध्यक्ष से किन ग्राउन्ड्स पर इस सवाल को स्थगित करवाया ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

श्रीमन्, जो प्रश्न उपस्थित है उसके सम्बन्ध में कोई बात हो तो मैं बता सकता हूं । किन ग्राउन्ड्स पर स्थगित हुआ यह तो माननीय सदस्य को भी जानकारी है ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

जैसा अभी मन्त्री जी ने बताया कुछ पिटीशन आप को लगातार मिली हैं और उसके बदले में पिटीशन के पहुंचने की सूचना आप की तरफ से दी गयी है तो फिर आप के इस उत्तर में कौन-सा सच है कि इनकी अपील कोई नहीं है । अपील आयी, आप ने जवाब में बताया और आज जो आपने यह उत्तर दिया कि इनकी कोई अपील नहीं है, तो दोनों में से कौनसा सही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कैसे आप मान रहे हैं कि अपील आयी और उत्तर दिया ?

श्री चन्द्रबली—

वह तो उत्तर दे चुके हैं माननीय बहुगुणा के सवाल पर ।

श्री अध्यक्ष—

जवाब तो यह है कि श्री एम० आर० हक को १९५८ में बरखास्त किया गया था, किन्तु उनकी कोई अपील सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मैंने सवाल किया था कि क्या कोई रिमाइन्डर और अपील आयी है तो माननीय मुख्य मन्त्री ने उसे कबूल किया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य को फिर पहले जिक्र करना चाहिये कि पहले उत्तर में यह कहा गया था ।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जहां तक पेटिशन का सम्बन्ध है तो जैसा माननीय बहुगुणा जी ने कहा वह ठीक है, लेकिन इस वक्त कोई विचाराधीन नहीं है । यह पहले भी जवाब दिया गया था और अब भी दिया गया है ।

श्री होरीलाल यादव—

जिस अधिकारी को हटाया गया उसका क्या कारण था ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

उन पर गबन और अनुशासनहीनता का चार्ज था ।

श्री रामदत्त—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय बहुगुणा जी को आप के दफ्तर की बात कैसे मालूम हो गयी ?

श्री अध्यक्ष—

मेरा दफ्तर बहुत बड़ा है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मुझको उद्योग मन्त्री के यहां से जो जवाब गया था उससे जानकारी हुई ।

कुमारी सरोजिनी तिवारी, ए० डी० ओ० , महिला द्वारा आत्महत्या

*३—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा तथा श्री बसी नकवी (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कुमारी सरोजिनी तिवारी, ए० डी० ओ०, महिला कोट्टा विकास खण्ड, जिला आगरा ने मई, १९६७ मास में आत्म हत्या कर ली है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

यह जो महिला ने आत्महत्या की है इस का मूल कारण क्या महिला मंगल योजना का समाप्त करना था ?

श्री चरणसिंह—

यह बेबुनियाद है ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

आपने यह किस आधार पर कहा कि यह बेबुनियाद है ?

(मुख्य मन्त्री को उत्तर के लिए नहीं बुलाया गया ।)

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

इस महिला की आत्महत्या का कारण क्या था ?

श्री चरणसिंह—

जो डायरी उन महिला की मिली है उस डायरी से मालूम होता है कि वह बहुत बीमार थीं और वह आत्महत्या तक का खयाल रखती थीं ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

इन महिला ने अपनी नौकरी काल में आत्महत्या के ६ महीने पहले बीमारी क कारण कितनी छुट्टी ली ?

श्री चरणसिंह—

न उन्होंने कोशिश की और न जरूरत समझती थीं ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

आत्महत्या करने वाली महिला बीमार थीं तो इसका इंवेस्टीगेशन किस डाक्टर ने किया और उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री चरणसिंह—

उसने कहां-कहां इलाज कराया यह मुझको मालूम नहीं है । उसके पास से जो डायरी मिली है उस डायरी में यह लिखा हुआ है कि वह अपने जीवन से दुखी हो चुकी थीं और वह बड़ी बीमार रहती थीं ।

आचार्य दीपंकर—

उस डायरी से यह बात जाहिर है कि वह अपने जीवन से बहुत दुखी हो चुकी थी तो उसका कारण बेरोजगारी था या कोई बीमारी थी जिसके कारण उसने आत्महत्या की ?

श्री अध्यक्ष—

यह वह बतला चुके कि बीमार थी ।

श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ?

श्री चरणसिंह—

मुझको नहीं मालूम है। वह तो गाड़ी के सामने आकर कट गईं। जब गाड़ी आयी तो वह महिला प्लेटफार्म पर बैठी हुयी थीं और जब गाड़ी आ गई तो वह दूसरी तरफ चली गईं और जब गाड़ी स्टार्ट हुयी तो वह पहिये के सामने कूद गईं।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिस महिला ने आत्महत्या की है वह उस समय सर्विस में थीं या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

मुझको यह नहीं मालूम है। लेकिन मैं अपने माननीय मित्रों से एक बात जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास पहले कोई खत आया था कि वह आत्महत्या करने जा रही हैं क्योंकि वह बेरोजगार हो गई हैं ? और अगर किसी सज्जन के पास यह खत आया हो तो मैं उसे लेना चाहूंगा ताकि और मजीद तहकीकात की जा सके। लेकिन पुलिस की इत्तला यह है कि वह बीमार रहती थीं।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के पास यह पत्र आया हो तो मैं जानना चाहूंगा। मैं उनकी इत्तला के लिये यह बताना चाहती हूं कि उनके साथ काम करने वाली बहन ने मुझे बताया है कि.....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको भाषण देने की अनुमति नहीं देता हूं।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जानना चाहा था इसलिये मैं जवाब दे रही हूं।

श्री अध्यक्ष—

तो फिर या तो पत्र होता या आप प्रश्न करिये।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सही नहीं है कि अगर वह बीमार भी थी और आपने उसे नौकरी से हटाने की नोटिस दी तो इस दुःख से कि आगे वह अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकेगी और बहुत दुखी हो कर उसने आत्महत्या की ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब हो चुका।

[२७ जुलाई, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

किच्छा चीनी मिल

*१—श्री रामदत्त तथा श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निकट भविष्य में किच्छा शुगर मिल को चालू करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक इस फैक्टरी के न चलाने का क्या कारण है ?

श्री हिम्मत सिंह--

विष्ट इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लि० किच्छा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन से वांछित ऋण प्राप्त करने के लिये ऋण की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हो गई हैं। अतएव इस परिस्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि किच्छा में कीनी मिल कब तक स्थापित होगी।

श्री रामदत्त--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस फैक्टरी को चलाने के लिये कितना धन ऋण के रूप में दिया गया है ?

श्री प्रभुनारायणसिंह--

लगभग ४० लाख रुपये।

श्री नेकराम शर्मा--

जब सरकार का ४० लाख रुपया इस फैक्टरी में लगा है और ऋण की शर्त वह पूरी कर नहीं पा रही है तो क्या सरकार इस फैक्टरी को स्वयं लेकर चलाने का प्रबन्ध कर रही है ? यदि हां, तो कब से इस योजना पर अमल हो सकेगा ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

अभी इस संबंध में सारे पहलुओं को देखा जा रहा है। सरकार इस पर सोच-विचार कर रही है। जांच हो रही है। इसके बाद समय निश्चित किया जा सकेगा।

श्री भीखालाल--

श्रीमन्, प्रश्न यह था कि फैक्टरी कब से चालू होने जा रही है इससे आशय था कि फैक्टरी स्थापित हो चुकी है सिर्फ चालू होने का सवाल है, लेकिन मंत्री जी ने जो कहा है उससे मालूम होता है कि फैक्टरी अभी स्थापित नहीं हुई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह स्थापित हुई है या नहीं ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

मान्यवर, जहां तक फैक्टरी के चालू करने का मतलब है। अभी फैक्टरी पूरी तौर से स्थापित नहीं हो पायी है तो फैक्टरी के चालू होने का समय कैसे निश्चित हो सकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि फैक्टरी की ओनरशिप कई दफा बदली है ? यदि हां, तो कौन इसका ओनर है और ४० लाख रुपया किसको दिया गया है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

जहां तक रुपया देने का प्रश्न है वह तो कम्पनी को दिया जाता है किसी मालिक को नहीं दिया जाता है। इसमें कई लोगों के शेयर्स हैं। सबके नाम मौजूद नहीं हैं। ऐसी दशा में सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री रामदत्त--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि ४० लाख रुपये का ऋण इस शर्त पर दिया गया था कि एक साल में फैक्टरी चालू कर देंगे ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

जी हां।

श्री रामदत्त---

जिस शर्त पर ऋण दिया था और फैक्टरी नहीं चली और उद्योग विभाग ऐसे तमाम ऋण वसूल कर रहा है जिनके उद्योग नहीं चले, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस फैक्टरी से रुपया वसूल करने के लिये कोई कार्यवाही की गई ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

मान्यवर, जो ऋण दिया गया है उससे पंजाब नेशनल बैंक की गारंटी है। दूसरी बात यह थी कि हमारे फायनेंस सेक्रेटरी और इंडस्ट्री सेक्रेटरी इसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में से थे। सरकार के सामने विचाराधीन है कि यह फैक्टरी कैसे चले। हम चाहते हैं कि किच्छा में फैक्टरी चले। इसलिये सारे प्रश्न पर सोच विचार हो रहा है।

मंत्रियों का वेतन

*२--श्री अंगनेलाल (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान मंत्रिमंडल में कितने मंत्री ऐसे हैं जो वहां वेतन ले रहे हैं जो पुरानी कांग्रेसी सरकार लेती थी और कितने ऐसे मंत्री हैं जो उससे कम वेतन ले रहे हैं और वह कितना वेतन है ?

श्री चरणसिंह---

पशुपालन मंत्री, उद्योग मंत्री तथा वित्त मंत्री ने अभी तक वेतन नहीं लिया है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य वही वेतन ले रहे हैं जो पिछली सरकार के मंत्री लेते थे।

राज्य कर्मचारियों की नजरबन्दी

*३--श्री नेकराम शर्मा---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने सरकारी कर्मचारी मई, १९६७ में आन्दोलन में गिरफ्तार हुये हैं या भारत रक्षा कानून में गिरफ्तार हुये हैं उनके क्या नाम हैं और किस-किस रैंक के हैं ?

श्री चरणसिंह---

मई, १९६७ में निम्नलिखित ६ सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुये हैं। इनमें से कोई भी भारत रक्षा कानून में गिरफ्तार नहीं हुये। क्रम संख्या २ से ६ तक प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट, १९५० के अधीन नजरबन्द किये गये हैं :

(१) श्री सुरेशचन्द्र बाजपेई, क्लर्क, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, लखनऊ।

(२) श्री गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव, प्रवर वर्ग सहायक, वित्त (क) १---विभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय।

(३) श्री छैल बिहारी श्रीवास्तव, हेड क्लर्क मेडिकल ऐंड हेल्थ निदेशालय, लखनऊ।

(४) श्री डी० एन० शर्मा, आफिस सुपरिन्टेन्डन्ट, डेवलपमेंट कमिश्नर कार्यालय, लखनऊ।

(५) श्री पी० एन० सुकुल, प्रवर वर्ग सहायक, पी० डब्ल्यू० डी० (बी-१), उत्तर प्रदेश, सचिवालय।

(६) श्री बी० डी० मिश्रा, सहायक अधीक्षक, मेडिकल विभाग, उत्तर प्रदेश, सचिवालय।

श्री नेकराम शर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के संबंध में होम मिनिस्टर ने यह कहा था कि सीमांत प्रदेश के जिलों में अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो उसको गिरफ्तार करके रखा जायेगा, तो फिर सरकारी कर्मचारियों को क्यों इस ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार करके रखा गया है ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने क्या कहा था इसका तो मुझे पता नहीं। लेकिन इस कानून के अन्दर उन्होंने जुर्म किया था इसलिये इसके अन्दर उनको नजरबन्द किया गया है।

माताटीला बांध संबंधी जांच

*४--श्री भीखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि माता टीला बांध के संबंध में जो जांच सतर्कता आयोग द्वारा १९६६ से चल रही है उसमें आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों से कागजात मांगने पर उनके पेश करने में हीला-हवाला किया जा रहा है जिससे जांच में बाधा पड़ रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरणसिंह--

जी नहीं।

लखनऊ में बिक्री-कर कार्यालय भवन का किराया

*५--श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)--

क्या वित्त मंत्री यह बतायेंगे कि लखनऊ बिक्री-कर कार्यालय भवन कितने वार्षिक किराये पर है तथा यह भवन किस व्यक्ति का है ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--

लखनऊ में बिक्री-कर कार्यालय भवन का वार्षिक किराया १२,००० रुपया है तथा यह भवन श्रीमती सईदा बेगम, धर्मपत्नी श्री नसीर उल्ला बेग, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद का है।

*६--श्री राधेश्याम धेकपूर--

क्या सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया है कि बिक्री-कर कार्यालय का स्थानान्तरण रोशन-दौला कचहरी में कर दिया जाय ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक संपन्न हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--

जी नहीं।

इन्टैक्सको रा सिल्क फक्टरीं, चौकाघाट, वाराणसी के कर्मचारियों का बोनस

*७--श्री ऊदल--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्टैक्सको रा सिल्क फैक्टरी, चौकाघाट, वाराणसी में जहां १५० कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वहां उनको बोनस कब से नहीं दिया गया और महंगाई तथा कपड़े की मजदूरी का रेट क्या है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

उक्त फैक्टरी में जहां ११५ श्रमिक कार्य कर रहे हैं केवल वर्ष १९६५-६६ का ही बोनस सब कर्मचारियों को नहीं दिया जा सका है।

श्रमिक अधिक बोनस चाहते थे तथा दोनों पक्षों ने उस वर्ष के बोनस का विवाद मध्यस्थ निर्णय के लिये छोड़ दिया है।

श्रमिकों को कोई अतिरिक्त महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है। मजदूरी पीस रेट पर आधारित है जो साढ़े तीन रुपये से ५ रुपये प्रतिदिन तक है।

मजदूरी का रेट तय करने का प्रश्न भी मध्यस्थ निर्णायक को निर्णय हेतु दिया गया है।

*८--श्री ऊदल--

क्या इस फैक्टरी में रेशम व शिल्क का हैंडलूम कपड़ा तैयार किया जाता है जिसको विदेशी खरीद कर ले जाते हैं? यदि हां, तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किस दर से?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

इंटक्सोको रा सिल्क फैक्ट्री नामक कोई कारखाना नहीं है। हां, इंटेक्सको रा सिल्क कम्पनी नाम का एक कारखाना अवश्य है। इस कम्पनी में रेशम व सिल्क का हैंडलूम कपड़ा तैयार किया जाता है। यह कम्पनी अपना सारा माल निम्नलिखित के हाथ बेचती है:

(१) इंडियन टैक्सटाइल कम्पनी प्राइवेट लि०, कलकत्ता,
(२) इंडियन टैक्सटाइल कम्पनी प्राइवेट लि०, बम्बई,
(३) बनारस आर्ट हाऊस, दिल्ली और
(४) सेन्ट्रल काटेज इंडस्ट्रीज इम्पोरियम, नई दिल्ली।

शेष प्रश्न के उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

*९-१०--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

[७वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, चांदपुर, मिसिरपुर की जांच

*११--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६४ में आजमगढ़ जिले की वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, चांदपुर, मिसिरपुर (महराजगंज), जिला आजमगढ़ की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने का आदेश सरकार द्वारा हुआ था? क्या उक्त जांच की रिपोर्ट का पूर्ण विवरण सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

(क) जी हां।

(ख) चूंकि जांच अभी जारी है, इसलिये पूर्ण विवरण सदन के सम्मुख रखने का प्रश्न नहीं उठता?

जेलरों का स्थायित्व

*१२- श्री नेकराम शर्मा--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने जेलर ऐसे हैं जो कन्फर्म नहीं हुये हैं? क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि कितने सालों से इनका कंफरमेशन रुका हुआ है और आज तक कन्फर्म न करने का क्या कारण है?

श्री चरण सिंह---

३७ स्थायी पद पर स्थानापन्न जेलरों का कन्फरमेशन होना है। ये पद निम्नलिखित वर्षों से स्थायी रूप से रिक्त हैं :--

वर्ष				पद की संख्या
१९६०	..	..	..	२
१९६१	..	..	..	१
१९६२	..	..	..	३३
१९६३	..	..	..	१
योग	..	..	..	३७

इन जेलरों के कन्फरमेशन के संबंध में लोक सेवा आयोग से पत्र-व्यवहार चल रहा है।

वाराणसी में पुलिस की गोली से हताहत

*१३-- श्री श्रीराम तिवारी---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत २१ अप्रैल को वाराणसी में पुलिस की गोली से कितने व्यक्ति हताहत हुये और गोली चलाने के क्या कारण हैं ?

श्री चरण सिंह--

२१ अप्रैल, १९६७ को वाराणसी शहर के मोहल्ला गोला हनुमान फाटक में पुलिस द्वारा चलायी गयी गोली से दो व्यक्तियों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और १५ व्यक्तियों को चोटें आयीं।

घटनास्थल पर एकत्रित भीड़ हिंसात्मक कार्यवाही कर रही थी जिससे स्थानीय लोगों के जीवन एवं सम्पत्ति तथा वहां उपस्थित सरकारी कर्मचारियों के जीवन को तथा सरकारी सम्पत्ति को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया था। उक्त भीड़ को तितर बितर करने के अन्य सारे प्रयास निष्फल हो जाने पर मजबूर हो कर गोली चलायी गई।

*१४---श्री श्रीराम तिवारी---

क्या सरकार इस गोलाकांड की जांच के लिये किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करेगी अथवा राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय झारखंडे राय जी (वर्तमान खाद्य व रसद मंत्री) द्वारा प्रस्तुत और पारित संशोधन के मद नं० ११ में वर्णित एक स्थायी जांच आयोग की नियुक्ति करेगी ?

श्री चरण सिंह---

इस गोली कांड की जांच के लिये हाईकोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त करने का विचार नहीं है। स्थायी आयोग की नियुक्ति के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

गोंडा एवं फर्रुखाबाद जिले में लकड़बग्घों तथा रामगंगा में घड़ियाल को मारने की प्रार्थना

*१५---श्री विशुन प्रताप सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि जिला शाहजहांपुर के थाने जैतीपुर के ग्राम मरेना के पास राम गंगा नदी में एक नाका (क्रोकोडाइल) आदम खोर हो गया है जिससे बड़ी परेशानी है और अभी हाल में उसने दो आदमी खा लिये हैं जिनमें एक पुलिस का सिपाही ग्राम शाहबाद थाना जैतीपुर का था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घड़ियाल के मारने के तुरन्त आदेश देगी ?

श्री चरण सिंह--

ग्राम मरेना के पास रामगंगा नदी की कुन्डी में एक नाका रहता जरूर है परन्तु उसने अब तक किसी व्यक्ति की जान नहीं ली है ।

*१६--श्री विशुन प्रताप सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या यह भी सही है जिला गोंडा और फर्रुखाबाद में लकड़बग्घों ने आतंक मचा रखा है और गत सप्ताह में दोनों जनपदों से अनेक बच्चे उठा ले गये ? यदि हां, तो सरकार ने उनको मारने के लिये क्या किया ?

श्री चरण सिंह--

यह सही नहीं है ।

श्रमहितकारी केंद्रों में चपरासियों की ड्यूटी

*१७--श्री इन्द्रलाल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि राज्य में राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों के चपरासियों को बारी-बारी से रात में चौकीदारी भी करनी होती है तथा दो ही चपरासी होने से प्रत्येक चपरासी को १२ घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है तथा रात को चौकीदारी करने वाले चपरासी को जब दिन में मुख्य कार्यालय डाक ले जानी होती है तो इस दशा में उसे २४ घंटे की ड्यूटी करनी पड़ जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे इन चपरासियों को अन्य चपरासियों की तरह दिन में ७ घंटे ही काम करना पड़े ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रभुनारायण सिंह--

राज्य के प्रत्येक श्रम हितकारी केन्द्र के लिये दो चपरासी-कम-चौकीदार के पद स्वीकृत हैं। अतः इन्हें बारी-बारी से रात में चौकीदारी करनी होती है। ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं जब इन्हें मुख्य कार्यालय में डाक लगाने जाना पड़ता हो ।

चूंकि डाक लगाने का कार्य केन्द्रों में बहुत कम है, अतः इसके लिये अलग से चपरासी के पद की व्यवस्था करना कार्य और मितव्ययिता की दृष्टि से उचित नहीं समझा गया ।

वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

*१८--श्री इन्द्रलाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए १९६५-६६ के बजट में प्राविधान किया गया था, तो उसकी सिफारिशों को भिन्न-भिन्न तिथियों से क्यों लागू किया गया ? जबकि उक्त समिति की एक सिफारिश आदेश निकालने की तिथि से यानी ८ नवम्बर, १९६६ से लागू हुई है ?

श्री रामस्वरूप वर्मा--

चूंकि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट अप्रैल, १९६५ में प्राप्त होने की सम्भावना थी इसलिए उसे समिति की सिफारिशों को यथासम्भव कार्यान्वित करने के लिए १९६५-६६ के बजट में मोटे अनुमान पर एक मुश्त प्राविधान किया गया था । जहां तक सिफारिशों के लागू करने की तिथि का प्रश्न है सरकार ने सामान्य तौर पर यह सिफारिशें उसी तिथि से लागू की है जिस तिथि से समिति ने इन्हें लागू करने की संस्तुति की थी। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण करने वाली सिफारिश के सम्बन्ध में समिति के प्रतिवेदन में यह संकेत नहीं था कि उसे किस तिथि से लागू किया जाय। इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका, खंड २,

भाग २ व ४, में संशोधन करके एक नया मूल नियम २२-बी बनाना पड़ा। यह नियम गजट में ८ नवम्बर, १९६६ को प्रकाशित किया गया और इसी लिए सामान्य कार्य संचालन प्रथा के अनुसार उक्त तिथि से ही वह नियम लागू हुआ है।

पुलिस कप्तान, शाहजहांपुर द्वारा रात्रि विश्राम एवं ट्रंककाल

*१९—श्री रामनाथ (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के पुलिस कप्तान ने एक सितम्बर, सन् १९६६ से १० जून, सन् १९६७ तक कितने रात्रि विश्राम जिले के देहातों में किए और इसी अवधि में कितने कत्ल तथा डकैतियों के मौके पर मुआइने किए?

श्री चरणसिंह—

१ सितम्बर, सन् १९६६ से १० जून, सन् १९६७ के बीच जिले के देहातों में कोई भी रात्रि विश्राम नहीं किया। इसी अवधि में उन्होंने १३ कत्ल व ८ डकैतियों के मौकों का निरीक्षण किया।

*२०—श्री रामनाथ—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कप्तान शाहजहांपुर ने १ सितम्बर, १९६६ से १० जून, १९६७ तक कितने ट्रंककाल सरकारी तथा निजी किये, उनका पेमेन्ट कितना दिया गया और कहां से दिया गया?

श्री चरणसिंह—

पुलिस कप्तान महोदय ने १-९-६६ से ३०-४-६७ के बीच १४४ सरकारी तथा ४३ निजी ट्रंककाल किए। सरकारी ट्रंक काल का व्यय ६,२८ रु० ३० पैसे शासन के कोष से दिया गया और निजी ट्रंक काल का व्यय ४५ रु० ५० पैसे एस० पी० ने अपने पास से दिया। मई, जून के बिल अभी प्राप्त नहीं हुए।

बदायूं जिले में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंसों की स्वीकृति

*२१—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं में २५ अप्रैल से १५ जून, सन् १९६७ तक कितने बन्दूक, रिवाल्वर, राइफिल के लाइसेन्स सस्पेंड किये गये तथा इसी अवधि में कितने नये लाइसेन्स मन्जूर किए गए?

श्री चरणसिंह—

जिला बदायूं में २५ अप्रैल, १९६७ से १५ जून, १९६७ तक १६ बन्दूक तथा १ रिवाल्वर के लाइसेन्स सस्पेंड किए गए तथा इसी अवधि में ११९ बन्दूक व ३ रिवाल्वर के नए लाइसेन्स स्वीकार किए गए।

रेलवे मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

*२२—श्री शराफतहुसैन रिजवी—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक ४ जून, १९६७ को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने रेलवे-मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई और उनके नाम क्या हैं? नियुक्ति से पूर्व वे सरकार के किस विभाग में कार्य करते थे?

श्री चरणसिंह—

दिनांक ४-६-६७ को सरकार द्वारा किसी रेलवे मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की गई है।

श्री हरीसिंह, थानाध्यक्ष, सराय इनायत की हत्या

*२३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद के थाना सराय इनायत के थानेदार को ३ जून, १९६७ को थाने पर कत्ल कर दिया गया ? यदि हां, तो इस घटना का पूरा विवरण क्या है ?

श्री चरणसिंह—

थाना सराय इनायत के थानेदार का कत्ल दिनांक ३–६–६७ को नहीं किया गया था बल्कि दिनांक ४–५ जून, १९६७ की रात्रि को जब श्री हरीसिंह इंचार्ज थाना सराय इनायत, जिला इलाहाबाद, अपने क्वार्टर के भीतर आंगन में सो रहे थे तो लगभग १–३० बजे रात्रि में ३–४ बदमाश क्वार्टर के अन्दर घुस आये। उन्होंने श्री हरीसिंह तथा उनकी पत्नी को लाठियों से चोटें पहुंचाई, जिससे हरीसिंह व उनकी पत्नी बेहोश हो गए। दिनांक ६ जून, १९६७ को ११–४५ बजे दिन अस्पताल में श्री हरीसिंह की मृत्यु हो गई।

इलाहाबाद जिले में पुराने थानेदार

*२४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलाएगी कि इलाहाबाद जिले में कितने थानेदार ऐसे हैं जो तीन वर्ष से अधिक इलाहाबाद में तैनात हैं ?

श्री चरणसिंह—

ऐसे ४९ सब-इन्सपेक्टर हैं।

शिवरतनगंज थाने में अपराध

*२५—श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली थाना शिवरतनगंज में १५ मार्च, सन् १९६७ ई० से १६ जून, १९६७ तक कत्ल, चोरी, डकैती, राहजनी की किन-किन ग्रामों में और किसके यहां कितनी वारदातें हुयीं और उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

इस अवधि में थाना शिवरतनगंज के अन्तर्गत कत्ल, डकैती और राहजनी की कोई घटना नहीं हुई है। चोरी की १० घटनायें हुई हैं जिनके सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०९ पर)

बासगांव तहसील में उद्योग

*२६—श्री उग्रसेन, श्री मधुकर दिघे तथा श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में सरकार अगले वर्ष कौन-कौन से नये उद्योग खोलने जा रही है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में अगले वर्ष सरकार का कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करने का विचार नहीं है।

रामगंगा परियोजना, कालागढ़ का मजदूर आन्दोलन

*२७—श्री रामनारायण (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालागढ़ (बिजनौर) में मजदूर आन्दोलनकारियों ने हाल ही में किसी प्रकार की अपनी सरकार का गठन कर लिया था, जिसके सुरक्षा मन्त्री ने प्रदेशीय सरकार के पुलिस अधिकारियों तथा कालागढ़ योजना के अधिकारियों के लिए समय-समय पर आदेश निकाला था ?

श्री चरणसिंह—

रामगंगा परियोजना, कालागढ़ (बिजनौर) के मजदूर आन्दोलनकारियों ने अपने, हाल ही के आन्दोलन के दौरान, अपने संगठन को एक प्रशासन जैसा स्वरूप दिया था। उदाहरणार्थ, उनके स्वयं घोषित सुरक्षा मन्त्री ने जिला अधिकारियों से अपने ३ मई के एक पत्र में यह अनुरोध किया था कि वे आन्दोलन के दौरान वर्कचार्ज कालोनी में पुलिस की ड्यूटी न लगायें अन्यथा शान्ति भंग होने की जिम्मेवारी पुलिस की होगी।

पेन्शन

*२८—डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

क्या यह सही है कि सरकार सरकारी रिटायर्ड व्यक्तियों के पेंशन की रकम बढ़ाने जा रही है? यदि हां, तो कब से?

श्री रामस्वरूप वर्मा—

जी नहीं।

गोसाईगंज थाने में धारूपुर की डकैती

*२९—श्री राजबली (जिला फैजाबाद) तथा श्री बृजकिशोर (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद के ग्राम धारुपुर, थाना गोसाईगंज में लगभग १ जून, १९६७ को एक डकैती पड़ी है जिसमें डाकुओं की गोली से दो आदमी मारे गए और डाकुओं ने काफी देर तक लूट-मार किया तथा उक्त गांव, थाना गोसाईगंज से एक मील के फासले पर है? क्या उस डकैती के सिलसिले में कोई गिरफ्तारी की गई है? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

श्री चरणसिंह—

थाना गोसाईगंज, जिला फैजाबाद के अन्तर्गत ग्राम धारूपुर में दिनांक, २८/२९-५-६७ की रात में एक डकैती पड़ी। डाकुओं की गोली से एक आदमी की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई थी और दूसरे की मृत्यु गोली से लगी चोटों के फलस्वरूप अस्पताल में हुई। डाकुओं ने लगभग १ घन्टा तक लूटमार की किन्तु किसी ने इस बीच थाना गोसाईगंज पर जो गांव से पैदल के रास्ते २ मील पर है, इसकी कोई सूचना नहीं दी।

डकैती के सिलसिले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जांच जारी है।

कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन की कथित कोठियां

*३०—श्री हरीसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर महोदय ने देहरादून, मेरठ और गाजियाबाद में अपनी कोठियां अपनी नौकरी के समय में बनाई हैं? यदि हां, तो उन

कोठियों की क्या लागत है और क्या उक्त कोठियों के लिए सरकार से कोई कर्जा लिया गया था ? अगर नहीं, तो लखनऊ डिवीजन कमिश्नर महोदय के पास यह धन कहां से आया ?

श्री चरणसिंह—

श्री बी० डी० सनवाल ने देहरादून, मेरठ और गाजियाबाद में कोई कोठी नहीं बनाई। प्रश्न के दूसरे भाग नहीं उठते।

मेसर्स मुहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी के कर्मचारियों का देय धन

*३१—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत पीपुल्स टेनरी मुहम्मदाबाद के कर्मचारियों के भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन की अक्तूबर, सन् १९६७ की रिपोर्ट के आधार पर १२॥ रुपया वेतन बढ़ोत्तरी का मिल रहा है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

मेसर्स मुहम्मदाबाद पीपुल्स टेनरी (प्राइवेट) लिमिटेड, जिला फर्रुखाबाद के प्रबन्धकों ने दिनांक, १०-७-६७ को अपने श्रमिकों को चमड़ा उद्योग के केन्द्रीय वेतन मण्डल की सिफारिशों के अनुसार अन्तरिम सहायता देना प्रारम्भ कर दिया है। १८-७-६७ तक प्रबन्धकों ने कुल ६७ श्रमिकों में से ५० श्रमिकों को चालू अन्तरिम सहायता तथा पूरे बकाये (एरियर) का भुगतान कर दिया है। शेष श्रमिक उक्त पावने को अनुपस्थिति के कारण एकत्रित नहीं कर सके थे, आशा है कि यह श्रमिक भी शीघ्र ही उक्त भुगतान प्राप्त कर लेंगे।

*३२-३३—श्री सरदार सिंह, श्री ऊदल तथा श्री रघुवीर—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

एस० डी० एम०, बिसवां के खिलाफ शिकायतें

*३४—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एस० डी० एम० बिसवां, जिला सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की सरकार को गत २ मास में कितने शिकायती-पत्र बिसवां के नागरिकों से प्राप्त हुए हैं और उनके बारे में किस अधिकारी ने जांच की तथा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—

तीन शिकायती-पत्र प्राप्त हुए जिनको जांच के लिए जिलाधीश को भेज दिया गया था। जिलाधीश की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जो विचाराधीन है।

नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित पारगमन अनुमति पत्र नियमावली

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं नगरपालिका (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५३४-बी/११-ग-७५-६१, दिनांक २७ अप्रैल, १९६७ द्वारा प्रख्यापित पथकर, "चुंगी या सीमा-कर या इन करों में से कोई दो अथवा सभी तीनों को लगाने वाले नगर महापालिकाओं के लिए पारगमन अनुमति-पत्र नियमावली" को, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गई।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तीसरा संशोधन) नियमावली, १९६६†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री वरमेश्वर पाण्डेय)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३२२४-टी/३०-बी-४३-पी—६४, दिनांक १७ मई, १९६७ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स तीसरा (संशोधन) नियमावली, १९६६" को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, १९६७*

शिक्षा उपमन्त्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं शिक्षा (ग-१) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ग-१/(आर)-४९३९/१५-३९ (७४)—१९६६, दिनांक १५ जुलाई, १९६७ द्वारा प्रख्यापित, "कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, १९६७" को, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा ५० की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उर्दू के सम्बन्ध में घोषणा में कथित गलत बयानी के सम्बन्ध मे मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आयी है, माननीय चन्द्रबली की तरफ से। वह इस प्रकार है— "कल विधान सभा में मुख्य मन्त्री श्री चरणसिंह ने उर्दू को जो देश की संवैधानिक भाषा है किसी खास मजहब की भाषा कहा है, साथ ही जो घोषणा की है वह पहले की है किन्तु मन्त्रि परिषद् की राय करके नयी घोषणा की जा रही है, की संज्ञा दी है। दोनों बातें जानबूझ कर सदन और प्रदेश की जनता और उर्दू मुहाफिज दस्ते-सब को धोखा एवं आंख में धूल झोंकने के लिए कहा है। अस्तु, इसे विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर विचार एवं छानबीन किया जाय।

स्पष्टीकरण (विशेष टिप्पणी)

चूंकि उर्दू की रक्षा का आन्दोलन जोर पकड़ रहा है और संविद ने उर्दू को दूसरी जबान घोषित करने का वादा किया है, संविद के उर्दू जानने वाले सदस्यों ने दूसरी जबान घोषित करन का दबाव दे रहे हैं। इसीलिए श्री चरणसिंह ने इस पर पर्दा डालने के लिए उपरोक्त धोखाधड़ी की घोषणा कर दी है। पूर्व घोषणाएं और आज की घोषणा दोनों प्रमाण हैं।"

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, उर्दू के सिलसिले में एक तो माननीय मुख्य मन्त्री ने यह कहा कि किसी खास सम्प्रदाय की भाषा है, हालांकि संविधान में १४ भाषाओं के अन्दर है और उत्तर प्रदेश के किसी सम्प्रदाय की भाषा नहीं है। सहारनपुर में या और जगह मुझे खुद मालूम है हिन्दू लोग भी, मुसलमान लोग भी, बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष—

उर्दू भाषा क्या है, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे पैदा होता है?

---

†छापी नहीं गयी।
*छापा नहीं गया।

श्री चन्द्रबली—

किसी सम्प्रदाय की भाषा न होते हुए शासन की तरफ से सम्प्रदाय की भाषा कहा गया।

श्री अध्यक्ष—

किसके विशेषाधिकार की अवहेलना हुई ?

श्री चन्द्रबली—

बता रहा हूं, सुनिए न। दूसरे जो घोषणा उन्होंने की वह पहले से चली आ रही है और उसको कहा कि नयी सरकार ने बैठ कर तय किया है कि एक नयी सुविधा देने जा रहे हैं, तो जो सुविधाएं पहले की थीं उसी की फिर घोषणा करके तो सबसे पहले यह सदन को धोखा देना है।

श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)—

श्रीमन्, व्यवस्था के प्रश्न पर मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य लगभग वही कह रहे हैं जो आपने पढ़ा है और समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि उनको अधिकार है। जिन्होंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है वह बहुत संक्षेप में कह सकते हैं।

श्री चन्द्रबली—

उर्दू मुहाफिज दस्ते वालों ने आन्दोलन शुरू किया और एक सज्जन आमरण अनशन भी कर रहे हैं, इसलिए उस आन्दोलन को दबाने के लिए यह बनावटी वक्तव्य मुख्य मन्त्री ने दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आपको तो यह बताना है कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे हुआ।

श्री चन्द्रबली—

जो पहले से नहीं आया हो उसको न बताकर पहले से जो चला आया है उसको ही घोषणा करके सदन को गुमराह किया गया है।

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

श्रीमन्, जहां तक मुझको याद पड़ता है, हालांकि वह बयान मेरे सामने इस समय नहीं है, लेकिन मैंने उर्दू को किसी सम्प्रदाय विशेष की भाषा नहीं बतलाया। अगर माननीय मित्र के पास मेरा वह बयान हो तो उसमें से पढ़कर सुना दें।

दूसरे यह कहना है कि जो कुछ पहली सरकार ने किया था उसी को केवल दोहरा दिया गया है और इसलिए मैंने जनता और हाउस को मिसलीड किया है। उसके मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो दो सुविधाएं बतलायी थीं वह पहले नहीं थीं। मसलन् पहले डिस्ट्रक्ट हेडक्वार्टर तक वह सुविधा थी, अब उसको हमने तहसील हेडक्वार्टर तक एक्सटेंड कर दिया है। ३२ तहसीलें उससे प्रभावित होंगी। अगर माननीय मित्र बतला दें कि पहले यह सुविधा थी तहसील वालों तो मैं अपनी गलती मान लूंगा। दूसरे कुछ इम्पार्टेन्ट आदेश, रूल्स और रेगुलेशन्स और लाज के लिए उर्दू गजट में भी प्रकाशन कर इन जगहों में पहुंचाए जावेंगे। अगर हम सुविधा पहले से हासिल थी तो माननीय मित्र बतला सकते हैं तो भी मैं अपनी गलती मान लूंगा, लेकिन यह सुविधा पहले से नहीं थी।

फिर आपका यह कहना कि मैंने धोखा दिया है मैं इसको निहायत अनुचित बात मानता हूं। यह मेरे माननीय मित्र के दिल के अन्दर जो जहर है उसका द्योतक है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां तक मुनासिब है यह कहना कि मैंने जानबूझकर धोखा दिया है, यह लफ्ज हूं और मैंने जानबूझकर सदन को, प्रदेश की जनता को, उर्दू मुहाफिज दस्ते को सबकी आंखों में धूल झोंककर गुमराह किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार की बात पर एतराज करता हूं और कहता हूं कि मेरे नजदीक ये शब्द अनपार्लियामेंटरी हैं और शायद बीच आफ प्रिविलेज में भी यह बात आती हो।

श्री अध्यक्ष—

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) आप जरा मेरी बात सुन लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय चन्द्रबली सिंह ने मुख्य मन्त्री जी के जिस बयान की बात कही है वह बयान मेरे पास है, मैं उसमें से पढ़ देना चाहता हूं ताकि सदन को जानकारी हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह बयान सदन के बाहर का है या सदन के अन्दर का?

श्री उग्रसेन—

सदन के अन्दर का है।

श्री अध्यक्ष—

तो माननीय उग्रसेन जी, फिर यह समझ लेना चाहिये कि वह सब माननीय सदस्यों को मालूम है ही।

श्री उग्रसेन—

माननीय चन्द्रबली जी को मालूम नहीं है। मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस दे रहा हूं। कार्यवाही के अंश इस प्रकार हैं . . . .

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, आप बैठिये। मैंने वह बयान स्वयं मंगवाया है, मैं देखूंगा।

श्री उग्रसेन—

मैं सिर्फ एक वाक्य सुनाऊंगा। उन्होंने कहा है कि "उर्दू बोलनेवालों" और उन्होंने यह नहीं कहा है कि "किसी सम्प्रदाय विशेष की" और इसलिये मैं चन्द्रबली सिंह जी के खिलाफ विशेषाधिकार अवहलना की नोटिस देता हूं कि उन्होंने जानबूझकर सदन को गुमराह किया।

श्री चन्द्रबली—

मैं आपकी इस नोटिस का स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जायें।

श्री चन्द्रबली—

आप इजाजत नहीं देंगे तो बैठ ही जाऊंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जो यह प्रश्न है, नित्य प्रति विधान सभा में यह प्रश्न आता है। माननीय मुख्य मंत्री, मंत्रिगण और उग्रसेन जी जैसे सदस्य यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, उससे उनकी जो मांगें हैं वे सन्तुष्ट हो जाती हैं । किन्तु आज भी उर्दू वालों का अनशन चल रहा है और एक पार्लियामेंट के सदस्य भी इनके साथ अनशन कर रहे हैं . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यदि आप अनुमति दें तो मैं उसे डील करूंगा । आप शान्त होकर बैठिये ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है, मुख्य मंत्री जी जो कह रहे हैं कि उर्दू के बारे में उन्होंने जो घोषणायें की हैं, नई नई सुविधायें दी हैं, लेकिन उर्दू के जो अगुवा हैं . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह बड़ा अशोभनीय है कि यदि कोई बोल रहा हो तो उसके बीच में आप बोलें । कृपा करके हमें सहायता दें । माननीय कृष्णानन्द राय जी को आप कहने दें, यदि वह व्यवस्था के प्रश्न में कोई अव्यवस्था करेंगे तो मैं उस पर बाद में कहूंगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

उर्दू वालों को कुछ नई सुविधायें दी गयी हैं . . . .

श्री अध्यक्ष—

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है, यह बतायें ?

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

देखिये, श्रीमन्, यह लोग हमें बोलने ही नहीं देते हैं, मैं कैसे आगे जाऊं ।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे सम्बोधित करके अपनी बात कहना जारी रखें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

लेकिन श्रीमन्, वास्तविकता यह है कि उर्दू के लिये अनशन करने वालों की बात हम लोग जानते हैं, लेकिन अब उनके साथ एक एम० पी० भी अनशन कर रहे हैं तो यह कैसे माना जाये कि उनको सुविधायें मिल गयी हैं ?

(व्यवधान)

आदरणीय सदस्य लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं जिससे विदित है कि यह जनता को भ्रम में डाल रहे हैं । (व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इतना कान्ट्राडिक्टरी इन्टरप्रेटेशन हैं सदन में और बाहर भी। मंत्री जी समझ रहे हैं कि वह सुविधा दे रहे हैं, किन्तु हम लोग और उर्दू वाले ऐसा समझते हैं कि यह बात सत्य नहीं है । तो इसकी छानबीन होनी चाहिये, वह चाहे सदन द्वारा हो या अन्य किसी तरीक से । इतना बड़ा अन्तर है मंत्रियों की व्याख्याओं में और सदन के दूसरे सदस्यों में, तो इसके बारे में आप क्या व्यवस्था देना चाहते हैं ?

131849

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप बैठिये । व्यवस्था का प्रश्न उठाया या नहीं, यह मैं निश्चित करूंगा । सब लोग अपनी-अपनी जगह पर इसे नहीं निश्चित करेंगे । अवसर ऐसा हो सकता है कि कोई माननीय सदस्य अनजाने या जानबूझ कर व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर ऐसा प्रश्न उठा दें जो व्यवस्था का प्रश्न न हो, तो उस पर मुझे अपनी व्यवस्था देनी होगी । सभी लोग बोलेंगे, तब तो वह अव्यवस्था हो जायेगी । मुझे इस बात का दुख है कि माननीय कृष्णानन्द राय जी जैसे सदस्य के द्वारा यह व्यवस्था का प्रश्न उठा, वह कोई नये सदस्य नहीं हैं, वह पुराने सदस्य हैं और विज्ञ भी हैं, वह व्यवस्था का प्रश्न होता नहीं । अच्छा होता यदि यह प्रश्न उन्होंने न उठाया होता और मुझे यह व्यवस्था न देनी पड़ती । इसलिये मैं आशा करूंगा कि व्यवस्था के वही प्रश्न यहां पर आयें जिनमें कोई वैधानिक कठिनाई हो । माननीय चन्द्रबली सिंह ने जो हमारे सामने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है मैं उस प्रश्न को कतई विशेषाधिकार की बात नहीं मानता । मैं यह समझता हूं कि उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह सन्तुलित थी । जब आप यह कहते हैं कि किसी माननीय मंत्री या मुख्य मंत्री ने धोखादेही की या जानबूझकर सदन को गुमराह किया तो फिर एक बहुत बड़ा दायित्व उन माननीय सदस्य के ऊपर आ जाता है । वह स्वयं आश्वस्त हों.....

श्री चन्द्रबली—

मेरी बात सुन लीजिये.....

श्री अध्यक्ष—

जब मैं बोल रहा हूं तो फिर आप किस नियम के अनुसार खड़े हो गये ?

श्री चन्द्रबली—

मुझे आप सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपा कर बैठ जायं । यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न है इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो माननीय सदस्य विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने वाला होगा उसको नियम के अनुसार अध्यक्ष सुनेंगे । "यदि इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष के मत में विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान की सूचना सम्मति योग्य तथा ग्राह्य हो तो वे उस मामले को विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट कर सकेंगे और उसकी सूचना सदन को देंगे । यदि अध्यक्ष के मत में सूचना अग्राह्य हो तो वे अस्वीकृत की सूचना सदन को देंगे । किन्तु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझेंगे तो अपना निर्णय देने के पूर्व सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे ।" अध्यक्ष ने आवश्यक समझा तो पना निर्णय देने के पूर्व सम्बन्धित सदस्य को सुन लिया । उसके बाद मुख्य मंत्री जी को भी सुन लिया, तो अब क्या रह गया ?

श्री चन्द्रबली—

जो आपने जानबूझ कर धोखा देने वाली बात कही है जब विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल आयेगा और उसमें हम जानबूझ कर नहीं कहे रहे होंगे, तो फिर विशेषाधिकार का सवाल किस काम के लिये आयेगा ? इस तरह के शब्दों को निकालने या बैठाने की बात तो आप समझ सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप फिर कौन से नियम के अनुसार खड़े हो गये ?

श्री चन्द्रबली—

लगातार रोज इस तरह की बात जानबूझ कर पढ़ी जाती है । इसलिये आज कोई नई बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

जो आपत्ति यहां से आये उसके हर शब्द पर आप अपना स्पष्टीकरण करके अपना निर्णय दिया करें इसका अधिकार आपको या किसी माननीय सदस्य को ही हो सकता है, यह मैं नहीं जानता ।

मैं यह कह रहा था कि जानबूझ कर गलत बयानी करना और चीज है । जिस शब्द पर मैं आपत्ति कर रहा था वह धोखा देने वाली बात पर आपत्ति कर रहा था और मैं बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि आप खड़े हो गये । मैं यह कहने जा रहा था कि जब कोई माननीय सदस्य इस बात का आरोप लगाये कि किसी दूसरे सदस्य या मंत्री ने धोखा दिया या जानबूझ कर गलत कहा, तो उन माननीय सदस्य के ऊपर एक बड़ा भारी दायित्व आ जाता है । पहले सुनिश्चित तथ्य होने चाहिये । जब तक सुनिश्चित तथ्य न हों इस प्रकार का आरोप गलत है । मैं इस का अध्ययन करने के बाद इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि इसमें कोई गलत बयानी नहीं हुई है । कल जो स्टेटमेंट हुआ था उसमें माननीय मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि कुछ नई सुविधाएं देना मंजूर कर लिया गया है । आप कहते हैं कि कोई सुविधा नहीं दी । यदि पुरानी सुविधा को ही दोबारा देने को कहकर जारी कर दिया जाय तब भी यह जानबूझ कर धोखा देने की संज्ञा में नहीं आता और न विशेषाधिकार की परिधि में आता है । यहां पर इसमें हमारा इतना सम्बन्ध है कि उन्होंने ऐसी सुविधा दी जो पहले नहीं मौजूद थी । वह किसी तरह से भी इसके अन्दर नहीं आता है इसलिये यह प्रश्न समाप्त हो गया ।

श्री चन्द्रबली—

आप जानबूझ कर की बात तो मंजूर करेंगे और धोखे की बात मंजूर नहीं करेंगे । दोनों में नीयत की बात आती है तो वही जानबूझ कर धोखा देने की बात है ।

श्री अध्यक्ष—

यदि इस प्रकार से रनिंग कमेन्टरी मेरी व्यवस्था के ऊपर होगी तो यह बिलकुल मर्यादा के विरुद्ध है । धोखा देना या जानबूझ कर गलती करना शब्दों के प्रयोग में ऐतराज नहीं है, लेकिन मैंने यह कहा कि इसका आपके ऊपर बड़ा भारी दायित्व है कि कोई सुनिश्चित तथ्य से जब तक आप स्वयं आश्वस्त न हो जायं तब तक आपको ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिये । मैंने यह कहा कि मैं इस निश्चय पर आया कि न इसमें धोखा देने का प्रश्न आता है, न इसमें जानबूझ कर गुमराह करने की बात आती है । यह मैंने अपना निश्चय दिया ।

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल सूबे के कुछ जिलों में उर्दू बोलने वालों के लिये कुछ सुविधायें देने की बात कही । तो मैं जिस जिले का रहने वाला हूं वहां भी उर्दू बोलने वालों की संख्या काफी है । इसलिये हम लोगों को भी वही सुविधायें मिलनी चाहियें ।

श्री अध्यक्ष—

जो बात आप पूछना चाहते हैं वह प्रश्नों के द्वारा पूछ सकते हैं । जो सवाल आपका है अगर आप मेरे पास लिख कर भेजेंगे तो मैं विचार करूंगा । इस वक्त कोई मौका नहीं है कि प्रश्न किया जाय ।

श्री शब्बीर हसन—

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि उर्दू वालों की बात सुनी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन इस वक्त इसका मौका नहीं है । आपका फर्ज है कि इस तरह का कोई प्रश्न करने से पहले नियम की किताब को भी पढ़ लें ।

श्री शब्बीर हसन—

कानून उर्दू में आ जायगा तो उसे भी पढ़ लेंगे ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, उर्दू के विषय में हमारे कुछ साथियों ने माननीय मुख्य मंत्री को कहा कि उन्होंने धोखा दिया, बिलकुल साफ बात है, लेकिन २० साल तक जो हुकूमत में रहे उन्होंने तो उर्दू को खोद कर नीचे गाड़ दिया और आज उर्दू का बहाना लिया जा रहा है । मुझे तो नेता विरोधी दल के भाषण में धोखा लगता है जिन्होंने कहा कि मैं उर्दू को सेकेंड जबान की मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय बाबू बदरे, कृपा करके आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें । अगर कोई कानूनी बात थी, वैधानिक आपत्ति थी तो आपको खड़ा होना चाहिये । इस तरह की बात पर भाषण देने के लिये खड़ा होना उचित नहीं था ।

कतिपय विषय

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक अन्य सदस्य के खड़े हुये पर आप बैठ जायं, मैंने पहले इनको इजाजत दी है । माननीय कृष्णानन्द राय मेरी अनुमति से खड़े हुये हैं, इसलिये आप कृपा करके बैठ जायें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि सोमवार को मैंने एक बात जाननी चाही थी कि इस सदन में असेम्बली का कार्यक्रम आप बतला दें । आपने कहा कि मंगलवार को मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस असेम्बली का कार्यक्रम बतला दे । श्रीमन्, मंगलवार भी बीत गया । तो श्रीमन्, बतलाया जाय कि क्या कार्यक्रम होगा असेम्बली का ? हम लोग घर जायें या हमें यहीं रहना है ?

श्री अध्यक्ष—

ऐसा मैंने अवश्य कहा था । कल तक तो बजट पर ही मतदान चला, उसके बाद दो रोज का कार्यक्रम स्वयं ही आ गया जिसकी परसों घोषणा हुई थी । कल तो असरकारी दिवस है ही । उसके बाद का कार्यक्रम क्या है, माननीय मुख्य मंत्री से मैं कहूंगा कि जल्द से जल्द सदन को बतला दें या आज ही अपराह्न में बतला दें ।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

मैं शाम को बतला दूंगा ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है..... (व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पहले आप मेरी बात सुनें ।

श्री अध्यक्ष—

देखिये मंजूर अहमद साहब, व्यवस्था का प्रश्न इस तरह से नहीं उठाया जाता ।

(व्यवधान)

यह अनुचित है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । जब वह बैठ गये और नवल किशोर जी खड़े हुए तो आप खड़े नहीं हुये । मैं आपको अवसर दूंगा अगर आप खड़े होंगे वरना नहीं ।

श्री नवल किशोर—

मेरा प्रश्न यह है कि यदि एक बार आप सदन में व्यवस्था दे दें तो क्या किसी अखबार में आपकी व्यवस्था के ऊपर कोई व्यक्ति या अखबार किसी प्रकार की टीका टिप्पणी या आलोचना कर सकता है ? मान्यवर, आज मैंने "पायोनियर" में पढ़ा कि कल जो आपने व्यवस्था दी थी उस पर काफी आलोचना और टीका टिप्पणी आपकी व्यवस्था पर की गयी है । मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और जानना चाहता हूं कि यह कहां तक उपयुक्त और उचित है ।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न आपने उठाया इसकी सूचना तो मेरे पास है नहीं और यद्यपि मैंने स्वयं भी वह अखबार पढ़ा तो मैं उस पर विचार करूंगा । एक गम्भीर विषय है और उस पर वैधानिक दृष्टिकोण से देखना होगा कि वह टिप्पणी कहां तक उचित थी और वे तमाम बातें विचारधीन हो सकती हैं ।

श्री मंजूर अहमद—

व्यवस्था का सवाल है । इस सदन में कुछ ऐसी बात हो रही है कि जो सदस्य २० साल से उर्दू सीखने वालों पर कुल्हाड़ा चलाते रहे और दफनाते रहे उर्दू को, वह आज उर्दू की बात कहें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंजूर अहमद सुनें । इस तरह से व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े हो कर भाषण देने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है यह अशोभनीय और अनुचित है । मुझे मजबूरन जो अधिकार है व्यवस्था के प्रश्नों के संबंध में, उसका प्रयोग करना पड़ेगा । अगर इस तरह से व्यवस्था के प्रश्न का दुरुपयोग करेंगे तो मुझे अधिकार है कि मैं उस दिन उन माननीय सदस्य को फिर व्यवस्था के प्रश्न पर न सुनूं ।

श्री जितेन्द्रनाथ मिश्र के पुनः संयुक्त विधायक दल में सम्मिलित होने के संबंध में सूचना

श्री बदन सिंह (जिला एटा)—

मैं बदन सिंह, सदस्य विधान सभा, आज कांग्रेस को छोड़कर जन कांग्रेस में शामिल हो गया हूं ।

श्री किशनसिंह (जिला मुरादाबाद)—

मैं अपने कांग्रेसी साथियों के साथ यहां आ गया हूं ।

श्री अध्यक्ष—

कुछ सदन की स्वतंत्र प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं । मैंने ऐसी परिपाटी डाली थी क्योंकि यह अदल बदल इतनी जल्दी होता है, कल भी सूचना आयी थी कि एक सदस्य एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं और दो घंटे के बाद फिर सूचना आ गयी कि वह दूसरी तरफ से इस तरफ आ गये हैं, तो मैं २४ घंटे के बाद उसको पढ़ता हूं । इसलिये मैंने सूचना नहीं दी थी ।

अब एक सूचना दे रहा हूं कि माननीय जितेन्द्रनाथ मिश्र ने एक सूचना दी थी कि उन्होंने पहले संयुक्त विधायक दल से त्यागपत्र देने के लिये लिखा था और वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने सूचना दी है कि वह पुनः विचार करने के बाद इस नतीजे पर आये थे कि वह संयुक्त विधायक दल में रहेंगे ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

सदन में यह देखा जा रहा है कि आज कांग्रेस में तो कल जन कांग्रेस में, कल जन कांग्रेस में, तो परसों फिर कांग्रेस में जो यह आवागमन होता है और कभी इधर से तालियां पिटती हैं तो कभी उधर से, इसको कृपा करके आप बन्द कराइये ।

श्री अध्यक्ष—

चन्द्रबली सिंह जी, आप दोनों तरफ से तालियां पीटा करिये । (हंसी)

३ जुलाई, १९६७ के तारांकित प्रश्न ९ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पाण्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रथम सत्र सन् १९६७ के ३ रे सोमवार (दिनांक ३ जुलाई १९६७) को श्री रामायण राय, सदस्य विधान सभा, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ के सम्बन्ध में श्री रामायण राय ने एक अनुपूरक प्रश्न यह पूछा था कि क्या यह सही है कि निलम्बित अध्यक्षों ने उच्च न्यायालयों में सरकार के आदेशों को चुनौती दी थी, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

इसका मैंने यह उत्तर दिया था कि रिट दाखिल की थी जो खारिज हो गई । किन्तु उक्त प्रश्न का ठीक उत्तर निम्नलिखित होगा —

"केवल रामपुर नगरपालिका के निलम्बित अध्यक्ष ने रिट दाखिल की थी, जो खारिज हो गई ।"

आर्य कन्या इन्टर कालेज, जिला बरेली के अनिश्चितकाल के लिए बन्द करा दिये जाने के सम्बन्ध में मंत्री का वक्तव्य

(शिक्षा मंत्री का नाम पुकारे जाने और उनके सदन में दिखायी न पड़ने पर ।)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आपने माननीय शिक्षा मंत्री को वक्तव्य के लिये पुकारा मगर वे सदन में नजर नहीं आ रहे हैं । आप इस पर अपनी व्यवस्था दें क्योंकि इससे सदन का समय नष्ट होता है और सदन की मर्यादा भंग होती है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं अवश्य यह आशा करूंगा कि जब उनका कार्यक्रम यहां हो तो उसके अनुसार संबंधित मंत्री को यहां रहने का प्रयास करना चाहिये ।

शिक्षा उपमंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं । मैं उस तरफ बैठा था और आपका ध्यान खींचा था । मैं चाहता हूं कि जिस तरह से लोक सभा में हर माननीय सदस्य के लिये सीट अलाट है, और उस पर दूसरा सदस्य नहीं बैठ सकता, उसी प्रकार की व्यवस्था आप यहां भी करने की कृपा करें जिससे हम लोगों को असुविधा न हो । मान्यवर, जहां तक नियमों को मैं समझा हूं वह यह है कि जितनी देर माननीय सदस्य सदन में रहेंगे वे सदन की कार्यवाही में दिलचस्पी लेंगे, मगर यहां देखा यह

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

जाता है कि लोग और कार्यों में भी दिलचस्पी लेने लगते हैं । जिससे कार्य में बाधा पड़ती है । इसलिये माननीय सदस्यों के नाम सीटों पर डाल दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता था कि माननीय उप शिक्षा मंत्री जी इस प्रसंग में कुछ कहेंगे जो इस समय सामने था । मैंने यह आशा व्यक्त की थी कि उस समय संबंधित मंत्री यहां अपनी सीटों पर हों जब कि उनका कोई कार्यक्रम हो । यहां माननीय उप शिक्षा मंत्री के लिये सीट की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये उन्होंने यह प्रश्न शायद उठाया । सम्भवतः वे बहुत पीछे बैठे थे जिसके कारण आने में उन्हें देर हुई । अगर यह मतलब है तो मैं यह बता दूं कि अभी तक इस सदन में ऐसा नहीं देखा गया ।

१५ साल के अपने अनुभव में भी कि इस में किसी की सीट पर नाम लिखा जाता हो और खास तौर पर जहां उप-मंत्रियों का सम्बन्ध है वह आपस में एक परम्परा से सीटें तय हो जाती हैं । मैं आशा करता हूं कि उस में कोई कठिनाई नहीं होगी । लेकिन अगर मंत्रिमण्डल की ओर से यह खबर आयेगी कि इस में कठिनाई होती है और जो जहां बैठता है उसको उचित जगह पर मौका नहीं मिलता, तो मैं व्यवस्था करूंगा ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्री हरीशकुमार गंगवार, सदस्य विधान सभा ने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि आर्य कन्या इन्टर कालेज, बरेली १९ जुलाई, १९६७ से मंडलीय बालिका निरीक्षिका बरेली द्वारा अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया गया है । इस विद्यालय के चारों ओर अमानत पर बैठे हुये छुटे हुये गुन्डे गिरोह बनाकर पहरा दे रहे हैं और पुलिस को सूचना दिये जाने पर भी किसी प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । बालिकाओं का जीवन खतरे में है इसके कारण नगर में बेचैनी फैली हुई है ।

इस सम्बन्ध में जिला अधिकारियों से सूचना मंगायी गयी है । प्राप्त सूचना के आधार पर इस संस्था से सम्बन्धित झगड़े का ब्योरा इस प्रकार है ।

इस संस्था का संचालन आर्य समाज द्वारा होता है । मई, १९६७ में श्री रामचन्द्र सेवक, जो इस के प्रबन्धक थे, गवर्निंग बाडी के कुछ सदस्यों की एक बैठक में लिये गये निर्णय द्वारा मैनेजर के पद से हटा दिये गये और उन के स्थान पर श्री शंकर दयाल नये मैनेजर चुने गये । श्री प्रतापचन्द्र आजाद, अध्यक्ष, जिला परिषद् ने इस को अनियमित तथा गैर कानूनी बताया । श्री राम चन्द्र सेवक तथा शंकर दयाल के बीच सिविक कोर्ट में मैनेजर पद के लिए एक मुकदमा चल रहा है और अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है । नये मैनेजर की अध्यक्षता में गवर्निंग बाडी ने एक प्रस्ताव द्वारा श्रीमती श्रीवास्तव, जो इस संस्था की प्रधानाध्यापिका थीं उनको निलम्बित कर दिया और उन के स्थान पर कुमारी भटनागर को प्रधान अध्यापिका नियुक्त कर दिया । १८ जुलाई, को श्रीमती श्रीवास्तव तथा कुमारी भटनागर दोनों मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका के समक्ष उपस्थित हुयीं और दोनों ने विद्यालय की प्रधान अध्यापिका होने का दावा किया । इस प्रकार मैनेजर के पद के तथा प्रधानाचार्य के पद के आपसी झगड़ों के फलस्वरूप संस्था में अन्य गड़बड़ियां भी पैदा हुयीं, अनुशासन भंग होने की आशंका हुई । श्रीमती श्रीवास्तव ने भी न्यायालय में अपने निलम्बन के आदेश के विरुद्ध मुकदमा दायर कर रखा है । झगड़े फसाद की आशंका को देखते हुये मण्डलीय बालिका निरीक्षिका ने १९ जुलाई से संस्था को बन्द कर देने का आदेश दे दिया । संस्था के उपरोक्त झगड़े को न बढ़ने देने के उद्देश्य से जिलाधीश ने उस के आस-पास पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया है ताकि विद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचने पाये या किसी प्रकार का उपद्रव न होने पाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

२५ जुलाई, १९६७ को मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका तथा अध्यक्ष जिला परिषद् श्री प्रतापचन्द्र आजाद, जिलाधीश बरेली से मिले और उन्होंने अपना यह निर्णय दिया कि बालिकाओं के शिक्षा के हित में संस्था को खोले जाने का आदेश दिया जाय। अतः २६ जुलाई, १९६७ से संस्था खोल दी गयी है और उसमें शिक्षा का कार्य चल रहा है। संस्था पर पुलिस का भी समुचित प्रबन्ध है ताकि किसी प्रकार का झगड़ा फसाद न होने पाये। श्रीमती श्रीवास्तव का मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है और प्रधानाचार्या के पद पर स्थानापन्न के रूप से कुमारी भटनागर जो अध्यापिकाओं में ज्येष्ठतम हैं उनको प्रधानाचार्य का कार्य अन्तरिम काल के लिए सौंप दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि संस्था में अब किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और वहां शिक्षा का कार्य शान्तिपूर्वक सुचारुरूप से चल रहा है। गुन्डों का किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं है। इस सम्बन्ध म जो मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं उन का फैसला होने पर उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जायगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी को भी इस संस्था के झगड़े फसाद के मामले की पूरी छानबीन करके उचित कार्यवाही किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, यह विद्यालय अत्यन्त प्राचीन है। इसमें अपर प्राइमरी में ६०० बालिकायें और ४०० बालिकायें प्राइमरी में पढ़ती हैं। इस प्रकार एक हजार बालिकाओं का जीवन का सवाल है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आर० आई० जी० एस० के द्वारा २६-१२-६६, २-१२-६६, २२-५-६६, तथा ३-६-६६ को इनके पास पत्र भेजे गये कि यह झगड़ा है और यहां ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाय। इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही इस विभाग की ओर से नहीं की गयी। दूसरी बात यह है कि एक और शिकायती तार जिला विद्यालय निरीक्षिका को भेजा गया था। अब मण्डलीय उपविद्यालय निरीक्षिका का स्तर इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स से बड़ा है तो इस के लिए जिला विद्यालय निरीक्षिका को नियुक्त करना कहां तक ठीक है। तीसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर न कर के यह कौन सज्जन हैं जिनको जांच के लिए भेजा गया है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, यह केवल वक्तव्य के लिए था। इस बारे में जिलाधीश से बातचीत करके जो जानकारी उपलब्ध हो सकी उसी के अनुसार यह वक्तव्य दिया गया है और ब्योरे की बातों की जानकारी नहीं है। जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का बात है उस की एक विधि है, उस विधि को पूरा करने के बाद ही ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जा सकता है।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि जब से यह कन्या विद्यालय खुला है बाकायदा दाखिले आदि हो रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है, और शिक्षा का काम भी कल से चल रहा है, जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने बताया। तो जो मुकदमा चल रहा है उस की समाप्ति के बाद ही उस के फैसले के अनुसार ही क्या सरकार ऐडमिनिस्ट्रेटर आदि के बारे में कोई कदम उठायेगी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने कहा कि मामला सब-जुडिस है और ऐडमिनिस्ट्रेटर के मुकर्रर करने की तो एक विधि होती है, उस विधि के अनुसार ही वह मुकर्रर हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—]

वे कह रहे हैं कि जो मुकदमा चल रहा है उस के फैसला हो जाने के बाद ही ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की सोचेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस सम्बन्ध में पूरी सूचना प्राप्त होने पर ही यह बताया जा सकता है।

श्री राम सुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिला परिषद् के अध्यक्ष, श्री प्रताप चन्द्र आजाद उस स्कूल में अपनी मनमानी करना चाहते हैं और इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स उस को ठीक करना चाहते हैं, इस झगड़े में वह स्कूल बन्द किया गया था ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो सूचना प्राप्त हुई है वह पढ़ कर सुना दी। उससे आप नतीजा निकाल सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि स्कूल ठीक तरह से चल रहा है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने अभी वक्तव्य में ही पढ़ा कि कल से स्कूल विधिवत् चल रहा है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं तो केवल इसी का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यह झगड़ा तो बाद में बढ़ा और इसमें तो इतने मामले गबन के और धांधलीबाजी के आर० आई० जी० एस० ने न मालूम कब से रिपोर्ट कर रखी हैं और पहले से तमाम भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, तो वह शिकायतें जो दस मास से आफिस में पड़ी हैं उन पर कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने निवेदन किया कि अभी यह मामला विभाग के उच्च अधिकारियों के सुपुर्द है, उन की रिपोर्ट मिलते ही आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

अनशनकारी महिला कर्मचारियों द्वारा आत्मदाह की धमकी देने के संबंध में वक्तव्य

गृह उपमन्त्री (श्री रुस्तम सैटिन)—

माननीय अध्यक्ष, मैं यह वक्तव्य आप के सामने प्रस्तुत करता हूं कि इस की निश्चित सूचना सरकार के पास नहीं है कि महिला कर्मचारियों ने आत्म-दाह करने का कार्यक्रम बनाया है। जैसा कि सदन में पहले बताया जा चुका है महिला कर्मचारियों द्वारा अपनी कुछ मांगों के सिलसिले में विधान भवन के सामने आमरण अनशन किया जा रहा है। जहां तक उनकी मांग का सम्बन्ध है, सरकार ने अपने विचार पहले ही स्पष्ट कर दिये हैं। यदि महिला कर्मचारियों द्वारा आत्म-दाह का कार्यक्रम शुरू किया गया और उससे शांति व्यवस्था कायम रखने की समस्या उत्पन्न हुई तो सरकार उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा है कि उन को निश्चित सूचना नहीं है, लेकिन मैं उन को बता दूं कि आचार्य दीपंकर और श्री जयबहादुर सिंह, एम० पी० जो उन्हीं के दल के हैं उन्होंने बताया और मैं भी उन को सूचना दे दूं और माननीय गृह मन्त्री जी इस सूचना को जानते हैं कि २९ जुलाई को यदि महिलाओं की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार न हुआ तो राजधानी में विधान सभा के सामने एक सार्वजनिक स्थान पर महिलायें आत्मदाह करेंगी और यदि यह प्रक्रिया शुरू हुई तो एक विस्फोटक स्थिति होगी, लेकिन गृह मन्त्री जी अब भी धमकी दे रहे हैं कि उपयुक्त कार्यवाही की जायगी। मैं चाहता हूं कि वह यह फासिस्ट धमकी न देकर महिलाओं की सीधी और उचित मांगों को मानने की कृपा न करना...

श्री अध्यक्ष--

स्पष्टीकरण में भाषण न दें।

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं उनसे पूछ रहा हूं कि ३२ या ३३ सौ महिलायें छंटनी की जा रही हैं और आल्टरनेटिव इन्तजाम केवल ६७-६८ का किया जा रहा है तो उस छंटनी वाली बात की स्पष्ट रूप से घोषणा कर के आत्म-दाह की प्रक्रिया को क्यों नहीं बचाते ?

श्री अध्यक्ष--

आपने कई बातें मान लीं, धमकी वाली बात में तो नहीं समझा, इसमें लिखा है कि उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

*मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें स्पष्टीकरण की क्या आवश्यकता थी क्योंकि पहले मैं दो बार इस विषय में अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। मुझे अपनी बहनों और बहू-बेटियों के साथ पूरी हमदर्दी है जितनी कि माननीय कृष्णानन्द राय जी की है। लेकिन प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट के काम और नीतियों का संचालन, कानून, लेजिस्लेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के फैसले से चलेगा या सत्याग्रह या सत्याग्रह की धमकी या आत्मदाह या आत्मदाह की धमकी से चलेगा, यह प्रश्न है ? बिना लिहाज किसी राजनैतिक मतभेद के मैं अपने मित्रों से अपील करूंगा कि इस मसले को जिस तरह से श्री कृष्णानन्द राय ने पेश किया है उस तरह से उस को वह पेश न करें क्योंकि इस से चाहे आप को कुछ थोड़ा सा लाभ हो जाय या कोई प्रोपेगेन्डा का प्वाइन्टर मिल जाय, लेकिन अन्ततोगत्वा इस से हमारे समाज और हमारी डेमोक्रेसी को खतरे की आशंका है, आशंका ही नहीं है बल्कि अब वह खतरा पैदा हो गया है। इसलिए जितनी भी भावनायें उन के हक में हो सकती हैं उन सब को मानते हुए और स्वीकार करते हुये मैं उसूलन किसी मामले को उसके मेरिट्स पर तय करने के बजाय, आत्म-दाह या उसकी धमकी से प्रभावित होना मुनासिब नहीं समझता।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं। यह बात तो सही है कि आत्म-दाह और अनशन आन्दोलन की धमकी है और डेमोक्रैसी में यह भी जरूरी है कि काम जो हो वह सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार होना चाहिये, लेकिन असली उलझन यह है, जिसे मैं उचित नहीं समझता हूं, कि सरकार पिछले वर्षों में आन्दोलनों के मामले में बहुत एलार्जिक हो गयी है। यह बात उचित है कि आन्दोलनों के सामने सरकार को नहीं झुकना चाहिये, लेकिन प्रश्न झुकने का नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि जिन लोगों को ग्रीवांस है, जिनको दिक्कतें हैं, वे सरकार को अपना समझ सकें। जो लोग पीड़ित हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अगर उन लोगों को यह भावना पैदा हो जाय कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हम असमर्थ हैं, असहाय हैं तो उस हालत में उन्हें आन्दोलन का मार्ग ही अपनाना पड़ता है। आन्दोलन के द्वारा ही भावनाओं का पता होता है और उससे ही पता चलता है कि क्या पीड़ा है। यह कोई मनोरंजन के लिए नहीं करता है। जीवन में निराश होकर ही यह करना पड़ता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि यह धमकी नहीं है बल्कि वास्तविकता है। इस आत्मदाह के मैं भी खिलाफ हूं। मैं उसे कतई नहीं चाहता हूं, लेकिन इस आत्मदाह के पीछे उनकी पीड़ा है। मैं हाथ जोड़ कर अपने बुजुर्ग से बिनती करता हूं, जैसा कि आज उन को एटीट्यूड है कि वे इनको अपनी पुत्रियां समझते हैं, उनको अपनी पुत्रियां समझकर उनके प्रति सहानुभूति करें। मैं समझता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य दीपंकर]

हूं कि क्या यह उचित नहीं होगा कि उनके प्रतिनिधि को बुलाकर, माननीय मुख्य मन्त्री आदि उन के पास समय न हो तो कैबिनेट के दूसरे मन्त्री, उन की इस समस्या को २९ तारीख से पहले सुलझावें ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र आचार्य दीपंकर जी ने यह कहा कि अनशन और आत्मदाह और सत्याग्रह, ये एक आन्दोलन के रूप में है लेकिन फोन पर या इसी सदन में तकरीर में यह कहा था कि आखिर कांग्रेस वालों और दूसरे लोगों ने देश के लिए अंग्रेजों के सामने यही रास्ता अपनाया था। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहीं पर कन्फ्यूजन आता है। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना जायज था क्योंकि अंग्रेज इरिस्पांसिबिल थे और उनका फारेन डामिनेशन था। लोगों को अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय रिबैलियन के। यह भी दो प्रकार से हो सकता है। एक तरीका तो शस्त्रों के जरिए से और दूसरा अहिंसात्मक तरीके से। महात्मा जी ने हमें अहिंसात्मक रास्ता बताया है। पहले विद्रोह शस्त्रों के द्वारा ही होता था, लेकिन आन्दोलन या सत्याग्रह रिबैलियन थे उस सरकार के विरुद्ध क्योंकि वह अनुत्तरदायी और इरिस्पांसिबिल सरकार थी, लेकिन यह रेस्पांसिबिल सरकार है और जनतंत्र के जरिए चल रही है। तो यहां जो लोगों की इच्छायें जाहिर होंगी वह प्रेस में आर्टिकिल लिख कर, तकरीर कर के, जलसा करके और जुलूस निकाल कर और अगली बार अगर गवर्नमेंट जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो उन को निकाल कर और दूसरी पार्टी आज पर, यही तरीका है और यही तरीका हो सकता है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। लेकिन अनशन और आत्मदाह या उसकी धमकी जो है यह एक तरह का रिबैलियन है, इस के लिए रेस्पांसिबिल गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई स्थान नहीं है, न ही होना चाहिये। वरना बजाय वोटों के, चुनाव के, चाहे किसी संस्था का हो फिर प्रश्न तय होने लगेंगे इस बात पर कि कितने आदमी ज्यादा लम्बे समय तक अनशन कर सकते हैं, कितने आदमी आत्मदाह कर सकते हैं। हमारी बहन, बेटियां अनशन कर रही हैं, वह अपनी राय रिप्रेजेन्ट कर ही हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आन्दोलन अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है, और जो आन्दोलन हम और आप अंग्रेजों के जमाने में करते थे वह देश के लिए करते थे। तो यह जो आन्दोलन है, कोई वर्ग हो, टीचर्स हों, लेबरर्स हों या महिलायें हों या किसानों का कोई वर्ग हो, वह अपने वर्ग के लिए या अपने लिए ही सही इस तरह से आन्दोलन करें और आत्मदाह करने लगें तो अध्यक्ष महोदय, मेरा क्या, मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा, कोई और होगा, लेकिन हम सब में से किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिये जो भविष्य के लिए एक गलत उदाहरण हो जाय। मेरे लिए लोग कहते हैं कि जिद्दी हूं। कोई जिद नहीं है। मैं अगर किसी चीज को मुनासिब समझता हूं तो आग्रह करता हूं, उस को आप चाहे रिजिडिटी कह लें, जिद्द कह लें या स्टबर्ननेस कह लीजिये, लेकिन बिना इस के कोई प्रशासन चल नहीं सकता। हम एक स्टैन्ड लेते हैं उस पर अगर मुनासिब समझते हैं तो आग्रह करता हूं। मैं ने पोजीशन बतला दी, और जैसा मैं ने उस दिन भी कहा था कि हमारे देश की हालत २० साल की नीतियों के बाद बहुत खराब हो चुकी है, जिस नीति की वजह से यह हुआ है। मैं स्वयं कन्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि कानून का पालन हो, मैं चाहता हूं कि एजीटेशन कांस्टीटयूशनल रूप धारण करे और मैं आत्मदाह को अनकांस्टीटयूशनल समझता हूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं यह निश्चित करता हूं कि ५ मिनट का समय और दूंगा और इस में जितने माननीय सदस्यों का नम्बर आ जाय। उसके बाद यह विषय समाप्त हो जायगा।

श्री राम सुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, आत्मदाह की धमकी हो या रियेलिटी हो, वह अलग चीज है। मैं जानता हूं कि जिन मित्रों ने महिला मंगल योजना के सम्बन्ध में अनशन करती हुई बहनों के प्रति हमदर्दी जाहिर की है उन लोगों ने भी आत्मदाह के लिए उन्हें मना किया होगा। तो इस सिलसिले में मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन लोगों को जो अनशन के सिलसिले में आप से मिले थे, प्रतिनिधि के रूप में या इन्डिविजुअल तरीके से उन को बुला कर के नये सिरे से कोई रास्ता प्रशस्त हो सके इस बारे में, विचार करेंगे, जिससे कि वे लोग उन बहनों को बता सकें आप की राय और उन को मना करें कि कोई ऐसा रास्ता वे न अपनायें, और साथ ही उन की सही मांगों को आप के सामने रख कर के रास्ता निकालने की कोशिश करें।

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैंने उन बहिनों के प्रतिनिधियों से मिलने से इन्कार नहीं किया। जब मेरे मकान पर गयी थीं तो मैं ने उन को बुलाया, उन से मिला और उन को तसल्ली दी गयी और एक दरवाजे पर महिलाओं ने रास्ता भी दिया। अगर वे मुझ से मिलना चाहती हैं अथवा मेरे सहयोगियों से मिलना चाहती हैं तो मिल सकती हैं। मुझ से कहिये, मैं उन के पास जा सकता हूं लेकिन सवाल यह है कि अगर आज उन के पास जाता हूं तो कल दूसरा सत्याग्रह होगा तो उन के पास जाना होगा। वैसे मैं उन के पास नंगे पैर, नंगे सर जा सकता हूं, लेकिन मैं उसे उसूलन गलत समझता हूं। वे मुझ से मिलना चाहती हैं तो मिलें, मुझे खुशी होगी।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)—

इस प्रश्न पर मैं एक ही बात जानना चाहता हूं और वह यह कि माननीय मुख्य मन्त्री जी एक तिथि निश्चित कर दें और उन के प्रतिनिधि मण्डल से मिल कर इस विवादपद विषय पर वार्तालाप करने की अनुमति दे दें। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता कि आत्मदाह क्या है और प्रशासन का अपनी जगह क्या कर्त्तव्य है। इस में इन्टरफियर करना नहीं चाहता। माननीय मुख्य मन्त्री केवल इतना आश्वासन दे दें कि प्रतिनिधि मण्डल महिलाओं का जब भी उन से मिलने आयेगा तो आमूल चूल वे इस प्रश्न पर विचार करेंगे और अपनी नीति उस को बतला सकेंगे।

श्री अध्यक्ष--

इन सारी बातों का उत्तर पहले ही आ चुका है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

३० जून को मंगल महिला योजना की ओर से आमरण अनशन का नोटिस दिया गया और दो दिन हुए आत्मदाह का भी नोटिस दिया गया है। अब जब मंगल महिला योजना की स्त्रियों ने यह निर्णय ले लिया है और वह भी जनता की ही अंग हैं--साढ़े ३ हजार महिलायें हैं जो कि काफी बड़ी संख्या है--अगर उस में से एक भी महिला की जान जाती है तो यह एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप एक पापुलर चीफ मिनिस्टर हैं तो मेरी आप से अपील है कि आप इस को केवल धमकी का स्टेज ही न समझें, उन की जान को वास्तव में खतरा है।

श्री अध्यक्ष--

आप तो वक्तव्य दे रही हैं। सवाल कीजिये।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

मेरा सवाल यह है कि क्या लिखित रूप से उन के प्रतिनिधि अथवा प्रेसिडेंट को यह सरकार की ओर से भेजा जा सकता है कि वह आ कर बात कर लें जो बात कि उन्होंने यहां कही है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री दे चुके हैं। आप कोई नयी बात नहीं कह रही हैं।

श्री खूब सिंह (जिला बिजनौर)--

जहां तक सत्याग्रह का अथवा आत्मदाह का सवाल है या कोई अन्य तरीका अख्तियार करने का सवाल है, यह हो सकता है कि मुख्य मन्त्री जी का इस सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण है वह अपनी जगह ठीक है उन के नुक्ते निगाह से। लेकिन इस प्रश्न पर इस नुक्तेनिगाह से विचार करने के अलावा भी यह बात है कि औरतों के अनएम्प्लायमेंट का इस प्रदेश में सवाल है। जब उन्होंने यह घोषणा की थी कि उन को रिट्रेंच किया जायगा तो इस बात को करीब-करीब दो महीने हो गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

पता नहीं, माननीय सुदामा जी क्या कह रहे हैं और माननीय चौहान साहब क्या कह रहे हैं।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

माननीय भुवनेशभूषण शर्मा लगभग एक घंटे से अध्यक्ष की तरफ पीठ करके खड़े हैं। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मेरी व्यवस्था मेरे ऊपर छोड़िये। मैं यहां से देखूंगा और जो उचित समझूंगा करूंगा।

श्री खूबसिंह--

इन दो महीनों के अन्दर इस बात को सामने रखते हुये कि सूबे के अन्दर औरतों की जहां तक नौकरियों का ताल्लुक है वह नहीं के बराबर है। इस प्रश्न को सामने रख कर चूंकि जनता की मांग भी पैदा हुई कि इन औरतों को रिट्रेंच न किया जाय क्या मुख्य मंत्री जी उन तमाम बातों को एक तरफ रखते हुये जिनकी वजह से वे पीछे नहीं हटना चाहते क्या इस पर तैयार हैं कि कम से कम औरतों का रिट्रेंचमेंट वापस ले लेंगे? ऐसा करने से बहुत कुछ मामला हल हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

स्पष्टीकरण क्या, यह तो भाषण हो गया।

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, जो मैं अर्ज कर चुका हूं, मैं नहीं समझता हूं कुछ और कहने की आवश्यकता है। जहां तक माननीय राजेन्द्रकुमारी ने कहा कि उन्होंने आत्मदाह का नोटिस दिया है, तो हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। हमारे पास रिपोर्ट हैं; उनसे ऐसा लगता है कि ऐसी बात है। लेकिन अगर नोटिस आ भी जाय तो भी कोई अन्त नहीं पड़ता है। जहां तक उनके प्रतिनिधियों से मिलने की बात है, मैंने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, वह ले आयें मेरे पास उन्हें, मुझे खुशी होगी उनसे मिलने में।

(उद्योग मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

शिक्षा उप मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)--

मान्यवर, आज सुबह मुझे सूचना मिली, घटना है कल रात १० बजे की, महिलाओं के बारे में जो बातचीत चल रही है वहां पर माननीय बनारसीदास जी और माननीय बहुगुणा जी

उनकी हमदर्दी में भाषण करने गये थे। लेकिन हमको बताया गया कि असर यह पड़ा कि लोग वहां मारपीट करने पर तैयार हो गये तो इन बेचारों को वहां से हटना पड़ा। अगर यह जानकारी सही है तो ये माननीय सदस्य जब वहां जाया करें तो शासन को इतला कर दिया करें ताकि नकी सुरक्षा का कोई इन्तजाम किया जा सके।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

मैं प्वाइंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय जायसवाल जी ने मेरे कल वहां जाने के संबंध में या भाषण करने के संबंध में सरासर असत्य बात कही है। कल मैं अस्वस्थ था और १ बजे से लेकर रात में ८ बजे तक करीब-करीब अपने कमरे में सोया था। लेकिन हां, अगर माननीय जायसवाल जी को जानकारी करानी है, मैं उनका अनुगृहीत हूं कि उन्होंने मौका दिया और मैं उन्हें सूचना देना चाहता हूं कि परसों मैंने चार हजार से ऊपर जनता के सामने भाषण किया और उस जनता ने दोनों हाथ उठाकर इस वर्तमान सरकार के खिलाफ अपना अविश्वास जाहिर किया और हम लोगों की जय के नारे लगाये और इस तरह के जो मिनिस्टर बने हुये हैं जिन्होंने जनता को काफी समय तक भड़काया है और जो आज राजनीतिक गद्दारी कर रहे हैं उनका विरोध किया और उन्हें वहां खड़े भी नहीं होने दिया।

श्री अध्यक्ष--

मैं कुछ समझ नहीं पाया; माननीय उप शिक्षा मंत्री ने किस सिलसिले में यह आवश्यक समझा कि माननीय प्रभुनारायण जी को बुलाने के बाद उन्होंने यह प्रसंग उठाया। अगर मंत्रिमंडल के सदस्य किसी की रक्षा करना चाहें तो सारी जनता की रक्षा करने का दायित्व है, व स्वयं कर सकते हैं।

मंत्रि-मंडल में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद (क्रमागत)†

*उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायणसिंह)--

मान्यवर, कल मैं अपने उत्तर में उर्दू के सिलसिले में जिक्र कर रहा था। आज भी विरोधी पक्ष की तरफ से कुछ चर्चा हुई। मैं केवल एक उदाहरण विरोधी दल को देना चाहता हूं कि १९५१ में आफिशियल लैंग्वेज बिल आया तो उस समय मांग की गई थी कि उर्दू द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाय। लेकिन उन लोगों, उनकी पार्टी ने बेगम ऐजाज रसूल के संशोधन को गिराया था। आज भी गुप्ता जी कहते हैं कि वे बाई-लिंगुगल स्टेट के लिये तैयार नहीं हैं।

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलते हुये कल हरिजनों के संबंध में भी चर्चा की थी। मैं कहना चाहता हूं कि उनके साथ पिछले २० साल में जो न्याय होना चाहिये था वह नहीं हुआ। यहां तक कि नौकरियों में जो १८ प्रतिशत उनके लिये सुरक्षित जगह थीं उनकी भी उचित तरीके से पूर्ति नहीं की गयी। मैं आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूं कि आज तक कांग्रेस शासन में एक भी हरिजन को पब्लिक सर्विस कमीशन में नामजद नहीं किया गया। लेकिन इस संविद सरकार ने आने के बाद ही पहली बार हरिजन सदस्य को पब्लिक सरविस कमीशन में नामजद किया जहां तक हरिजनों को जमीन देने का सवाल है वह यह है कि गांव में जो परती जमीन है तथा कंसोलिडेशन से जो निकली हुयी जमीन है वह निकाली जाकर हरिजनों को दी जायेगी। इस संबंध में मेरे ऐसे लोग विशेष अवसर के सिद्धान्त पर विश्वास करते हैं कि जो पिछड़े हुये हैं, दबे हुये हैं, शोषित हैं उनको विशेष अवसर मिले और हमारे ऐसे लोग चाहते हैं कि उनके हाथ में शासन की बागडोर रहे। २० साल के शासन में उनको देखना चाहिये था कि हरिजनों के लिये जो १८ प्रतिशत सुरक्षित स्थान थे उनकी पूर्ति

†२६ जुलाई, १९६७, की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

करनी चाहिये थी। लेकिन मैं समझता हूं कि कोरी हमदर्दी की बात करके और केवल राजनीतिक बात कह कर हरिजनों को प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

(इस समय १ बजकर १२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र, पीठासीन हुये।)

माननीय नवलकिशोर जी ने एक बात की चर्चा की थी। मैं इस संबंध में माननीय नवल किशोर जी को इतनी बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब ९८ सदस्यों ने माननीय कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में खड़े हो कर अपनी पार्टी के खिलाफ सदन में बयान पढ़ा था, उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रकट किया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में आइना में अपनी शक्ल देखने के बाद माननीय सदस्य कुछ कहा करें।

मैं कहना चाहता हूं और स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हमारे पाये हैं और ये दूसरे विरोधी दल के साथ हमको कमजोर नहीं होने देंगे। आपने २० वर्ष तक राज्य किया तो वह किस सामाजिक दर्शन से किया ? उसमें पूंजीपति भी शामिल हैं, दर्शन भी शामिल हैं समाजवाद का दर्शन भी शामिल है और अनेक दर्शन शामिल हैं लेकिन यह सरकार किसी सामाजिक आधार पर नहीं बनी है लेकिन ठोस कार्यक्रम के आधार पर बनी है। जिस १९ बातों के ठोस कार्यक्रम के आधार पर सरकार बनायी है उसके सिलसिले में हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम सामाजिक दर्शन की बात नहीं करना चाहते हैं। वे अपने को देखें एक तरीके से भिन्न भिन्न दर्शनों को मानने वाले लोग विरोधी पक्ष में बैठे हुये हैं। लखनऊ में नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में जो पार्टी है उसकी शक्ल को वह सामने रखें। देश के सामने ठोस कार्यक्रम की बात होनी चाहिये। इसीलिये विरोधी पक्ष में बैठे हुये लोगों की की मान्यता है। ठोस कार्यक्रमों से काम चलेगा। इसीलिये १९ कार्यक्रमों के आधार पर मौजूदा सरकार के गठन करने का फैसला किया गया।

विपक्ष की तरफ से जो कहा गया कि उन कार्यक्रमों पर कार्यवाही नहीं हो रही है मैंने कल ही इस संबंध में बातें बतायी थीं। गुप्ता जी ने भाषण देते हुये कहा था भ्रष्टाचार के खात्मे के नाम पर मौजूदा सरकार ने एक आतंक पैदा कर दिया है। आज इस तरह का दोषारोपण करना किसी तरह से उचित नहीं है। मैं माननीय गुप्ता जी और विरोधी पक्ष के सदस्यों से जानना चाहता हूं जो बीसों बरसों का भ्रष्टाचार का रास्ता रहा क्या वह चाहते हैं कि हम उसी पर चलते रहें ? हरगिज नहीं। जो भ्रष्टाचार रहा है उसको हमें खत्म करना है।

सरकारी कर्मचारियों के हस्तान्तरण की चर्चा की गयी। जहां तक मौजूदा संविद सरकार का सवाल है, उन सरकारी कर्मचारियों का आदर करना चाहती है, मूल्यांकन करना चाहती है, जो ईमानदारी से इस प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं लेकिन जो कर्मचारी अक्षमता, अकुशलता, और भ्रष्टाचार का रास्ता दिखाते हैं तत्काल ऐसे सरकारी कर्मचारियों में जो सामन्तवादी दृष्टिकोण है उसको खत्म किया जायगा। आज अफसरों के तबादले के सिलसिले में बड़ी शिकायत है। चाहते हैं कि जो उनके दरबार में बैठे रहें, जो उनकी दरबारी करते रहें, सामन्तवादी दृष्टिकोण से जो उनकी चापलूसी करते रहे वह उनके पास बैठे रहें। संविद की सरकार चाहती है कि सरकारी कर्मचारी अपने कार्य का निर्वाहन करें और हम यह देख कर किसी को तरजीह नहीं देना चाहते कि कोई किसी के नजदीक है और कोई किसी के नजदीक है। हम इस बात पर तरजीह दे सकते हैं कि कौन अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करता है और कौन अच्छा काम नहीं करता है। इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। यदि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की सरकार के कुछ लाडले सरकारी अधिकारी हैं इसलिये उनका हस्तान्तरण नहीं चाहते चाहे उनको एक स्थान पर तीन साल या पांच साल से ज्यादा हो गये, तो वह सहूलियत अब इस प्रदेश से खत्म हो गयी।

हम से इस बात को कहा जाता है कि छटनी के प्रश्न को लेकर बेकारी का प्रश्न उठाया गया। बेकारी की समस्या का हल होना चाहिये लेकिन मैं पूछता हूं कि २० वर्षों में प्रोडक्टिव सर्विसेज को न बढ़ाकर केवल अनप्रोडक्टिव नौकरों की रफ्तार बढ़ा कर देश की उठती हुयी दौलत को न बढ़ा कर, बल्कि उसी में बंटवारा करके इस प्रदेश की गरीबी और जीवन स्तर को गिराने का प्रयास कांग्रेस सरकार ने किया है। हम यह चाहते हैं कि हम इस देश का और इस प्रदेश का उत्पादन बढ़ायें और उसके साथ साथ . ये उद्योग धंधे खुलें, जिस से समस्या का समाधान हो सके। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मैं दो-तीन मिनट लेकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मान्यवर, हमारे ऊपर माननीय गुप्ता जी ने यह चार्ज लगाया कि हम अवसरवादिता के आधार पर यहां बैठे हुये हैं। उनकी इस बात पर मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आज इस प्रकार के चार्ज लगाना किसी भी प्रकार से गुप्ता जी के लिये उपयुक्त नहीं था। उनका इशारा कम्युनिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर खास करके था। मैं उन से यही कहना चाहता हूं कि हम तो अपनी दिशा में राही हैं, १९४८ में कांग्रेस से ना ातोड़ा और तब से अब तक बराबर सर में कफन बांध कर विरोध पक्ष में रहे। क्या वह अपने साथियों को देखेंगे कि उनके साथी अपने सिद्धांतों को छोड़कर आज कहां कहां बैठे हैं? वे केवल अवसरवादिता के कारण ही तो बैठे हैं। जो इस समय इधर बैठे हैं वे अवसरवादिता के कारण नहीं, अपने सिद्धांतों और आदर्शों के कारण बैठे हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारी जो आकांक्षाएं थी, उन आकांक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिये, उन प्रेरणाओं की पूर्ति होनी चाहिये, लेकन मैं वह कहना चाहता हूं कि थैलीशाहों की रकमों से इस सरकार को अपने उद्देश्यों से गिराने का जो काम हो रहा है, वह जनतंत्र की मर्यादाओं को खत्म करेगा, वह जनतंत्र की रक्षा नहीं कर सकता। श्रीमन्, आज जनतंत्र खतरे में है और उसे खतरे में लाने की वजह आज थैलीशाहों की मदद लेकर इस बात की कोशिश हो रही है कि भ्रष्ट तरीके अख्तियार करके इस सरकार को गिराने की कोशिश हो। मैं कहना चाहता हूं, इसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आदर्शों और उद्देश्यों के सामने थैलीशाहों की रकमें काम नहीं कर सकेंगी।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप कामयाब भी होंगे तो जनतंत्र को मारकर आप कामयाब होंगे, जनतंत्र को जिन्दा रख कर आप कतई कामयाब नहीं होंगे।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्यारे साथी और दोस्त प्रभुनारायण सिंह ने बहुत मौलिक सिद्धांतों की बातें उठाई हैं, जिन पर आज विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस जोश में वह बोले, उसमें अगर मैं भी बोलूं तो शायद हम उन पर शान्तिपूर्वक विचार नहीं कर सकेंगे। (व्यवधान) यहां तो उन्होंने मेरा नाम लेकर भी कहा, लेकिन वह मेरे ऊपर आक्षेप नहीं था, वह एक मौलिक रास्ते का बंटवारा था, जिसमें उनको आपत्ति है कि मैं जो उनका साथी था, जिसके वह किसी जमाने में अगुवा मानते थे, वह दूसरे रास्ते क्यों गये औ हम दूसरे रास्ते क्यो गये। मैं यह अर्ज करूं कि वह सब कहते कहते साथी प्रभूनारायण सिंह जी ने यह कह डाला कि हमारा उद्देश्य पूछते हैं, हमारा मंजिले मकसद पूछते हैं और कहा कि उद्देश्य यही है कि कांग्रेस की सरकार को इस प्रदेश से और केन्द्र से हटाना। बाकी सोशलिस्ट आबजेक्टिव का जिक्र नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि हम २० साल तक कांग्रेस का विरोध कहते करते इस जगह पर पहुंचे हैं और गलतियां कांग्रेस सरकार करती रही है उनको दुरुस्त करेंगे।

सबसे पहली बात जो उन्होंने उठाई वह यह थी कि २० साल पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और मैं उनका साथी न रहा। एक सवाल वाकई इस काबिल है जो विचार करने लायक है। यह बात सही है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जब बनी थी तो मैं अपने आप को उसके जन्मदाताओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

में कह सकता हूं और उस समय उसके चार पांच जनरल सेक्रेटरीज में मैं भी था और मैं दृढ़ता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनने का मूलाधार यही था कि सन् २८ में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने जब यह फैसला कर लिया कि वह राष्ट्रीय आन्दोलन से अलग होंगे और हो गये, तो दुनिया का समाजवादी आन्दोलन एक गलत रास्ते पर जाने लगा। उस तजुर्बे से हम लोग जो जेलों में थे यह सोचा कि यह रास्ता जो कम्युनिस्ट इंटर नेशनल ने अख्तियार किया था वह गलत था और वह हमारे देश में नहीं चल सकता था इसलिये यहां एक ऐसा सोशलिस्ट मूवमेंट जो राष्ट्रीय आन्दोलन से अलग न हो बनाया जाय। उसका पहला सिद्धान्त भी यही था कि पहले कांग्रेस का मेम्बर बनना जरूरी है तभी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मेम्बर हो सकता है। कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में तो शरीक होना चाहते थे लेकिन कांग्रेस के मेम्बर नहीं होना चाहते थे उनको हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मेम्बर नहीं बना सके। सन् ३४ में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने दुनिया के सामने जो समाजवादी आन्दोलन का रास्ता दिखाया वह सही साबित हुआ और बाद में कम्युनिस्ट इंटर नेशनल ने ३३ या ३६ में यह फैसला किया कि कम्युनिस्टों को राष्ट्रीय आन्दोलन से अलग नहीं होना चाहिये।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

मैं एक सूचना देता हूं। सन् ३६ में जो फ्रंट आया था वह पापुलर फ्रंट का दर्शन था और उसमें इस बात का दर्शन था कि देश के स्वतंत्रता संग्राम से अलग नहीं होना चाहिये और कम्युनिस्ट पार्टी का यह फैसला था।

श्री मोहनलाल गौतम--

मैं दूसरी बात नहीं कह रहा हूं। मैं भी यही कह रहा हूं कि जैसा उस समय भारतवर्ष गुलाम था उसमें स्वतंत्रता संग्राम से अलग रहना राष्ट्रीय हित में नहीं था। अब सवाल यह है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से क्यों अलग हुयी। उस समय हमारे कुछ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता और उसकी जरूरत भी नहीं है, यह समझा कि अंग्रेज यहां से जा नहीं रहे हैं और सन् ४७ में जो कांस्टीट्यूटुयेंट असेम्बली बनी थी वह फेक है, बनावटी है और हमारे कांग्रेस के नेताओं में आजादी हासिल करने की शक्ति नहीं रही और इसलिये कांग्रेस के लोग अंग्रेजों से मिलकर इस देश में केवल अपना राज कायम करना चाहते हैं.....

(श्री उदित नारायण शर्मा के खड़े होने पर) अब बैठ जाइये, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये। इसलिये उन्होंने यह समझा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के क्रांतिकारी रहने का यही तरीका है कि कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली का वायकाट किया जाय। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता अगर किसी अलग जगह पर दारुलशफा में या और कहीं बैठ कर इस पर बात कर लें कि हमने समाजवादी आन्दोलन को कैसे आगे बढ़ाया किसी पर आक्षेप करने की बात नहीं है। इसमें मेरी गलती होगी तो मैं मान लूंगा और आपकी गलती हो तो आप मान लें।

अब रही यह बात कि एस० एस० पी० और कम्युनिस्ट पार्टी इस सरकार में रहकर गलती कर रही है, इसलिये उनको अलग होना चाहिये, वह नहीं हो रही है, इसी पर हमारा अविश्वास है। यही आधार है जिस पर मैं बोल रहा हूं। जब यह आधार हुआ कि अंग्रेज नहीं जा रहे हैं तो कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली बनावटी है और कांग्रेस के नेताओं में लड़ने की शक्ति नहीं रही और ये अंग्रेजों से मिलकर राज्य करना चाहते हैं तो जो मुकम्मल आजादी चाहते हैं वह इसके साथ मिल कर नहीं रह सकते। इसलिये हमको अलग हो जाना चाहिये। अंग्रेज यहां से चले गये और यह कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली असली बन गयी। कांस्टीट्यूयेन्ट असेम्बली ने देश में स्वतंत्रता स्थापित की। वही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता जिन्होंने पहले बायकाट किया था बाद में लिस्ट ले कर गये कि हमको भी कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली का मेम्बर बनाया जाय। तब जवाहरलाल जी के यहां कोई जगह खाली नहीं थी, सब भर गई

थी। ज्यादा से ज्यादा वह अपनी जगह खाली कर सकते थे। वह कन्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली में जाना चाहते थे, वह नहीं जा पाये।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

इस संबंध में गौतम जी को याद नहीं है कि श्री जय प्रकाश नारायण, अच्युतपट वर्धन बम्बई में जो फैसला हुआ उस फैसले के सिलसिले में हाबू सम्पूर्णानन्द जी भी यहां से फैजाबद गये थे। उस समय आचार्य जी के सामने जाने के बाद वह जो फैसला बम्बई में हुआ था उस बम्बई के फैसले के बाद यह स्थिति थी। गौतम जी इस राय के थे कि कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली में जाना चाहिये। जो समाजवादी बड़े-बड़े नेता थे उनकी राय १, २ को छोड़कर नहीं थी कि वहां जायें।

श्री मोहनलाल गौतम--

प्रभुनारायण जी ने मौलिक प्रश्न उठा दिया। उन्होंने ऐसा प्रश्न उठा दिया जिसकी जानकारी मुझे ज्यादा है। जब कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली में जाने का फैसला बम्बई में हुआ था उस वक्त यह तय हुआ था कि जय प्रकाश नारायण जी से बात करके फैसला करेंगे। बम्बई में मैंने कहा था कि और सब जगह माइनाइरिटी है, आपको कोई अधिकार नहीं है इसलिये कोई जगह मिलेगी नहीं। हम यू० पी० में मेजारिटी में हैं। यू० पी० से कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली में भेज सकते हैं। इसलिये जल्द फैसला कीजिये। आपको बताऊं कि देहरादून के समर स्कूल में जब जय प्रकाश नारायण जी ने मुझ से कहा था कि तैयारी करो। लेकिन बायकाट कैसे हुआ। आचार्य जी और अच्युतपटवर्धन ने फैसला लिया हुआ था कि बनावटी कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली है। उन्होंने गलत असेसमेंट किया था। जय प्रकाश नारायण जी ने जो स्टेटमेंट दिया था वह उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट था। हम सबने मिलकर यह फैसला किया था कि मेरी राय थी कि कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली में जाना चाहिये लेकिन वे नेता आचार्य जी के पास गये और कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने अपना एक फार्म दे दिया था। इस मुल्क में सिर्फ तीन आदमी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के हैं जो कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली के नाम के लिये थे . . .

श्री प्रभुनारायण सिंह--

वे जाना चाहते थे लेकिन लीडरशिप उनको जाने नहीं दे ा चाहती थी।

श्री मोहनलाल गौतम--

(व्यवधान)

इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। ये चीजें ऐसी नहीं हैं जिन पर मैं प्रभुनारायण जी से कह दूं कि मैं जीत गया या आप जीत गये। इस देश में आपने जो गलती की उसे आपको मानना पड़ेगा, और मैंने जो गलती की उसे मुझे मानना पड़ेगा। इसलिये आपको इस पर शान्ति के साथ सोचना चाहिये। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि कम से कम वे खामोश रहें। विरोधी तो मेरी बात शान्ति से सुन रहे थे। तो मैं आप से निवेदन कर दूं कि मेरी यह राय थी, आचार्य नरेन्द्र देव की राय थी कि जाना चाहिये लेकिन जय प्रकाश नारायण जी ने बगैर किसी पार्टी के फैसले के कुछ लोगों ने कहने से तीन ने पहले एक बयान दे दिया कि नहीं जाना चाहिये। जय प्रकाश नारायण जी का बयान किसी फैसले ने आधार पर नहीं था लेकिन एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर के नाते मैंने उसको माना क्योंकि मैं यहां जेनरल सेक्रेटरी था।. . .

श्री प्रभुनारायण सिंह--

उस समय नेशनल एक्जीक्यूटिव थी कहां? जेल से बाहर आने के बाद नेशनल एक्जीक्यूटिव खत्म हो गयी थी।

श्री मोहनलाल गौतम--

नेशनल एक्जीक्यूटिव थी या नहीं थी लेकिन जय प्रकाश नारायण को अधिकार दे दिया गया था। उन्होंने बयान दिया और उसे मैंने माना। हिन्दुस्तान में केवल ३ आदमी थे जिनका नाम कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली में जाने के लिये चुना गया था जिनका नाम बाद में वापस ले लिया गया। आचार्य नरेन्द्र देव जी ने मुझे अधिकार दे दिया था और मैंने उनका और अपना नाम वापस लिया। यू० पी० की तरफ से दो आदमी कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली में जाने वाले थे और हिन्दुस्तान में सिर्फ एक व्यक्ति और था। वह थीं श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय हम तीन आदमियों ने जिनका नाम कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली के लिये था, इसके बावजूद हमने अपना नाम विदड्रा कर लिया। नहीं तो उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर जहां कहीं भी थे, जहां किसी को मौका मिला बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बाहर गये और इस तरह से कुछ लोग कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली में चले गये। तो इस प्रकार से कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली का वायकाट हुआ और ये लोग चले गये। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आधार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का था कि सबसे पहले कांग्रेस का मेम्बर हो उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में लिया जा सकता है, इन लोगों ने बाहर जाकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को खतम कर दिया। जिन मूल भूत सिद्धान्तों के आधार पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी उसको खतम करके वे बाहर गये। मैं आप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को खतम करके कांग्रेस नेता नेकनीयती से, अच्छी नियत से, इसमें एरर आफ जजमेंट की बात हो सकती है वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर न रहे। हमारे कुछ साथियों को शिकायत हो सकती थी कि उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के चुनाव थे जहां जीत कर वे चेयरमैन हो सकते थे उनकी बड़ी बड़ी कुरबानियां थीं, बाद में कुछ एम० पी० में चले गये लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के आदमी सच्चे दिल से, सच्ची भावना से गये थे। मेरा सिर्फ वह कहना है कि उन्होंने गलती क्या की। माननीय प्रभुनारायण सिंह ने कहा कि हम आर्गेनाइजेशन पार्टी बनाने के लिये बाहर गये क्योंकि कांग्रेस में समाजवाद नहीं चलता। मैं मानता हूं कि कांग्रेस में समाजवाद नहीं था, ठीक है जैसा कि आप कहते हैं, मैं मानता हूं कि आज भी नहीं है लेकिन क्या था? समाजवाद विरोधियों का एक दल था। उसमें सब तरह के लोग गये और उन्होंने एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनायी। मैं मानता हूं कि वे सब सोशलिस्ट थे लेकिन फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी क्यों बनायी। कांग्रेस के अन्दर कुछ सोशलिस्ट हैं और कुछ नहीं हैं। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशलिस्ट नहीं हैं लेकिन एक फैसला हो जाने के बाद वे उसके खिलाफ नहीं जा सकते। माननीय प्रभुनारायण सिंह ने कहा कि आर्गेनाइजेशन बनाने के लिये बाहर गये क्योंकि हम समाजवाद को स्थापित करना चाहते थे। कांग्रेस एक ढीलीढाली और मिश्रित जमात है। कुछ थे, कुछ नहीं थे, ऐसा था। बहुत अच्छा साहब, आपने २० साल तक तपस्या की।.....

बहुत कोशिश की, पार्टी बनायी, पार्टी के दो टुकड़े हो गए, एलेक्शन लड़ने लगे, झगड़े करने लगे, मिल गए, अलग हो गए, यह इतिहास समाज के सामने है, लेकिन आज वह कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है कांग्रेस की सरकार को यहां खत्म करो और कांग्रेस की सरकार को दिल्ली में खत्म करो। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिसाल याद आ रही है।

(लाल बत्ती होने पर)

मैं तो, श्रीमन्, अभी असल मजमून पर भी नहीं आ पाया हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

समय का बड़ा अभाव है; उसे देखते हुए आप बोलने का प्रयास करें।

श्री मोहनलाल गौतम--

मैंने तो जो प्रश्न बीच में उठा दिए गए थे उनका ही जवाब दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोलें, किन्तु समय का ध्यान रख कर।

श्री मोहनलाल गौतम—

तो मुझे एक मिसाल याद आ गयी जो हूबहू चस्पां होती है मेरे मित्रों, श्री प्रभुनारायण सिंह, श्री झारखंडे राय तथा पी० एस० पी० के दोस्तों पर। पहली लड़ाई के बाद जब जर्मनी में कैंसर खत्म हुआ तो वहां सोशल डेमोक्रेट्स पावर में आए। उन में कम्युनिस्ट पहले शामिल थे और एक स्टेज पर जा कर वह अलग हो गए थे। उस समय जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने वह निर्णय लिया कि चाहे जो कुछ हो, हम को सोशल डिमोक्रेट्स को खत्म करना है। उसी तरह से जैसे उन की आंखें रंगी हुई थीं वैसे ही कोई कहते हैं कि एस० वी० डी०, स्पेशल वी० डी० है जिस के कारण वे देख नहीं पाते और इसी लिए कहते हैं कि कांग्रेस खत्म करो। मैं कहता हूं कि इस के लिए इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप वही करने जा रहे हैं जो जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था और उस ने जैसे शोशल डेमोक्रेट्स को खत्म करने की लत में, उस फोबिया में, अपने उस दिमाग की खराबी में उन्होंने वह फैसला लिया था कि हम शोशल डेमोक्रेट्स को बरबाद नहीं करेंगे भले ही हिटलर आ जाय और उस का नतीजा आप के सामने है कि आज तक जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी पनप नहीं पायी है। आज हालत वही है और उसी तरह आज यहां भी एक ही धुन है कि कांग्रेस खत्म करो। मैं पहले कह चुका हूं कि एक चेन की ताकत उस की सबसे कमजोर कड़ी होती है। आज यह पार्टी शोशलिस्ट का नाम नहीं ले सकती। जो काम आज तक कांग्रेस ने किया है उस में एक छोटा-सा काम समाजवाद के विरोध में जरूर हुआ है और वह है कि आपने बड़े-बड़े मिल मालिकों तक का हाउस और प्रापर्टी टैक्स माफ कर दिया। आप समझते हैं कि हाउस टैक्स माफ कर के आप समाजवाद की तरफ जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं कोई गरमी नहीं चाहता। हो सकता है कि मैं गलती कर रहा होऊं। आप मुझे समझा दीजिएगा, लेकिन मुझे कह लेने दीजिए। अगर आप दिमाग बन्द कर लेंगे और, जैसा मैंने कहा, स्पेशल वी० डी० के कारण आप आंखों से देख समझ नहीं पायेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जायगी।

श्री चेतराम पचपेड़ा (जिला बरेली)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। गौतम जी को आप ने बीस मिनट दिए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिए।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उन्होंने यह कहा कि भूमि-भवन कर जो हटाया, तो आपके मुजफ्फरनगर प्रस्ताव को ही हमने माना था।

श्री मोहनलाल गौतम—

मैं आप से पहले कह चुका कि कांग्रेस के सब लोगों को मैं सोशलिस्ट नहीं मानता। मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि गलतियां हुईं लेकिन अगर ऐसा है तो कांग्रेस के खिलाफ ऐसा कदम उठाने के बजाय समाजवाद के लिए कुछ कीजिए। भूमि-भवन कर हटाकर आपने १०-१० कारखाने वालों को राहत पहुंचाई है और इस तरह हम बराबरी लाने की तरफ नहीं गए बल्कि फर्क करने की तरफ गए हैं। वह समाजवाद नहीं था। तो इन समाजवादी पार्टियों ने जो

[श्री मोहनलाल गौतम]

रास्ता अख्तियार किया है गुस्से में आ कर वह वही है जो कम्युनिस्ट पार्टी ने जर्मनी में किया था और सोशल डेमोक्रेट्स को खत्म करके वहां हिटलर को ले आए थे और आज तक कम्युनिस्ट पार्टी वहां पनप नहीं पायी है। ऐसी पोलिटिकल गलती मत कीजिए, इसको सोच विचार लीजिए। अगर आप गलती करेंगे तो मुझे खुशी नहीं होगी, क्योंकि मैं उन आदमियों में नहीं हूं जो सोशलिस्ट मूवमेंट को गलत रास्ते पर देख कर इसलिए खुश होता फिरूं कि कांग्रेस मैजारिटी में आ जायगी।

प्रभुनारायण जी ने कहा कि हमने किसानों के लिए यह किया वया किया, वह तो फिर कहूंगा, लेकिन किसानों के विचार जानने के लिए जरूरी है कि सन् ३७ से पहले जो किसानों की हालत थी उसका कोई अध्ययन करे। जब वह टेनेन्ट्स-एट-विल थे २०–२५ तरह के, लैंड रेवेन्यु के अलावा टैक्स लिए जाते थे। रंडी नचाई जाती थी तो टैक्स लिया जाता था, घोड़े-हाथी खरीदते थे तो टैक्स लेते थे, उनको कोई मकान बनाने का हक नहीं था, वह टेनेन्ट्स एट विल थे, एक ईंट भी लगाने, सफेदी कराने का अधिकार नहीं था। तो जो असली क्रान्ति हुई है सन् ३७ में जरा उसका भी आप खयाल करें जबकि टेनेन्सी लेजिस्लेशन हुआ। इसका श्रेय एक साहब लें यह नहीं हो सकता। ये अन्दर से मूवमेंटस् बिल्ड हुआ करते हैं। सन् ३१ में मैंने हिन्द किसान सेना बनाई और सन् ३६ में हम जेल गए इसलिए कि हमने नारा लगाया था कि जमींदारी खत्म हो। तो टेनेंसी ऐक्ट सन् ३७ में बना और इतने लैंड रिफार्म्स यू० पी० में हुए। चौधरी चरणसिंह मानते हैं कि सबसे अच्छा लैंड रिफार्म यू० पी० में हुआ और मेरे दोस्त कहते हैं कि २० साल में क्या हुआ। अगर गाली-गलौज की बात है तो दूसरी बात है कि इतना अच्छा लैंड रिफार्म होते हुए भी गाली दे रहे हैं। जो इस प्रकार से शासन चला रहे हैं उनका कोई सोशल, पोलिटिकल या इकोनामिक आब्जेक्टिव नहीं है। अगर किसी को फायदा मिलेगा तो सिर्फ प्राइवेट इन्टरप्राइज को, जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी को। सोशलिस्ट आन्दोलन को कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप होश में आ जायं, समाजवादी आन्दोलन के साथ विश्वासघात न करें। राइट और लेफ्ट का जहां पर मेल होगा, मैं कांग्रेस को सेन्टर पार्टी मानता हूं। हम राइट के साथ जायं या लेफ्ट के साथ जायं, क्योंकि बीच में हैं, लेकिन लेफ्ट वाले राइट के साथ जायं तो नहीं हो सकता है। हम तो खुद घबराते हैं कि स्वतन्त्र पार्टी के साथ कोएलीशन करें, जन संघ के साथ कोएलीशन करें। हमको हिम्मत नहीं है, कोशिश की है कि हम मिलें। तो कम-से-कम समाजवादी कहलाने वाले लोगों को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और कोई बात बुरी नहीं कही गयी; क्योंकि समाजवादी जो नहीं हैं वह देखते हैं कि हम उनकी हिमायत नहीं कर रहे हैं। आपने हमको वह हिम्मत दी। आपने एस० वी० डी० को हिटलरशाही तरीकों से चला रखा है। अगर यही तरीका रहा तो याद रखिए जर्मनी में जो हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का जो हाल वहां हुआ वही आपका भी होने जा रहा है। झारखंडे राय जी, आप कम से कम वही गलती मत कीजिये।

राजस्व मन्त्री (श्री उदितनारायण शर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस अविश्वास के प्रश्न पर दो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इतने दिनों से चर्चा हो रही है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा संयुक्त विधायक दल की हुई है और यह कहा गया है कि कुछ लोग अवसर वादी थे, किसी तरह से चाहते थे कि गद्दी मिल जाय ....

(सही है, सही है की आवाजें)

मैं चाहता हूं, माननीय सदस्य मेरी बात को सुनें। आपके सामने दो बातें आयीं। एक तो यह कि चौधरी चरणसिंह साहब ने कांग्रेस को छोड़ दिया और वह चीफ मिनिस्टर होना चाहते थे.....

(व्यवधान)

मैं निर्विवाद तथ्य आपके सामने रख रहा हूं जिससे सिद्ध हो जायगा और आप लोग यह समझने लगेंगे कि इस बात को जो आप कहते हैं वह मिथ्या है.....

(व्यवधान)

इस तरह से आप अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। चुनाव जो हुआ ६७ का उसने यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस का बहुमत नहीं है। पहले ही दिन से यह बात निश्चित थी कि कांग्रेस बहुमत में नहीं है।

(व्यवधान)

जो १०–२० निर्दलीय सदस्य थे उन्हीं के हाथ में यह फैसला था कि वे किसकी मिनिस्ट्री चाहते हैं.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक नहीं है। आप लोग कृपया शान्ति से सुनें।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आरम्भ से ही यह स्थिति थी कि १०–२० माननीय सदस्य मिल कर जो फैसला करेंगे वह होगा। चौधरी साहब भी उस स्थिति को जानते थे कि वाकई जिधर यह १८–२० माननीय सदस्य जायेंगे उधर की ही सरकार बन जायगी।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जब कोई मिनिस्टर, नेता विरोधी दल या माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े होंगे तो शोरगुल नहीं होगा। मैं आप से जानना चाहता हूं कि वह व्यवस्था आप इस पर करें कि यह क्या हो रहा है।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने कहा कि मिनिस्टर, नेता सदन और नेता विरोधी दल बोलें तो शान्ति रहे। अगर ऐसी व्यवस्था है तो.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो बातें कही थीं उनको पहले सुन चुका हूं। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप शान्तिपूर्वक हर सदस्य की बात जो भी इस सदन में विचार व्यक्त कर रहे हों, सुनें। यह शोभा नहीं देता है कि कोई भी माननीय सदस्य यदि अपने विचार व्यक्त कर रहे हों तो उनकी बात सुनने में माननीय सदस्य व्यवधान करें।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आरम्भ से ही यह स्थिति स्पष्ट थी कि कोई भी १५–२० माननीय सदस्य मिलकर यह फैसला करेंगे कि मिनिस्ट्री किसकी बनेगी। आरम्भ से ही चौधरी चरणसिंह जी के पास न्योते और सन्देश आ रहे थे कि वे मिनिस्ट्री बना लें। यदि वास्तव में चौधरी चरणसिंह इस बात के भूखे होते कि उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए तो इतने दिनों तक ठहरने की जरूरत नहीं थी। वह दिन भी नहीं आता जब माननीय चौधरी चरणसिंह स्वयं कहते कि इनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। उस बात को मानने के बाद जो सदस्य इस बात को कहें कि चौधरी चरणसिंह चुप थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए,

[श्री उदित नारायण शर्मा]

उससे ज्यादा गलत और असत्य बात क्या हो सकती है ? जिस रोज यह मिनिस्ट्री बनी उसके एक रोज पहले तक बराबर यह चर्चा रही, बराबर चौधरी चरणसिंह ने कहा कि हमारे दोस्तों को आज भी अक्ल आ जायगी और वे सही रास्ते पर आ जायेंगे। उनके विषय में यह कभी नहीं कहा जा सकता कि वे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। अगर वे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे तो जो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का चुनाव हुआ था उसमें जाते और चीफ मिनिस्टर बन जाते। माननीय गुप्ता जी का नाम प्रस्तावित हो जाने के बाद वे कभी सोच सकते थे कि वे चीफ मिनिस्टर बन जायेंगे ? इधर के बैठने वाले सदस्यों ने इस विषय में जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं उदाहरण रखूंगा। गुप्ता जी की मिनिस्ट्री बनी। उनके सदस्यों के नाम मालूम हुए। माननीय कमलापति त्रिपाठी और बहुगुणा जी डे इन ऐंड डे आउट, अहर्निश यह कहा करते थे कि यह प्रदेश रसातल को चला जायगा यदि गुप्ता जी के हाथ लीडरशिप चली जायगी। मान्यवर, यह अखबार जो मेरे पास है यह उसी वक्त का है और यह अखबार वह है जो इनके दोस्तों का अखबार था। यह "पैट्रियाट" है। मैं इसका अग्रलेख पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

While Mr. Charan Singh wanted a young team of talented persons respected for their integrity, the newly elected leader of the party was not willing to go outside the traditional set of faction bosses. If in these circumstances, Mr. Charan Singh decided to keep out of the Ministry, it can by no means be described as an anti-party act. In any case, it was more dignified on the part of Mr. Charan Singh to keep out of the Cabinet, since he disapproved of its composition for such persons as Mr. Bahuguna and Mr. Govind Sahai accepted office under the leadership of a man whom they had pronounced to be the symbol of all the evils that have corroded the Congress."

कुछ लोगों ने फैसला किया। कभी भी हिन्दुस्तान की पार्टी या राजनीतिक दल डरता है तो उसका कारण हुआ करता है। या तो राजनैतिक दल से उसकी सत्ता हट गई है ऐसी उसमें अवसरवादिता आ गई है। राजनीतिक दल समाज की, देश के मानव की सेवा करने का माध्यमम होते हैं और जिस दिन भी वह काम नहीं कर सकते, सेवा के बजाय नुकसान पहुंचाने लगते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। हम लोगों ने जरूर यह फैसला किया कि अब हम कांग्रेस में नहीं रह सकते हैं। लेकिन कौन सी कांग्रेस हमने छोड़ी ? सन् १९४८ में, जिसका जिक्र गौतम जी ने किया, लोगों ने कहा था कि हमारे और उनके उसूलों में अन्तर है इसलिये हम बाहर जा रहे हैं। उस दिन दो विकल्प सामने थे। एक तो यह था कि कांग्रेस में रहकर कांग्रेस जिन उसूलों का हामी बनने को कहती है उन्हें दफनाते रहो या उन्हें बर्दाश्त करो, दूसरा यह था कि कोई और रास्ता अपनाया जाय जो अपनी कांफ्रेंस के मुताबिक हो। जो यह कहते हैं कि जनसंघ के साथ रह कर जनतंत्र का क्या होगा, समाजवाद का क्या होगा, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो जनतंत्र की दुहाई देते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है। गौतम जी ने कहा कि जैसे ही वह मालूम हुआ कि इस कांग्रेस से समाजवाद का हित नहीं होनेवाला है हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ने की सोची। हम लोगों ने १, १॥ महीना लगा कांग्रेस को छोड़ने में। और अगर माननीय गौतम जी एक बड़े नेता थे तो मैं भी एक छोटा सा खादिम था। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को उस समय नहीं छोड़ा जब कंटीन्यूएंट असेम्बली बना रही थी और यह दिक्कत थी कि हिन्दुस्तान आजाद होगा या नहीं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को उस समय छोड़ा जब यहां कांग्रेस की सरकार बन गई। कुछ दोस्तों ने कहा था कि हम सरकार में नहीं रहेंगे। गौतम जी उससे सहमत नहीं थे। उनके दोस्त चहरदीवारी में पड़े पड़े करवटें बदल कर कह रहे थे कि रह गये। क्यों रह गये, सब लोग जानते हैं। बराबर बाहर रहने के बाद कांग्रेस को

दुहाई देते हैं. उस तरफ बैठकर कांग्रेस के नाम पर जो थोड़े बहुत वोट मिल जाते हैं, वह वही कांग्रेस है, जो सन् १९४८ में थी जिसने हिन्दुस्तान को आजाद कराया । उसके अगुआ और सदस्य झारखंडे राय जी भी थे प्रभुनारायन सिंह जी भी थे और यह वाहिम भी थे इस तरफ जो बैठे हुए कांग्रेसमैन हैं और उस तरफ जो बैठे हुये, कांग्रेसमैन हैं उनमें कोई फर्क नहीं था। आज इस तरफ के बैठे हुए कांग्रेसमैनों में से ९९ फीसदी वे हैं जो हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में हरेक से आगे की पंक्ति में रहे थे और जब हिन्दुस्तान आजाद, हुआ और कांग्रेस की सरकारें बनने के समय आया तो उन्होंने उसमें हिस्सा लेने की परवाह नहीं की। इनमें से ९९ फीसदी ऐसे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस बनी और उधर होते हुए में से १०० फीसदी ऐसे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को गली-गली में गालियां खानी पड़ती हैं ।

बहुगुणा जी ने कहा कि इधर कुछ राइटवाले हैं, कुछ लैफ्टवाले हैं। वह बड़े आदमी हैं, उनके तर्जेअमल से भी मालूम होता होगा और इनमें इतनी बड़ी विशेषतायें हैं जिनको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जब वह गुप्ताजी की मुखालिफत करते हैं तो दोनों हाथ उठाकर करते हैं और इनके दोनों हाथ लेफ्टिस्ट बन जाते हैं और जब यह उनकी मुआफिकत करते हैं तो भी दोनों हाथ उठाकर करते हैं और तब इनके दोनों हाथ राइटिस्ट बन जाते हैं। मैं इसके बारे में एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। दिल्ली में इंदिरा गांधी का चुनाव हो रहा था। मेरे एक मित्र ऐसे थे जिन्हें वोट देना था। मैं उनके साथ था। बहुगुणा जी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे दोस्त क्या करेंगे । मैंने कहा कि मेरे दोस्त तो भाई, इन्दरा जी को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन यह कहते हैं कि अगर इंदरा जी न होती तो देसाई को सपोर्ट करते। औफो, वा मेरे ऊपर लानत डाली इन्होंने और कहा कि साहेब, देखिये, यह सोशलिस्ट हैं जो देसाई को वोट देना चाहते हैं। और जब अब अवसर आया तो ये गुप्ता जी की गोद में जाकर बैठना पसन्द करते हैं। हमने गुप्ता जी के साथ बैठना पसन्द नहीं किया।

उस दिन माननीय झारखण्डेराय जी ने भाषण दिया था और उसका जवाब हमारे माननीय कमलापति जी ने दिया था। झारखण्डेराय जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि इतने बड़े-बड़े फार्म कांग्रेस के जमाने में बन गये हैं और गरीबों को जमीन नहीं मिल पाई है। उन्होंने बहुत से फार्म हजारों एकड़ के बताये और यह पूछा कि ये कांग्रेस की हुकूमत में कैसे बन गये। इसका कोई जवाब कमलापति जी की तरफ से नहीं आया। समाजवाद की बड़ी दुहाई देते हैं। आज तक के लेबर मूवमेंट के इतिहास को देख लीजिये। उसमें जो काम आई० एन० टी० यू० सी० ने किया है वह हमेशा के लिये काले अक्षरों में लिखा जायेगा। यह है कांग्रेस की समाजवाद की हिमायत। कहने से केवल जनतंत्र या समाजवाद नहीं आता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मंत्रियों को अक्सर अवसर पर बोलने के लिये बहुत समय मिलता रहता है। आज हम लोगों ने अविश्वास का प्रस्ताव दिया है और मेरा निवेदन है कि प्रतिपक्ष को अधिक समय मिलना चाहिये। यदि माननीय शर्मा जी को आपने समय के लिये कुछ कह दिया है तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपके साथ सब ही माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। अभी मैंने माननीय गौतम जी को अधिक से अधिक समय दिया और मैं प्रयास करूंगा कि अविश्वास पर बोलने के लिए जितना समय भी सम्भव हो सके, दिया जाय।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब विवाद और तर्क से कोई नहीं जीत पाता तो गालियां देने लगता है। इसलिये मैं इस सबकी परवाह नहीं करता, उस तरफ के माननीय सदस्य लोग इन तरीकों को अख्तियार करते ही हैं ।

[श्री उदितनारायण शर्मा]

श्रीमन्, उधर से जनतंत्र की बहुत दुहाई दी जाती है। हमीरपुर में एक कोआपरेटिव बैंक है। उसके १२ डायरेक्टर थे और बारहों हम लोग थे। कांग्रेस सरकार ने उसको सुपरसीड कर दिया। हाई कोर्ट ने इस सुपरसेशन को गलत बताया और कहा कि उनको चार्ज दिया जाय। लेकिन नहीं दिया गया। जब अपील में गये तो कहा कि समझौता कर लो। सब मिल कर चुनाव करा लो। यह हुक्म दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चुनाव करा दे और चुनाव में को-आपरेटिव विभाग का कोई हाथ न हो। समझ लीजिये कि इस विभाग को अदालत ने कितना ईमानदार समझा। फिर क्या हुआ? १२हों डायरेक्टर्स हमारे चुने गये। लेकिन फिर उनको निकाल दिया गया। यह उनका जनतंत्र था। कहा जाता है कि म तीन बार हारा। इसमें क्या बात है? आचार्य नरेन्द्र देव जी तो चार मर्तबा हारे। क्या जनतंत्र की दुहाई देने वालों को यह याद नहीं है कि एक ही सेशन में माननीय चन्द्रभानु गुप्त दो मर्तबा हारे थे?

(व्यवधान)

श्रीमन्, ये ऐसी बातें हैं जिनको ये लोग बरदाश्त नहीं कर सकते। दो मर्तबा हारने के बाद भी उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जब कि वे सदन के मेम्बर भी नहीं थे और मानसिंह जी के लिये कहा गया कि उनको क्यों मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन चन्द्रभानु गुप्त जी को, दो मर्तबा हार जाने के बाद भी, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था।

यहां पर माननीय चतुर्भुज शर्मा जी ने कहा, मैं चाहता था कि वे उस बात को न कहते। उन्होंने कहा कि चरण सिंह ने छुरा भोंक दिया। यह छुरा नहीं भोंका है। यह जो ७–८ पार्टियों की सरकार बनी है, किसी दिन आधारभूत सिद्धान्तों पर मेल न होने पर गिर सकती है। इनमें कभी भी छूरेबाजी नहीं होती। लेकिन मैं माननीय शर्मा जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब उनपर एक आरोप लगाकर उन को मिनिस्ट्री से अलग किया गया था तब उनके साथ चन्द्रभानु गुप्ता जी ने क्या किया था। तब उनको क्या यह राय नहीं थी कि यह तो पोलीटिकल एसैसीनेशन है, छुरा भोंका है, घूंसा या तमाचा मारा है? इस अपराध को उनके ऊपर लगा कर भी वे आज उनके साथ बैठ सकते हैं, यह कुर्सी की लालच नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। श्रीमन्, इस प्रकार की सैकड़ों बातें हैं। अगर मैं उनको कहूं तो एक एक बात को सुन कर हमारे भाइयों को रात-रात भर नींद नहीं आयेगी।

श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चन्द्रभानु गुप्त द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं इस सरकार में अविश्वास इसलिये करता हूं कि इस सरकार की रचना ही अविश्वास के आधार पर हुई है। और मैं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन इसलिये भी करता हूं कि इस सरकार से जुड़े हुए जो दल हैं उन्होंने पिछले २० वर्षों में अपने सार्वजनिक जीवन में जिन मान्यताओं और मूल्यों की स्थापना के लिये निरन्तर प्रयास और संघर्ष किया उन की ही हत्या इस सरकार के जन्म के साथ शुरू हो गई है। मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन इसलिये भी कर रहा हूं कि इस सरकार ने जिस दिन से गद्दी सम्भाली है इस प्रदेश के जनजीवन में धोखा, भ्रष्टाचार और राजनैतिक धांधली बढ़ी है। इस तरह से जो हमारे सार्वजनिक जीवन के मूल्यों की बुनियाद थी उस पर ही बड़ी गहरी चोट लगी है। मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन इसलिये भी करता कि आपने सदन में श्रीमन्, देखा होगा और इस सदन का रिकार्ड इस बात का गवाह है कि सत्याग्रह, भूखहड़ताल आदि के सम्बन्ध में जो बुनियादी और नैतिक धारणायें संयुक्त समाजवादी दल, साम्यवादी दल, पी० एस० पी० द्वारा बराबर प्रतिपादित होती आई हैं उन का विरोध जब माननीय मन्त्री जी ने किया, मगर सदन के किसी कांग्रेस के सदस्य के द्वारा अगर वही बात कही गई तो शायद उसे घोर रिएक्शनरी कहने में माननीय झारखंडे

राय संकोच न करते, अब उन्हीं दलों ने शांति से सब विपरीत बातें कुछ सहते हुए उसे हजम करने की प्रवृत्ति का भयानक परिचय दिया है। मैं समझता हूं कि जहां नीति का अभाव हो वहां राज्य ठीक नहीं चल सकता।

"राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा।
प्रभुहिं समरपहिं बिनु सतकर्मा।"

जिस राज्य में अनीति हो और नीति न हो, जिस शासन में बुनियादी नीतियों का कोई मूल्य न हो, वह वैसे ही होता है जैसे मरे आदमी को खड़ा कर दो। हमारे सामने बापू का चित्र है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है सुन्दर है पर वह निर्जीव है। ऐसे ही इस सरकार के सभी कार्यक्रम जीवन शून्य हैं इसलिए हम इस सरकार में अपना अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। अब मैं अपनी बातों को सिद्ध करने के लिये कुछ थोड़े से तथ्य उपस्थित करूंगा। मैंने कहा था कि वह सरकार जैसे उस सम्बन्ध में भी मैं अपना अविश्वास प्रकट करता हूं। माननीय उदित नारायण जी ने तरह-तरह की बातें कहीं, उन को शोभा देता है उस तरह की बातों का कहना। मैं उस तरह की बातों का और उत्तर देना भी नहीं चाहता और न वैसी ही बातें कहना चाहता हूं। जब वह कांग्रेस में शामिल हुये थे तो हमारे साथ बैठकर क्या चर्चा किया करते थे। उसे आज दुहराऊं ठीक न होगा। लेकिन मैं अपनी सफाई में कहूंगा कि प्रदेशीय कांग्रेस में और हम में चाहे जितनी लड़ाई रही हो लेकिन हमने एक बात को हमेशा रखा, मैं माननीय उदित नारायण जी को उस की याद दिलाऊंगा। ऐसे ही आपसी मतभेद के सम्बन्ध में इसी सदन में हमारे एक बड़े नेता, समाजशास्त्री और दर्शन के ज्ञाता इस प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने कहा था कि हम आपस में एक ओर ५ हैं और दूसरी ओर १०० हैं। लेकिन विपक्षों के लिए हम १०५ हैं, हम गुप्ता जी के साथ अन्दर संगठन में बैठ कर बहुत बातों में अलग राय रख सकते हैं, गुप्ता जी हम से अलग रख सकते हैं लेकिन कांग्रेस की जो बुनियादी मूलभूत नीति है, जो उसका ढांचा है, उससे बाहर जाने के लिए हम तैयार न कभी थे और आज भी नहीं हैं। मैं माननीय उदित नारायण जी को याद दिलाना चाहता हूं कि सन् ६३, ६४ और ६५ में जिस तरह से चौधरी साहब से अब कहा गया और जिसे उन्होंने १८ दिन के बाहर रहने के जमाने में ही स्वीकार कर लिया, उसकी हमसे ३६ महीने तक विरोधी दल की ओर से बराबर चर्चा होती रही, लेकिन दुनिया गवाह है और सामने मेरे गवाह बैठे हैं हम ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हमारी आदत उदित नारायण जी की तरह से नहीं है कि जिधर गंगा का बहाव देखा उधर ही बह निकले। लेकिन यह बात सच है कि विरोधी दल वाले चाहते थे और उन्होंने माननीय कमलापति जी से तब भी यह कहा था कि आप मुख्य मन्त्री हो जायें, आप के साथ १०० एम० एल० एज० हैं लेकिन हम ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम अपने संगठन के अन्दर संघर्ष करेंगे, लेकिन हम बाहर निकल कर संगठन की मर्यादा से, सीता की लक्ष्मण रेखा के समान, बाहर नहीं निकलने वाले हैं।

एक बात माननीय उदित नारायण शर्मा ने यह कही कि सारे प्रदेश में बड़ी गलत फहमी हो गयी इस सरकार की रचना के सम्बन्ध में। लेकिन आज उन्होंने चौधरी साहब के कांग्रेस छोड़ने के सच्चे कारण बता ही दिये। लेकिन मैं उन से कहना चाहता हूं कि एक दाना दुश्मन नादान दोस्त से कहीं अच्छा होता है। आज उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने गुप्ता जी को स्वयं लीडरशिप के लिए प्रस्तावित किया था। उन्होंने यह भी कहा कि मन्त्री परिषद् के सम्बन्ध में कुछ झगड़ा था तो इस से स्पष्ट है कि कुछ व्यक्तियों के मंत्रि परिषद् में होने या न होने के झगड़े को लेकर वे १५, १७ या २० कांग्रेसियों को साथ लेकर कांग्रेस से बाहर गये। तो आज पुनः स्पष्ट हुआ कि सिद्धान्तों का कोई झगड़ा नहीं था। मान्यवर, सारे प्रदेश में इस बात की चर्चा की गयी थी कि कांग्रेस संगठन अब सेवा का माध्यम और जरिया नहीं रह गया है इसलिए चौधरी चरण सिंह नयी दुनिया बसाने जा रहे हैं। आज कहा गया कि तुम ने जवान मन्त्री नहीं बनाये। इस लिए, श्रीमन्, झगड़ा हो गया। अब जरा देखें ये जवान हैं कौन? श्रीमन्, एक तो ये जवान हैं, जिन के सारे बाल सफेद हैं और एक और जवान दूसरे मन्त्री जो यहां पर इस

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

समय नहीं हैं, जिनका भी यहां पर जिक्र हुआ। वे हमारे बड़े भाई हैं, उनका भी नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन इतना तो जरूर है कि उन के भी दांत गिर चुके हैं और बाल भी सफेद हो चुके हैं। ऐसे दो "नौजवान" इन्सानों के लिए झगड़ा हुआ। इस सरकार की रचना ही कुछ व्यक्तियों के पदों को लेकर हुई। इस लिए इसकी रचना में कोई सिद्धान्त नहीं है। अस्तु इस सिद्धान्त विहीन सरकार के विरुद्ध मैं समझता हूं, सभी माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य है कि वे अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करें।

मान्यवर, यहां पर एक बात और कही गयी। इस सरकार ने १९ सूत्री कार्यक्रम के आधार पर अपनी रचना की थी। इस हमारे कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं, बंधु हैं, उन के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि उन की सभी मांगों को पूरा किया जायगा। उनकी मांगों को पूरा करना तो छोड़ दीजिये, वर्तमान सरकार ने उन के नेता, नौजवान शुक्ल को आज प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट में बन्द कर दिया है। (शेम शेम की आवाजें)। केन्द्रीय गृह मन्त्री जी ने यह कहा था कि जो इलाका वार्डर का है, उस में ही इस कानून को लागू करेंगे। मैं माननीय झारखंडे राय जी के हृदय से नहीं मस्तिष्क से अपील करना चाहता हूं वे इस सम्बन्ध में कृपया माननीय भूपेश गुप्त, कामरेड डांगे जी का जो बयान निकला है उस को पढ़ें। जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता के बयान निकले हैं, उनको पढ़ें। सभी साधारण लोगों को आशा यह थी कि विरोधी दलों को अपने जीवनकाल में मौका मिल जाय तो वे अपने वादों को ध्यान में रखकर सुधार करेंगे, ऐसा करते तो विरोधी दलों का भी और प्रदेश का भी भला होता। पर हो क्या रहा है? जो लोग कुर्सी पर बैठ गये हैं वे अपने संगठन का प्रतिनिधित्व इस सरकार में रहकर नहीं कर पा रहे हैं। उनके संगठन में और इनकी सरकार की नीतियों में लम्बी खाई पैदा होती जा रही है।

मैं चौधरी साहब के संबंध में तो नहीं जानता। कालागढ़ की मांग को लेकर ही विरोधी दलों की भी मांग थी कि इसकी जांच की जाय। जब हमने भी कहा कि जांच करें तो कहा गया कि कांग्रेस के जमाने में कालागढ़ में गोली चली थी। मेरे विरोधी दल के कई नौजवान साथियों को आज कांग्रेस का जमाना याद आता है। ठीक है लेकिन उन्हीं में से एक साथी की भाषा में कहता हूं, मैं उनका नाम जानबूझ कर नहीं लेता, एक बात वह कह बैठे हैं 'वाह रे कांग्रेस की गोली, चली और मरा ? और वाहरे हमारी लाठी तू चली और मरें दो।" तो कालागढ़ में जांच नहीं हुई। तो सिद्धांत के विपरीत जब श्रमिकों के संबंध में जो सिद्धांत थे, बनारस के कम्युनल राइट के संबंध में जो सिद्धांत थे, जो एस० वी० डी० के अपने मूल्य थे, उन के विपरीत मंत्रिगण कुर्सियों पर बैठे रहें और सही निश्चय न ले सकें तो मैं समझता हूं कि यह सिद्धांत विहीन सरकार है और ऐसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन न करना ही गलत होगा।

स्त्रियों की चर्चा लीजिये, महिला मंगल योजना के कर्मचारियों को लीजिये, सरकारी कर्मचारियों को लीजिये। हम से तो कहते थे कि महंगाई पूरी सेंटर के बराबर दो। अब वही लोग कहते हैं कि सरकारी खजाने में इतना देने लायक पैसा नहीं है। हां, एक बात हमारे दोस्त माननीय विकल जी ने कही है जो बड़ी सारगर्भित है कि वह जब से इधर से उधर गये हैं वह महसूस करने लगे हैं कि कितनी कठिनाइयां हैं सरकार चलाने में और उनका बोझ उनके कंधों पर बढ़ता जा रहा है जिसका परिणाम यह है कि जब वे चलते हैं तो झुककर चलते हैं। और सही है अक्ल का बोझ, जिम्मेदारी का बोझ आदमी को नर्म बना देता है। तब सरकारी कर्मचारियों को बाहर भड़काया जाता था, तालियां पिटवायी जाती थीं। अब स्थिति समझने की मांग की जा रही है शांति पाठ पढ़ाया जा रहा है। मेरी चुनौती है कि हम सब मिल कर बाहर चलें और इस सरकार के माफिक अगर सचिवालय के बाहर लखनऊ की जन सभा में विश्वास का प्रस्ताव पास करा दें तो मैं इस प्रस्ताव को वापस ले लूंगा।

जनता और सरकारी कर्मचारियों में इस सरकार के प्रति विश्वास नहीं रह गया है। रिक्शा वाले, पान वाले, छोटे व्यापारी, विद्यार्थी सभी वर्गों के सामने सरकार में बैठे सभी दलों की कलई खुल चुकी है। इसलिये जो प्रस्ताव आया है, उस का समर्थन न करना महापाप है, जो मैं नहीं कर सकता।

आज महंगाई बढ़ती जा रही है। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि माननीय झारखंडेराय स्टेट ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि अपने सार्वजनिक भाषणों के अनुसार काला बाजार को समाप्त करेंगे। मान्यवर, इन का रेड जब भी होता है तो १० क्विंटल या ८० क्विंटल चावल पकड़ते हैं, और इनके रेड से प्राप्त उनका कुल क्विंटल का जोड़ बहुत मुश्किल से पहुंचता है तो १३००, १५०० क्विंटल तक। मुझे उनसे उम्मीद थी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरा उन की नीयत पर हमला नहीं है। परन्तु कुर्सी दीवानी होती है, उस पर बैठने वाला और भी दीवाना होता है, बदकिस्मती से वह इस वक्त उस दीवानगी में फंसे हैं। लेकिन जो पहले दर्जे की दीवानगी माननीय राय पर चढ़ी है उसके लिये उनके साथ मुझे हम दर्दी है। मान्यवर, जरा देखिये। आज तक पी० डी० ऐक्ट में, एक भी दूकानदार पकड़ा नहीं गया, एक भी व्यापारी नहीं पकड़ा गया। कहा गया था कि इस कानून का इस्तेमाल इन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध होगा। अमीनुद्दौला पार्क में कहा गया था माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा कि काला बाजार चलाने वालों को पुलिस हथकड़ी लगा कर पैदल ले जायेगी। पैदल तो क्या उन्हें मोटर में बैठाकर भी जेल की ओर नहीं ले जा रहे हैं। ऐसी वायदा खिलाफी करने वाली जो सरकार हो, उस के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव में हिस्सा न लेना महापाप है, महामूल है। इसलिये मैं भी उस में सम्मिलित होता हूं। इसलिये मैं भी इस प्रस्ताव में सम्मिलत हूं कि संविद सरकार के जमाने में राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ा है।

मैं हरदोई जिले से एक मेमोरेंडम जो माननीय मुख्य मंत्री को ८-७-६७ को भेजा गया था और जिसकी एक प्रतिलिपि मुझे भेजी गयी है उसके कुछ उद्धरण आपके समक्ष पढ़ देना चाहता हूं और यह मेमोरेंडम भेजा गया है उन लोगों की तरफ से जिनके कंधों पर बैठ कर संविद सरकार के लोग यहां बैठे हुए हैं, ये लोग हैं विश्राम सिंह, एडवोकेट, मंत्री संसोपा, सुरेंद्र विक्रम सिंह, मंत्री, फारवर्ड ब्लाक, देवदत्त शास्त्री, पत्रकार और सुबेदार सिंह, एडवोकेट, मंत्री कम्युनिस्ट पार्टी। मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न इस संबंध में दिया था कि क्या यह मेमोरेंडम सरकार के पास आया है। "हरदोई जनपद में जनसंघ क्या रूप अपना रहा है इसका एक सूक्ष्म विवरण इस मेमोरेंडम में दिया गया है। इस मेमोरेंडम में इस हाल के लिये जिम्मेदार सहकारिता मंत्री बताये गये हैं।" शारदा भक्त सिंह, इनके भाई जो पहले एम० एल० ए० रह चुके हैं, आजकल नगरपालिका के अध्यक्ष हैं, लेकिन वहां भी भ्रष्टाचारी कर्मों के कारण अविश्वास का प्रस्ताव आ चुका है। दूसरे, दो भाई, श्री जमना बक्स सिंह व नर्मदा बक्स सिंह के बारे में पूरे जनपद में यह मशहूर है कि वे डकैती के सरगना, लोगों के मददगार हैं। माननीय मंत्री ने सर्वप्रथम श्री मंहगेराम सेठ के यहां दावत खायी। राजेंद्र सिंह यादव ने स्वयं केंद्र पर श्री मंहगेराम की धांधली पकड़ी, गल्ला वसूली के परचेजिंग एजेंट का लाइसेंस खारिज हुआ लेकिन स्थानीय अधिकारियों पर दबाव डाल कर छुन्नूलाल के नाम से इसी लाइसेंस को दिलवा दिया। यह श्री छुन्नूलाल सीतापुर की एक डकैती में सजा काट कर अभी छूट कर आया है। रेलवेगंज की नगरपालिका के जनसंघी सदस्य, श्री राम गुप्त के पिता, श्री तेजपाल ने श्री नत्थूलाल की जमीन दाब ली। दफा १४५ बी में दरख्वास्त दी परन्तु अदालत पर दबाव डाल कर समय लिया जा रहा है। मंत्री जी ने कोआपरेटिव में जनसंघी डायरेक्टर्स को नियुक्त किया है यह तो सभी जानते हैं। इस तरह से यह पक्षपात तथा भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी है। माननीय सहकारिता मंत्री ने हरदोई निवास काल में श्री रामनारायण नामक व्यक्ति के मरने पर किये गये पोस्टमार्टम में अस्पताल में जाकर कर विशेष दिलचस्पी दिखाई क्योंकि रामनारायण की भूतपूर्व जनसंघी, श्री परमाई लाल द्वारा किसी अज्ञात कारणवश मृत्यु हुई थी। हत्या का

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

स्पष्ट मामला दबा दिया गया।" इस प्रकार हत्या के मामले दबाये जा रहे हैं और डकैतियां जोर पकड़ रही है। यह मेमोरेंडम उनके द्वारा दिया गया है जिनके बल पर यह सरकार बनी है इसलिये भी इसकी जांच होनी चाहिये थी। जिस सरकार के मंत्रियों का यह किस्सा हो और जिस सरकार को बनाने वाले संगठन मंत्री के विरुद्ध इस तरह का मेमोरेंडम दें और उसकी सफाई की जाय तो ऐसी सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पेश करना विरोधी दल का पुनीत कर्त्तव्य है। मैंने इस मेमोरेंडम के तथ्यों को इसलिये पढ़ दिया कि यदि लांछन झूठा है तो भी यह दल कैसे चलेगा जिसको जिला यूनिट ऐसे लांछन लगाती है और यदि बातें सच्ची हैं तो मुख्य मंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही करनी थी। उन्होंने कुछ भी नहीं किया।

माननीय चरणसिंह की बड़ी छाप है सारे प्रदेश में। और नहीं है तो उस छाप की डुग्गी पीटने वाले बहुत हैं। मैंने १९०४ से लेकर १९६७ तक का ६३ वर्ष का इतिहास इलाहाबाद हाई कोर्ट का देखने की कोशिश की और उस हाई कोर्ट के पुराने जमाने के लिंक के रूप में यहां श्री इकबाल अहमद की शक्ल में मौजूद हैं। लोग चाहें तो उनसे भी पूछताछ कर लें। इलाहाबाद हाई कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट की जगह खाली हुई। एडवोकेट जनरल के नीचे गवर्नमेंट एडवोकेट स्टैंडिंग कौंसिल तथा जूनियर स्टैंडिंग कौंसिल होते हैं। इस न्यायप्रिय सरकार के जमाने में, भाई भतीजावाद को खत्म करने वाली सरकार के जमाने में और फैजाबाद की एक पाखंड खंडिनी पताका की तरह एक पताका फहराई गयी। उसके नीचे कितना बड़ा पाखंड हुआ, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बिजनौर जिले के एक वकील साहब गवर्नमेंट ऐडवोकेट नामजद किये गये १६–१७ जून को। मान्यवर, मैंने बहुत जांच की, सरकार ने इस नामजदगी के बाबत न तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूछा, तथा सीनीयर स्टैंडिंग कौंसिल से भी नहीं पूछा। मैंने हाई कोर्ट के जो पुराने वकील हैं, उनसे पूछा कि भाई इन वकील साहब का काम हाई कोर्ट में कैसा रहा। मैंने कभी इनको जाना नहीं। हाई कोर्ट के बहुत वकीलों को जानता था। यह नये साहब कौन? मेरे एक साथी ने कहा कि इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्या ताल्लुक, इनका तो वकालतनामा भी आज से पहले हाई कोर्ट में नहीं लगा। मैं चार्ज करता हूं इस गवर्नमेंट को कि जिसने भाई भतीजावाद में आकर एक ऐसे आदमी को गवर्नमेंट ऐडवोकेट बनाया है जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले कभी वकालतनामा भी दाखिल नहीं किया था, वहां खड़े हो कर बहस करने की बात तो अलग रही। और इतिहास में कभी कोई सीधा गवर्नमेंट ऐडवोकेट नहीं बना। माननीय कन्हैयालाल मिश्र, ऐडवोकेट जनरल भी पहले डिप्टी गवर्नमेंट ऐडवोकेट नामिनेट हुये थे। सिर्फ एक उदाहरण मिलता है सर इस्माइल का, जो सीधे गवर्नमेंट ऐडवोकेट बना दिये गये थे। श्रीमन्, आप स्वयं एक प्रतिभावान वकील रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि अगर किसी ने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की है, लोअर कोर्ट का वकील है तो उसको हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऐडवोकेट बनाने का कोई औचित्य नहीं है चूंकि ९९ फीसदी गवर्नमेंट ऐडवोकेट जज बनते गये हैं। जो नये गवर्नमेंट ऐडवोकेट बने हैं उनकी एक तारीफ और है। इन्हीं वकील साहब के ऊपर बार कौंसिल के सामने एक मिस—कांडक्ट का मामला भी चल रहा था। और मिस-कांडक्ट क्या था? इधर भी वकालतनामे पर दस्तखत और खिलाफ पार्टी के वकालतनामे पर भी दस्तखत। जब उन्होंने कहा कि मैं इस केस में किसी भी तरफ से खड़ा नहीं होऊंगा और बार कौंसिल से क्षमा मांगी तब इनकी जान छूटी। गौतमजी कह रहे हैं यह कितना इनकम टैक्स देते थे। तो इनकम टैक्स न देने वालों का जमाना है इस संविद की सरकार में, लेकिन इन वकील साहब के इनकम टैक्स देने की कोई बात जानता नहीं पर यह तो साफ है कि जिस आदमी ने एक बार भी हाई कोर्ट में खड़े हो कर बहस न की हो, उसको गवर्नमेंट ऐडवोकेट बना देना, मैं माननीय उदितनारायण जी से क्या कहूं, उनके लिये तो कोई बात नहीं है लेकिन मेरे बड़े बुजुर्ग, चौधरी चरण सिंह की छाया में यह बात हुई, मेरा दिल कांपता है यह कहने में लेकिन जरूर

है इसमें नातेदारी, रिश्तेदारी के दबाव के कारण ही यह गलत काम हुआ है। तो ऐसी सरकार को अपना मत देना प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है। इसलिये मैं भी इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। आज चार महीने से यह सरकार चली आयी है। इनका कहना है हम नाबालिग हैं। माननीय रामस्वरूप जी वर्मा, वित्त मंत्री हाल ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गये थे। वहां एक दावत हुई। मान्यवर, विश्वास मानें, ११ मन पूड़ी का भोज हुआ। उत्तर प्रदेश में खाने की कमी से लोग भूखों मरें और संतोषा के उदीयमान नौजवान, जिन पर हम बड़ा भरोसा करते थे, वह ११ मन पूड़ के भोज में शामिल हों और जो वहां बातचीत हुई वह क्या, एक किसान ने जो कहा वह मैं दुहराना चाहता हूं। माननीय रामस्वरूप जी ने भाषण किया। इन्होंने कहा कि अभी संविद सरकार चार ही महीने की हैं और कांग्रेस सरकार बीस साल तक रही। हम नाबालिग हैं। हमें भी समय दें। तो एक किसान ने जो सभा में था, एक बात कही। उसने कहा कि पहले कांग्रेस वाले रहे वह भी कहते रहे कि हम नाबालिग हैं हमें बालिग होने दो और अब तुम भी कहते हो कि हम नाबालिग हैं, हमें बालिग होने दो तो क्या प्रदेश में हमेशा नाबालिगों की ही सरकार रहेगी। अगर तुम लोग नाबालिग हो तो अपने घर जाओ। मैं इतना ही और कहना चाहता हूं। मंत्रियों की शिकायतों का चार महीने में ही अम्बार लगने लगा है। आरोप लगाने वाले हैं संविद के ही अंग। कुछ आरोप पत्र मेरे पास हैं लेकिन मैं उनको पढ़ूंगा नहीं, अगर चाहेंगे तो मुख्य मंत्री जी के पास दस्तखतों सहित भेज दूंगा। आजकल संविद को बनाने वाले, इन पार्टियों का जितना भरोसा मुझ पर है उतना उन लोगों पर नहीं है जो उन्हीं पार्टियों के नाम पर शासन चला रहे हैं। इसलिये भी खुशकिस्मत हूं और कह सकता हूं कि जब आज के दिन प्रदेश के इतिहास में पाखंड और सत्य के बीच में एक निश्चय होने वाला है तो हम उस लड़ाई में भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सदन इस प्रस्ताव को पारित करेगा।

(स्वास्थ्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इलाहाबाद के काले कारनामे बहुगुणा जी के और उनकी चरित्रहीनता को खोलने के लिये इलाहाबाद के लोगों को अवसर देने की कृपा करें।

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रतापसिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब कल नेता विरोधी दल के अविश्वास के प्रस्ताव पर हुए भाषण को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक हारा हुआ और थका हुआ जनरल, जिस को भविष्य की आशा भी लुप्त हो गई हो, अपनी फौज को दिलासा दिलाने के लिये यह प्रस्ताव लाये हैं। मैं उन कर्मचारियों से प्रारम्भ करना चाहता हूं जिनके बारे में बड़ी दुहाई दी गई। मैं माननीय बहुगुणा जी की बात का समर्थन करता हूं कि जब हम बाहर थे तो हमने कहा था कि वैज्ञानिक मांगों को स्वीकार करने का वैज्ञानिक तरीका होना चाहिये। लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या वे दिन भूल गये जब सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इसी सेक्रेटेरियट में लाठी का प्रहार हुआ था और जब कर्मचारियों के ऊपर डी० आई० जी० से गरम पानी डलवाया गया था। माननीय बहुगुणा जी ने शुक्ल जी की बड़ी दुहाई दी तो वह कांग्रेस सरकार ही थी जिसने दफा ८७/८८ की कार्यवाही में श्रीमती शुक्ल के कपड़े और खाने के बरतनों तक की कुर्की कराई थी। जहां तक हमारा प्रश्न है सरकार चलाना हमारा काम है और कर्मचारी हमारे बच्चे और छोटे भाई की तरह से हैं। उनकी मांग को यथाशक्ति जितना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

हम पूरा कर सकते थे उतना पूरा किया। उन्होंने आन्दोलन किया लेकिन हमने उनके ऊपर लाठी प्रहार नहीं कराया, दफा १४४ नहीं लगाई।

(माननीय कल्पनाथ सिंह के खड़े होने पर) (शोर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, यह संयोग की बात थी कि मैं उधर जा रहा था और चलने से पहले मैंने नमस्कार किया। आप इस बात की व्यवस्था करें कि अगर शासन वालों का यह रुख रहा तो सदन में कैसे काम चलेगा। व्यवस्था आपके हाथ में होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे शांतिपूर्वक सदन में जो भी बोल रहे हों तो उनका भाषण सुनें।

श्री प्रताप सिंह--

मैं कह रहा था कि कर्मचारियों का जो आन्दोलन हुआ और उसकी जो मंत्रणा दी गई, वह भी हमारे सामने वाले मित्रों ने दी। लेकिन हमें मालूम था कर्मचारी हमारे हैं। हमने जिस तरह से वेलफेयर स्टेट में किसी के साथ व्यवहार करना चाहिये वैसा व्यवहार किया। मुझे बड़ी तकलीफ माननीय चन्द्रभानु गुप्त के भाषण को सुन कर हुई। मैंने इस जीवन काल में भी किसी बुजुर्ग की बेइज्जती करने की नहीं सोची, न सोचता हूं। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन फल जोरदार शब्दों में उन्होंने कहा कि यह नौजवान मंत्री, जो मंत्री होने के काबिल नहीं हैं क्यों कि उसने मेडिकल कालेज को ले लिया। मैं मंत्री होने के काबिल नहीं हूं इसलिये मैं आपके भ्रष्टाचार को तोड़ रहा हूं। मैं क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन लाना चाहता हूं। मैंने आज तक नहीं कहा लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जहां ऐसे ऐसे वाइस चान्सलर रहे, जहां कोई अनुशासन और शिक्षा नहीं हो सकती थी, लखनऊ विश्वविद्यालय में आपकी तानाशाही के कारण वह प्रोफेसर जो प्रतिभाशाली थे आपके कदमों में नहीं गिर सकते थे, उनको जबरदस्ती यूनिवर्सिटी से बाहर किया गया। मैं इस सदन और शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि अगर माननीय चन्द्र भानु गुप्त और कुछ दोस्तों को यह गलतफहमी हो कि उनकी मर्जी से हम सरकार कायम करना चाहते हैं तो यह गलतफहमी दूर कर दें। हम तब तक इस सरकार को चलायेंगे जब तक इस आठ करोड़ जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है।

कहते हैं कि जनतंत्र के प्रेमी हैं, गांधी जी के शिष्य हैं। कहते हैं कि हमको तजुर्बा नहीं, हम यह क्लेम करने को तैयार नहीं कि हम तजुर्बेकार हैं। मैं कहता हूं कि अगर इस देश के प्रजातंत्र को चलाना है तो फैसला करना होगा। फैसला यह है कि आज हमारे मनोबल को गिरा रहे हैं। अगर वे सरकार बना लेंगे तो देश कहां जायगा? मेरे दिल को तकलीफ है। इस प्रदेश के शासन को पचास साल तक चलाने की जिम्मेदारी हम पर है, जो लोग बुड्ढे हो गये हैं वह नहीं चला सकते। यह सही है कि दारुलशफा में हम घूमते हैं। हम भी सदस्यों से कहते हैं मजबूत रहो, जनतंत्र को मजबूत करो। लेकिन हमारे लायक दोस्त थैलियों की खनखनाहट से मनोबल को गिराना चाहते हैं। जो लोग मनोबल को गिराना चाहते हैं और जो गिराना चाहते हैं उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यह इस देश के लिये खतरा है। यही हथकंडे अयूब ने चलाये, यही हथकंडे चाऊ एन लाई ने चलाये, वही हथकंडे अगर यहां चलाये गये तो यह देश कहां जायगा? माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने २० साल तक राज्य चलाया कांग्रेस का। हमेशा हमने रचनात्मक सहयोग दिया। और वह दिन याद है जिस दिन चीन का हमला हुआ और माननीय चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में हम लोगों ने, गरीबों ने, अपने लाकेट्स दिये, किसानों ने अपने बेटे लड़ाई में भेजे। नेता विरोधी दल को कहना चाहिये था कि अविश्वास का प्रस्ताव इस लिये नहीं ला रहे हैं कि सरकार

को गिराना चाहते हैं बल्कि इसलिये ला रहे है कि जो नीतियां यह सरकार अपना रही है उसको सही रास्ते पर लायें । अविश्वास का प्रस्ताव दो उद्देश्यों से लाया जाता है । एक यह कि सरकार की नीति की आलोचना की जाय । लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव इसलिये आया है कि इस सरकार को हटाया जाय । हम सुनते आ रहे हैं कि आज यह सरकार गिरी, कल गिरी ।

नेता विरोधी दल ने बड़ी मयीदा का काम किया कि हम डिवीजन नहीं चाहते हैं । डिवीजन मांगा गया । उसके बाद यह कहना कि डिवीजन नहीं चाहते हैं यह कोई उनकी मर्जी नहीं थी । यह जनतंत्र के साथ धोखा था । डिवीजन मांगा गया तो कंटेस्ट होना चाहिये था, आखिर यह क्या है ? नेता विरोधी दल आज आश्वासन जनता को दें कि, हम कुर्सियों को छोड़ने को तैयार हैं, कल की तारीख को वह स्टेबिल गवर्नमेंन्ट बना सकते हैं । मैं उनसे इसका जवाब चाहता हूं । अगर स्टेबिल गवर्नमेंन्ट नहीं बना सकते तो क्यों केआस पैदा करना चाहते हैं ? मैं माननीय कमलापति त्रिपाठी की बड़ी इज्जत करता हूं, माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने भी कहा कि मिड टर्म एलेक्शन नहीं होंगे । आज सरकार आपने गिरा ली तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा । लेकिन सवाल ८ करोड़ जनता का है कि कल किसकी सरकार बनेगी और इस जनता का भविष्य क्या होगा ? इस वक्त आज मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, उस पर आपका हाई कमाण्ड चुप है और वहां के कांग्रेसी मुख्य मंत्री यह चाहते हैं कि मिड टर्म एलेक्शन हों । वहां विरोध पक्ष चाहता है और उसकी मांग है कि मिड टर्म एलेक्शन की कोई आवश्यकपा नहीं है । हम सरकार बनाने के योग्य हैं और हमें बनाने का मौक मिलना चाहिये । लेकिन इसके लिये कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता तैयार नहीं हो पा रहे हैं । तो यदि वहां पर अपोजीशन को अपनी सरकार बनाने की इजाजत नहीं मिलती है तो कौन सा नियम और कौन सा उपनियम है जिनके अन्तर्गत आपको सरकार बनाने की इजाजत मिलेगी ?

कहा गया कि हमारा स्वार्थ का गठबन्धन है । किन्तु मैं कहता हूं कि हमारा क्लियर गठबन्धन है । हमारे गठबन्धन में जनसंघ के लोग हैं और कम्युनिस्ट, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के भी सदस्य हैं, जो कि सारे के सारे हमारे साथ हैं । उत्तर प्रदेश के आईन में १६ भाषायें साफ लिखी हैं । उर्दू फारसी के बारे में क्या होगा ? इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है १६ भाषाओं के साथ उनका भी भाग्य जुड़ा है । संविधान में जो १६ भाषायें दी हैं, उनका इम्पलीमेंटेशन कैसे होना चाहिये, तो यह हमारी जिम्मेदारी है, हम इसे करेंगे ।

यह कहना कि पहाड़ी बड़े पिछड़े हैं, वहां पर यूनिवर्सिटी नहीं है । इस बारे में हमने भी आप से कहा था और गला फाड़ फाड़ कर कहा था, बीसों बार कहा था कि नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़ तक बार्डर एरिया घोषित करो । किन्तु आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया । जहां तक विश्वविद्यालय का सवाल है, चरण सिंह की सरकार ने यहां कहा है कि पिछली सरकार के जो कमिट्मेंट्स हैं, उन्हे हम पूरा करेंगे । आपने पहाड़ों की गरीबी का नाजायज फायदा उठाया है । आपने वहां के मोतीसिंह पटवारी से अपने लिये वोट खरीदवाये हैं और उसके बदले में उसे कानूनगो बना दिया । मैं इस चीज को नहीं कहना चाहता था, लेकिन कल जिस तरह से मुझे डैमे करने की कोशिश की गयी, उससे मजबूर होकर इस चीज को कहना पड़ता है । मैं तो आपसे उम्र में, तजुर्बे में कम हूं, तो आपको तो हमें बधाई देनी चाहिये थी, लेकिन बधाई देने के बजाय आपने कहा कि इनको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है । हमें कुर्सियों से कोई लोभ नहीं है, हमें प्रदेश की ८ करोड़ जनता का ध्यान है, और उनके कल्याण के लिये हम अपनी पूर ताकत से काम करेंगे ।

जहां तक महिलाओं का सवाल है, हमारे विरोधी लोगों ने एक मौका पा लिया है और उनके कंधों पर बन्दूक रखकर वे अपना काम बनाना चाहते हैं । लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जो जन-कल्याण के खिलाफ हो । मुझे मालूम है कि इधर के लोगों को मुख्य मंत्री बनना है, प्रधान मंत्री बनना है, आपको नहीं । हमें इस देश का गर्व है । कहा जाता है कि हम जेल गये, हमारे पिता जेल में गये । तो जल जाने से ही कोई अच्छा नहीं हो जाता है

[श्री प्र..प सिंह---]

और न यही जरूरी है कि यदि किसी का पिता जेल गया हो, अच्छा हो तो उसका बेटा भी वैसा ही हो ।

माननीय नेता विरोधी दल ने मेडिकल कालेज की दुहाई देकर कल बहुत कुछ कहा । मैं बताना चाहता हूं मेडिकल कालेज जो आपके नेतृत्व में चल रहा है उसमें सन् ६१ से ६४ तक ३४ लाख रुपये का डेफिसिट हुआ और १९६१ से लेकर आज तक ५५ करोड़ रुपये का डेफिसिट हुआ है । इतना ही नहीं, उसे ६८ लाख रुपया जो सरकार ने दिया उसको भी मेडिकल कालेज ने यूटीलाइज नहीं किया । और सरकार का अब यह अन्तिम फैसला है कि सरकार उसे अपने अधिकार में लेगी । आप इस निर्णय से हमें रोक नहीं सकते । हम उस इन्टरनेशनल रिसर्च का सेन्टर बनाना चाहते हैं । उसके हेतु जो केन्द्रीय सरकार से २ करोड़ रुपये की हमें सहायता मिली और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, हम उस धन को यूज करना चाहते हैं और उसे एक रीजनल मेडिकल कालेज बनाना चाहते हैं । हम उसे इतना उन्नतिशील बनाना चाहते हैं कि अ.क्सफोर्ड और कैलिफोर्निया के विद्यार्थी उससे प्रेरणा लें और यहां अध्ययन के लिये आकर्षित हों, हम उसे एसा शानदार कालज बनाना चाहते हैं ।

हमारे माननीय गौतम जी ने कहा कि सरकार का कोई सोशल आबजेक्टिव नहीं है, कोई एकोनामिक आब्जेक्टिव नहीं है और कोई पोलिटिकल आब्जेक्टिव नहीं है । किन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि संयुक्त विधायक दल का सोशल आब्जेक्टिव क्या है, उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम होगा कि धूल धूसरित लोगों में से निकले हुये लोग हमारे कैबिनेट में मेम्बर्स हैं । एकोनामिक आब्जेक्टिव का जहां तक सम्बन्ध है, झारखंडे राय जी से पूछा जाता है कि ऐशिएन्शल कामोड्टीज ऐक्ट, १९५५ क्या है ? केन्द्र की जिम्मेदारी है अनाज देने की, केन्द्र की जिम्मेदारी है जखीरेबाजों को पकड़ने की, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश के भूखे लोगों को अनाज दें । यह हमारा कर्त्तव्य भी है और हम कर रहे हैं । हम लोगों को इसके लिये आत्म निर्भर बनाना चाहते हैं और हम इस तरह से नहीं करना चाहते कि अंकिल शाम को कहें कि तुम हमारे लोगों के लिये खाना लाओ और उनको खिलाओ ।

मुझे नेता विरोधी दल के एक शब्द को सुनकर खुशी हुई कि हम लेवी के खिलाफ नहीं हैं । देर आयद दुरुस्त आयद । आज खिलाफ नहीं हैं लेकिन जब यह लेवी शुरू हुई थी तो स्टेटमेन्ट पर स्टटमेन्ट निकल कि दिस गवर्नमेन्ट इज ऐन्टी किसान । हम जब पहाड़ के लोगों को, पूरब के लोगों को, बुन्देलखंड के लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं तो हम ऐन्टी किसान हैं लेकिन २० वर्ष तक किसानों के उत्पादन को न बढ़ने देकर अंकिल शाम की ओर देखना यह ऐंटी किसान नहीं था ? तो आज की सरकार गलत है या सही है, इसका जवाब तो प्रदेश की ८ करोड़ जनता देगी ।

मैं अभी तक नहीं समझा कि आप आखिर चाहते क्या हैं । हमारी यह संविद् की सरकार माननीय जय प्रकाश नारायण जी क शब्दों में इट इज ए नेशनल गवर्नमेन्ट । यहां हर विचार के आदमी बैठे हुये हैं और हमारे लेबिल क्लियर हैं । हमने अपनी अपनी विचारधाराओं को आल्मारियों में बन्द करके आज निश्चय किया है कि हम प्रदेश में औद्योगीकरण करें लोगों को खाना खिलायें प्रदेश की सर्वांगीण उन्नति करें । इन तमाम चीजों को देखकर आगे बढ़े हैं लेकिन १९ प्वाइंट की बात माननीय विरोधी दल के नेता ने कही कि हमने पूरा नहीं किया है। आप जैसे प्रशासक के मुंह से यहां यह बात सुनकर मुझे हंसी नहीं आयी यही बहुत हुआ । १९ प्वाइंट प्रोग्राम हमारा है, हम उसको पूरा करेंगे, वह सरकार का ५ साल का प्रोग्राम है । श्रीमान्, इनको भरोसा होगा कि सरकार बदल जायेगी उससे पहले यह काम पूरा कर दें लेकिन हम जानते हैं कि हमारी सरकार बदलने वाली नहीं है, हमें ८ करोड़ जनता का भरोसा है और वह १९ प्वाइंट हम पांच साल में पूरा करके दिखा देंगे । पिछली बार यह मुख्य मंत्री जी ने बता भी दिया था कि हमने उनमें से कितने पूरे कर दिये हैं । लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने २० साल में जो

जनतांत्रिक समाजवाद की दुहाई दी थी कि हम पूरा करेंगे, क्या आपने कभी उसे पूरा किया ? मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश आज कहां जा रहा है । आप मुझे इजाजत देंगे एक रिसर्च की बात पढ़ने की जो अंग्रेजी में है जिसमें यह लिखा है कि २० वर्ष में यह प्रदेश कहां पहुंच गया है। Uttar Pradesh Sarkar one of the poorest states in India "Allied Economic Research और इसको कह कर उन्होंने बता दिया है कि हम कहां पहुंच गये । इस प्रदेश की पर कैपिटा इनकम ६१-६२ में २९७ रुपया थी, संपूर्ण भारतवर्ष से ११ प्रतिशत नीचे । दूसरे मान्यवर, तीन बटा चार हमारी वर्किंग फर्स खेती में लगी हुई है लेकिन हमारे पास खाने के लिये अन्न नहीं है । इस तरह से ही औद्योगिक आमदनी की बात है । सारे देश की आमदनी का वह ८ फीसदी है, जबकि हिन्दुस्तान में १४ फीसदी आमदनी होती है । इसके अलावा औद्योगीकरण पर जो हम शक्ति लगा रहे हैं उसका १७ फीसदी जो पुराने उद्योग हैं, उन पर हो रहा है, नयी शक्ति नहीं दी गयी । मैं विरोधी दल के नेता जी से बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि आप किसका अविश्वास करना चाहते हैं । क्या हमने जो भ्रष्ट अधिकारियों और बड़े-बड़े भ्रष्ट अधिकारियों को निकाल दिया है इसलिये आप हमारा अविश्वास करना चाहते हैं, क्या २० वर्षों के प्रशासन में जो प्रजा तंत्र समाप्त हो रहा था उसको हम फिर से पल्लवित कर रहे हैं उसके लिये आप हमारा अविश्वास कर रहे हैं । यह आपका अविश्वास ८ करोड़ जनता के प्रति अविश्वास होगा । हम किसी के खरीद फरोख में नहीं आना चाहते हम किसी से खरीद फरोख्त की बात नहीं कहते । यहां आपके पास थैलियां हैं और आप लुटा रहे हैं तो लाइये हमें अस्पताल के लिये दीजिये, हम नये-नये अस्पतालों को खोलना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं । इन शब्दों के साथ मैं अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रताप सिंह जी के भाषण के बाद यह बात स्पष्ट मालूम होती है कि यह सरकार आज जरूर गिरेगी और इस सरकार के गिरने के बाद यहां पर स्टेबिलाइज्ड सरकार बनेगी । मैं अपने दोस्त प्रताप सिंह जी की सूचना के लिये यह बतलाना चाहता हूं कि अब हमारे वहां पार्टी के अन्दर न उदित नारायण शर्मा जी हैं और न चरणसिंह हैं और न वे साथी हैं जो हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे । ऐसी सूरत में अगर हमारी सरकार बनेगी तो वह स्टेबिलाइज्ड सरकार बनेगी । इसको गिराने के जो लोग जिम्मेदार थे वे आज इसमें नहीं हैं और वह पहले से ही उधर चले गये हैं । हमारे दोस्त उदित नारायण जी शर्मा इस समय यहां नहीं हैं । वे चले गये । मैंने उनको बहुत बहस करते हुये कोर्ट में सुना है । जब अपनी बहस कमजोर होती है तो वकील की आवाज बहुत तेज हो जाती है । यही हाल पंडित उदितनारायण जी शर्मा का था । आज तक मैंने ऐसी खराब बहस करते उनको नहीं देखा । मगर आज मैं इस बहस में केवल कुछ ऐसी डाकुमेंट पेश करूंगा जो कोई आरोप वाले डाकूमेंट नहीं हैं । और जिन कागज की वजह से उधर की बहस का पूरा जवाब होगा । माननीय झा खंडेराय जी का स्टेटमेंट पेश करूंगा । माननीय प्रताप सिंह जी का स्टेटमेंट पेश करूंगा और माननीय विकल जी का स्टेटमेंट पेश करूंगा और माननीय उदितनारायण जी के स्वागताध्यक्ष पद का भाषण पेश करूंगा । पंडित उदित नारायण जी शर्मा ने अपने स्वागताध्यक्ष भाषण में कहा था जो १० जून, १९६४ का हमारे पास है । जब सोशलिस्ट कन्वेंशन हुआ तो पंडित उदित नारायण शर्मा ने कहा था कि आज परिस्थिति बदल गई है । कांग्रेस ने जनतांत्रिक समाजवाद को अपना उद्देश्य घोषित किया । कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज ने सभी समाजवादियों से अनुरोध किया कि वे बदली हुई परिस्थित में साथ मिलकर कार्य करें और इन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये सन्नद्ध हों । यदि हम इन कठिनाईयों से निराश हों जाये तो हमारी कल्पना का भारत कभी नहीं बन सकेगा । आज हमारे इस कदम की जो साथी आलोचना करते हैं उनसे हमारा एक ही अनुग्रह है कि वे युग की आवश्यकता को पहिचानें और उस के अनुरूप अपना कर्तव्य निश्चित करें । यदि हम इसमें असफल रहेंगे और राजनीति को आपसी द्वेष और घृणा के आधार पर संचालित करने का प्रयास करेंगे तो इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

आज प्रभुनारायण सिंह जी ने आचार्य नरेन्द्रदेव जी की बड़ी दुहाई दी कि यदि इस देश में आज आचार्य नरेन्द्रदेव जी जिन्दा होते तो उनके काम से वे बड़े प्रसन्न होते। मैं आचार्य नरेन्द्रदेव जी का एक पत्र कोट करना चाहता हूं जो पंडित उदित नारायण जी शर्मा ने अपने भाषण में कोट किया है। ८ फरवरी, १९५६ को पेनन्दुराई से एक साथी को पत्र लिखते हुये आचार्य जी ने लिखा था कि "डा० लोहिया ने कांग्रेस के विरुद्ध एक आबसेशन (दुराव) पार्टी में पैदा कर दिया है जो हितकर नहीं है। आबसेशन होने से नीति के बनाने में औचित्य का ध्यान नहीं रहता, फिर तो यही होता है कि कांग्रेस को किसी प्रकार नष्ट किया जाय, चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो। उदाहरण के लिये कांग्रेस का विरोध करना एक बात है और उसको समाप्त करने के लिये कम्युनिस्टों और सम्प्रदायवादियों की सहायता लेना दूसरी बात है। जब आबसेशन हो जाता है तब अन्य सब बातें गौण पड़ जाती हैं।" वही आबसेशन की बात आचार्य नरेन्द्र देव ने कही और उसके बाद डाक्टर लोहिया व उनकी पार्टी वालों ने भी वही आबसेशन की बात कही और पंडित उदित नारायण शर्मा को भी वही आबसेशन है। मैं आपसे अन्य बातें न कहते हुये केवल यह बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यह सरकार कांस्टीट्यूशन पर फ्राड है, एलेक्टोरेट पर फ्राड है। मैं इस बात को साबित करने के लिये २१ मार्च, १९६७ को इसी सदन में दिया गया माननीय रामचन्द्र विकल का भाषण पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

"आज कम्युनिस्ट और जनसंघ ने जनतंत्र की रक्षा के लिये एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, उसका एलान किया है और कहा है कि हम इस प्रोग्राम को अमल में लायेंगे अगर हमें सरकार बनाने का अवसर दिया जायेगा। उन्होंने कहा है कि हमारे मंत्रिगण, ५०० रुपया माहवार लेंगे। आप उसका मुकाबला करके दिखायें। ५०० रुपया से ज्यादा और कोई खर्चा नहीं होगा और ११ से लेकर १५ तक ही मंत्रि-परिषद् के सदस्य होंगे।" यह कोई पुरानी बात नहीं है, २१ मार्च की ही बात है जब कि माननीय विकल जी ने इसी सदन में भाषण किया था। अब इसी से आप देख लें कि माननीय विकल जी तथा उनके साथियों की कथनी और करनी में कितना फर्क है।

इसके आगे उन्होंने कहा है —"हमारे प्रोग्राम में पूरा लगान माफ करने की बात है, क्या वह आप करने को तैयार हैं?" अब माननीय विकल जी के उसी दिन के भाषण पर आप गौर करें श्रीमन्। उन्होंने अपने १९ सूत्रीय प्रोग्राम के संबंध में कहा—"आज विरोधी दल ने प्रदेश की ८ करोड़ जनता का विश्वास प्राप्त करके अपना मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, उस पर दस्तखत किये हैं और उस पर एकमत हैं, उससे नहीं हटेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक एक बार इस कांग्रेस सरकार को इस कुर्सी से न हटा लेंगे।" यह तो उस दल के नेता ने ही कहा है कि इस १९ सूत्रीय कार्यक्रम पर तब तक कायम रहेंगे जब तक कि इस कांग्रेस सरकार को एक बार इस कुर्सी से हटा नहीं लेंगे। अब आप इन शब्दों पर गौर कीजिये, माननीय विकल जी ने तो उसी दिन कह दिया था। हम लोग जो कहते हैं कि आप १९ सूत्रीय कार्यक्रम की पूर्ति कीजिये तो विकल जी ने तो कहा था कि हम १९ सूत्रीय कार्यक्रम पर तबतक डटे रहेंगे जब तक कि कांग्रेस सरकार वहां से हट नहीं जाती। तो वह काम तो हो गया। फिर उनकी दृष्टि से हम संविद सरकार से यह आशा करेंगे या उत्तर प्रदेश की जनता इस बात की आशा करे कि १९ सूत्रीय कार्यक्रम की पूर्ति होगी, इस सम्बन्ध में तो उनके नेता ने ही २१ मार्च को कह दिया कि इसकी पूर्ति नहीं होने वाली है। मंत्रिगण भी यहां सदन में कहते हैं और अभी माननीय प्रताप सिंह जी ने कहा कि उसकी पूर्ति के लिये ५ वर्ष का समय दिया जाये, उसका मतलब यह है कि इसकी पूर्ति अभी तो होने वाली नहीं है।...

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

किसने ऐसा कहा है ?

श्री गोविन्द नारायण तिवारी—

आपके नेता विकल जी ने कहा है, २१ मार्च १९६७ की प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लीजिये। मैंने उसे पढ़ कर सुनाया। श्रीमन् उसी दिन माननीय प्रताप सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था उनका मतलब आज के माननीय विरोधी दल से था, उन्होंने यह भी आश्वाशन दिया था कि छटनी नहीं होगी या उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आज मैंने अखबार में पढ़ा कि सात हजार कर्मचारियों को नोटिस भेज चल गये हैं। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये। श्री मन्, एक तरफ तो वहां माननीय मंत्री प्रतापसिंह का यह कहना था कि छटनी नहीं होनी चाहिये और यहां कोआपरेटिव सुपरवाईजरों की, महिला कर्मचारियों की, ओवरसियरों की तमाम छटनी की गई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की कथनी और करनी में कितना अन्तर है। श्री झारखन्डे राय जी ने क्या कहा ? उन्होंने उस तारीख में फरमाया कि हमने सिंचाई की दर को आधा करने की मांग की। यदि वह आधी नहीं हो सकती तो कम से कम चौथाई माफ हो। इसके बाद झारखन्डे राय जी ने सरकरी कर्मचारियों के लिए कहा कि उनका मसला बहुत टेढ़ा है। येन केन प्रकारेण बहाना बना कर या कोई खोज करके नौकरशाही के बहानों के नीचे दब कर सरकार या मुख्य मंत्री झुक कर अपने वायदों को पूरा न कर पायें तो फिर यहां आग लग सकती है। वे इतना तक सदन में कह गये और आगे उन्होंने कहा कि अगर केरल की सरकार, मद्रास की सरकार, बंगाल की सरकार केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता कर सकती है तो यह सरकार क्यों नहीं कर सकती। यह रुपया कहां से आये यह सवाल दूसरा है। जहां इच्छा हो वहां रास्ता भी निकल आता है। आपने फरमाया कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आज राज कर्मचारियों के सौभाग्य से ही कहिये, उस आसन पर आप बैठे हैं। वह इस बात को पूरा करें।

श्रीमन्, जितने उद्धरण हैं वे सब आपके सामने पेश न कर सकूंगा, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं। डिफेक्शंस की बात कही गयी और चौधरी चरण सिंह जी ने गवर्नर के एड्रेस के समय बीस साल पहले हुये डिफेक्शन की बात उठायी थी। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि डिफेक्शन की परिभाषा क्या है इस ओर आप ध्यान दें। उसकी परिभाषा है "टु डेजर्ट ए पार्टी आर ए काज टु स्पाउज एनदर।" आज जो कांग्रेस से डिफेक्ट कर के गये हैं अगर वे संयुक्त विधायक दल में रह कर फिर लौट कर कांग्रेस में आ जाते हैं तो वे डिफेक्टर्स नहीं कहलायेंगे। डिफेक्शन्स केवल वही कहलाये जा सकते हैं जो अपनी पेरेंट पार्टी छोड़ कर जायं। यदि वे अपनी पेरेंट पार्टी में लौट कर आ जाते हैं तो वे डिफेक्शन्स नहीं कहलायेंगे। (व्यवधान) श्रीमन्, मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर भुवनेश जी आना चाहें तो आ सकते हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं। इस मंत्रि मंडल में अविश्वास का एक और बड़ा कारण भी है। इस में ऐसे मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं जो हाथ में जूता लेकर इस सदन में डिमांस्ट्रेट करते हैं। अगर ऐसा मंत्रिमंडल है तो श्रीमन् उससे इस प्रदेश की आठ करोड़ जनता की बदनामी होती है, सारे प्रदेश की बदनामी होती है और सारे हिन्दुस्तान की बदनामी होती है। अगर इस कैबिनेट में ऐसे मिनिस्टर्स हैं तो इस कैबिनेट को उत्तर प्रदेश पर राज्य करने का एक मिनट भी अधिकार नहीं रहता।

*श्री प्रतापनारायण तिवारी (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर जितने भाषण हुए हैं, माननीय नेता विरोधी दल से लेकर माननीय गोविन्द नारायण तिवारी तक, उनसे मुझे ऐसा लगता है कि वह बेचारे स्वयं इस बात को ठीक प्रकार से कहने में समर्थ नहीं हो पाये कि आखिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रताप नारायण तिवारी—]

यह अविश्वास प्रस्ताव किस बात के लिये लाया गया है और यह अविश्वास प्रस्ताव का मंतव्य क्या है। आखिर इस का परिणाम क्या होगा ? मैं इसे गलत समझता हूं लेकिन मान लीजिए कि यदि इसका परिणाम विपरीत भी हो जाय तो इस के कारण प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होंगे और संभव है कि इन मंत्रियों की जगह दूसरे मंत्री हो जायं लेकिन मंत्रियों का अनुपात पूरे सदन में केवल ५ प्रतिशत होता है और ५ प्रतिशत मंत्रियों के लिए, ९५ फीसदी माननीय सदस्यों को अभी ४ महीने के बाद ही चुनाव की भठ्ठी में झोंक दिया जाय, मैं समझता हूं कि इस बात को तो उधर बैठे हुये माननीय सदस्य भी, कवल उनको छोड़कर जिनको गुप्ता जी की थैली से कुछ रुपया मिलने की उम्मीद है, वह भी इस बात को चाहेंगे नहीं और यह प्रस्ताव केवल एक प्रचार मात्र लाया गया है। यद्यपि पिछले दिनों बजट पर सब कुछ कहा जा चुका है।

नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में बड़े जोरदार शब्दों में यह बात साबित करने की कोशिश की कि इस सरकार के द्वारा नामिनेशन्स में बड़ा पक्षपात किया गया है। मैं नेता विरोधी दल को बतलाना चाहता हूं कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री इस हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में पिछले २ साल के इतिहास में नहीं मिलेगा जिसने स्वयं अपने को मुख्य मंत्री बनने के बाद एम० एल०-सी० के लिए नामजद किया हो। मैं चाहूंगा कि अपने भाषण में वह इस बात को स्पष्ट करें कि अपने मुख्य मंत्रित्व काल में उन्होंने नेशनल डिफेंस फण्ड से डेढ़ करोड़ रुपया निकालकर भारत सेवक संस्थान में डाल दिया। उस समय भूतपूर्व प्रधान मंत्री, पं० जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के विरुद्ध यह बात हुई और उन्होंने ११ पत्र विरोधस्वरूप लिखे थे कि उनका यह कार्य उचित नहीं है। उसक बाद भी गुप्ता जी न उस बात को माना नहीं। आज जब नयी सरकार बनी थी तो मैं चाहता हूं कि इस बात को रखा जाय कि मुख्य मंत्री के द्वारा ऐसे ट्रस्टों की जांच करा ली जाय जिसमें लाखों, करोड़ों रुपया अपने मंत्रित्व काल से लेकर मुख्य-मंत्रित्व काल तक किस तरह से कैसे प्राप्त किया है और उसमें सरकार द्वारा क्या सहायता दी गयी है। मैं जानता हूं कि बलरामपुर स्टेट जिसकी कि मोतीमहल इमारत है उसकी कीमत जरूर ५० लाख रुपया होगी। उस इमारत को अपने मंत्रित्व काल में अपने प्रभाव के बल पर गुप्ता जी ने केवल डेढ़ लाख रुपये में प्राप्त किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके मंत्रित्व का कितना अच्छा सदुपयोग यह था, यह स्वयं बताने की कृपा करेंगे। और इतना ही नहीं, मैंने जिस भारत सेवक संस्थान ट्रस्ट का जिक्र किया है उसमें गुप्ता जी ने दो विधायकों को नामजद किया। वह कौन विधायक थे ? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक तो उसमें स्वयं माननीय चन्द्रभानु गुप्त ही थे और दूसरे श्री कैलाश प्रकाश, एम० एल० सी०। ऐसा कौन मंत्री होगा जो स्वयं को ही नामजद कर लेगा। गुप्ता जी ने अपने आप को नामजद किया। हमारे यहां जो भी ८–९ पार्टियों के मंत्री हैं उन सबको कहा गया कि अपने-अपने दलों के लोगों को नामजद किया है। हो सकता है कि इसमें कुछ सत्यांश हो, लेकिन इन मंत्रियों ने अपनी पार्टी के कुशल लोगों को नामजद किया है जिसमें सभी पार्टी के लोग आ जाते हैं। इसका परिणाम यह निकला है कि हर पार्टी के कुशल और ईमानदार लोगों को अवसर मिलता है। यह तो अच्छी बात है। जैसे-जैसे हम एक दूसरे को समझेंगे, एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के लोगों को समझेंगे, अनेकता में एकता आती जायेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अपने ही पार्टियों के लोगों को नहीं, वरन् कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी नामजद किया है। गोंडा की आई० टी० आई० कमेटी में, जहां से संयुक्त विधाक दल के अधिक मात्रा में सदस्य चुन कर आये ह, उनका एक ही सदस्य नामजद किया है और कांग्रेस जो कि विरोधी पक्ष में है प्रभुनारायण सिंह जी ने उनके दो सदस्य नामजद किये। मान्यवर, सूप तो सूप चलनी क्या बोले। माननीय नेता विरोधी दल जिन्होंने मुख्य मंत्री होने के बाद एक ऐसे सज्जन को जिन्होंने कभी फौजदारी का कोई मुकदमा नहीं किया उनको लखीमपुर में सरकारी वकील के पद पर अपने भतीजे को नामजद किया। मैं चाहता हूं कि

इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं और यह बात किसी से छिपी नहीं है। माननीय गुप्ता जी के ऊपर अगर किसी ने कोई आरोप लगाये हैं तो वह उन्हीं की पार्टी के लोगों ने लगाये हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी के कुशल कार्य कर्त्ताओं को नहीं बल्कि अपने गुर्गों को नामजद किया है। एम० एल० सी० की बा ही ले लीजिए। एक सज्जन हैं एल० एन० सरीन उनको माननीय गुप्ता जी ने एम० एल० सी० के लिए नामजद कराया, उनको मैन आफ लेटर्स समझा गया। चूंकि वे अखबारों में बहुत ज्यादा चिट्ठियां लिखते हैं इसलिए उनको मैन आफ लेटर्स समझा। (व्यवधान)

मान्यवर, जो संयुक्त विधायक दल की सरकार है वह कई पार्टियों से मिल कर बनी है और इसको हम स्वीकार करते हैं। हम तो भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं। हमको तो भेद के अन्दर एकता को ढूंढ़ना है। हमने कभी सारे समाज को एक ही विचाराधारा में या एक ही रंग में कभी सपने में भी नहीं देखा। इस मुल्क और प्रदेश की सेवा करने का अधिकार सभी पार्टियों को है। चाहे संसोपा हो, जनसंघ हो, प्रसोपा हो, कम्युनिस्ट हो, रिपब्लिकन हो, तथा जन कांग्रेस हो, सभी को प्रदेश की सेवा करना है। मिल कर काम करना है। हमने मिल कर भारतीय इतिहास में एकता का एक नमूना पेश किया है तीन महीनों के अन्दर। और हमने इस सरकार को सफलतापूर्वक चलाकर यह बात सिद्ध कर दी है कि चाहे हमारे कितनी ही मतभेद क्यों न हों हम एक साथ रह सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के अन्दर राजाओं के शिर मणि, श्री कर्णसिंह जी और ताल्लुकेदारों के शिरोमणि, श्री दिनेशसिंह जी रह सकते हैं और उनके साथ ही साथ श्री चन्द्रजीत यादव रह सकते हैं। उनके साथ ही साथ कृष्णा मेनन रह सकते हैं और कृष्णा मेनन के अपोजिट मोरार जी देसाई रह सकते हैं और बिरला जी के बारे में खोदने वाले श्री चन्द्रशेखर वहां कांग्रेस के अन्दर रह सकते हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मंत्री ऐसे हैं। स्वनामधन्य श्री गोविन्द वल्लभ पन्त के सुपुत्र, श्री के० सी० पन्त जो बिरला के पे-रोल के अन्दर हैं, वे रह सकते हैं। यह सब जो आन्तरिक मतभेद था वह तो एक जगह रह सकता है। एक कहे कि बिरला की जड़ खोदना चाहते हैं और दूसरा कहे कि पे-रोल पर हैं। ये दोनों बातें रह सकती हैं। हमारी जो यह संविद सरकार है जिसमें हमारे डिफरेंसेज जैनुईन हैं जिनको हम छिपाना नहीं चाहते, यद्यपि हमारे विचार अलग-अलग हैं लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है जनता की सेवा करने का, पीपुल्स वर्डिक्ट का आदर करते हुए हमने इस सरकार को चलाया है और आज इस बात का सुबूत है कि इस प्रदेश के अन्दर कितना हमारे प्रति जनमत तैयार हुआ है। यद्यपि हम यह मानने के लिए तैयार हैं कि हम इस प्रदेश की समस्या को पूरी तरह से हल करने में सफल नहीं हुये हैं। कुछ समस्यायें और गंभीर हो गई हैं परन्तु एक आस्था और एक विश्वास इस प्रदेश की जनता के अन्दर इस सरकार के प्रति अवश्य उत्पन्न हो गयी है कि यह सरकार पिछले बीस साल के अन्दर, जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने भी कहा कि जो कीचड़ फैला हुआ था, उसको धोने में सफल होगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से यह कहना चाहता हूं कि यदि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया तो उन्हें भी चुनाव की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। मैं उनसे कहूंगा कि वे अविश्वास के प्रसताव का विरोध करें। मैं इन शब्दों के साथ अपनी पूरी ताकत से इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों हमारे कांग्रेस के एम० पी० श्री खन्ना जी लाबी में बैठे हुये थे तो उन्हें निकाल दिया गया था। आज जनसंघ के एम० पी० श्री ओंकारसिंह जी लाबी में हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप दिखा लें और ऐसी व्यवस्था हो कि एम० पी० लाबी में नहीं बैठ सकता है तो उन्हें बाहर हटा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कोई भी ऐसे सदस्य हों जो इस हाउस के सदस्य नहीं हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि वे यहां न रहें। (व्यवधान)

[श्री प्रताप नारायण तिवारी]

श्री श्रीराम जी ने जो यह प्रश्न उठाया है कि क्या लाबी में संसद् सदस्य रह सकते हैं या नहीं, मैं इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं देना चाहता लेकिन जहां तक मुझको ज्ञान है, मैं यह कह सकता हूं कि संसद् में भी और यहां लाबी में संसद् सदस्य और वहां संसद् में तो ऐसा नहीं है कि वहां की लाबी में जो भूतपूर्व सदस्य भी होते हैं वे भी जा सकते हैं। इसलिये मैं यह कह सकता हूं कि अगर वे हैं तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसमें उनको निकालने की बात पैदा हो। (व्यवधान)

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के नेता ने जो अविश्वास का प्रस्ताव इस सरकार में रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कोई भावना से पूर्ण भाषण दिया जा सकता है लेकिन माननीय प्रभुनारायण सिंह और माननीय प्रताप सिंह जी ने जो भाषण दिये उनको सुन कर मुझे व्यथा हुई और वह इसलिये कि कदाचित उन्होंने केवल यह कहना चाहा कि हम बुरे हैं और वे अच्छे हैं। इसके अतिरिक्त और कोई तर्क उनके भाषण में नहीं था और न कोई तथ्य ही था। मैं इस सदन को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आइये आज हम इस सदन में इस बात को, जनतंत्र के लिये, इस देश के लिये, प्रदेश के लिये और आने वाली पीढ़ियों के लिये निर्णय कर लें।

एक अप्रैल को हमारे बहुत श्रद्धास्पद चौधरी साहब, जिनको मेरे जैसे व्यक्ति श्रद्धा की दृष्टि से देखते रहे हैं, उन्होंने अपने १६ साथियों सहित इस सदन में एक ऐलान किया मैं धृष्टतापूर्वक नहीं, बहुत नम्रतापूर्वक उनको उस ऐलान की याद दिलाता हूं, उन्होंने कहा कि १८ दिन की गुप्ता जी की सरकार में भाव कम नहीं हुए, उन्होंने कहा कि १८ दिन की गुप्ता जी की सरकार में कोई इम्प्रूव्मेंट नहीं हुआ, १८ दिन की गुप्ता जी की सरकार कोई भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पायी, १८ दिन की गुप्ता जी की सरकार में गेहूं का भाव रोज बढ़ता ही जा रहा है। मैं माननीय चरण सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि अब तो भाव बहुत कम हो गये हैं? श्रीमान् चरणसिंह जी साहब आपके राज्य में भ्रष्टाचार तो समाप्त हो गया है? श्रीमन्, मैं उनसे पूछना चाहता हूं और उनको स्मरण दिलाता हूं कि उन्होंने यह कहा था कि ७ दिन में परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। उन्होंने कहा था कि महीने, दो महीने संविद की सरकार को चलने दीजिये, उसके बाद चुनाव के लिये चलेंगे और एक-एक व्यक्ति संविद की सरकार का चुना जायगा लेकिन आज क्या हालत है, मुझे माफ करें चौधरी चरण सिंह जी और उनके गुट के सारे लोग, मैं उनके ऊपर आज आरोप लगाता हूं कि वे आज इस प्रदेश की प्रगति में बाधक हुए हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में होती हुई उन्नति के मार्ग में उन्होंने रोड़ा अटकाया है। मैं उनको चार्ज करता हूं कि जिस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की वे बातें करते थे, राजनैतिक भ्रष्टाचार के रूप में उस भ्रष्टाचार में १०० गुनी वृद्धि हो गई है। मान्यवर, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे जिस प्रकार से सरकार को लेकर बैठे हैं, आज उन्होंने बहुत हृदयहीनता के साथ, इस प्रदेश में जनतंत्र की पीठ में कील ठोंकने का कार्य किया है। जरा सुनें मेरे मित्र, कैसी सरकार वह चलाना चाहते हैं इस प्रदेश में? आपने सुना होगा एक पुराना शेर है कि मोमिन और बिरहमिन साहब बाहर जा कर लड़ा करते हैं और यह मोमिन और बिरहमिन जो बाहर जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं वही मयखाने में जाकर सागर बदल-बदल कर जाम पिया करते हैं। मैं आज चौधरी साहब से कहना चाहता हूं और मैं तो आज उनकी आत्मा को टटोलना चाहता हूं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जनतंत्र के मार्ग में आपने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रोड़ा नहीं अटकाया है? यह सरकार जैसे बनी है क्या यह कभी चल सकेगी? हमारे माननीय झारखंडे राय जी अनेक बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि कांग्रेस में यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुराई रही, वह बुराई रही। मैं उसमें नहीं जाऊंगा लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कांग्रेस में बुराइयां आई हैं उसके फलस्वरूप ही देश में कांग्रेस को इस तरह का बहुमत नहीं मिला जैसा उस समय था जब चौधरी साहब इधर मंत्री थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में जो कमजोरियां आईं आप माफ फरमायें और चौधरी साहब भी मुझे क्षमा करें, मैं किसी अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा लेकिन इतना मैं स्पष्ट कहूंगा कि हमारी कमजोरी, हमारी गलती, हमारे पाप और हमारे अपराध और उस सब के प्रतीक वह हैं जो उधर बैठे हैं। श्री 'बच्चन' हमारे एक बहुत अच्छे हिन्दी कवि हैं और उन्होंने छठी या सातवीं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर कहा था कि :—

"जानते हम आज जो हम हैं, वह हार का इकरार हैं
हम गुलामी की वसीयत को उठाने के लिये मजबूर हैं।"

हम गुलामी की वसीयत को उठाने के लिये मजबूर हैं और मैं उन वसीयतों का जिक्र करूं तो यह भ्रष्टाचार उसकी वसीयत है, यह बढ़ते हुये भाव, यह काला बाजार, यह चोर बाजारी या और जितनी ऐसी चीजों का जिक्र किया जा सके यह सब गुलामी की वसीयत हैं और मुझे माफ फरमायें चौधरी साहब कि उनका कांग्रेस का त्याग कर दूसरी तरफ बैठ जाना मुख्य मन्त्री बन कर यह भी गुलामी की वसीयत ही है . . . .

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे मित्र मुझे बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखते रहे हैं और मैं उम्र में भी उनसे बड़ा हूं इसलिये आप की इजाजत से मैं केवल एक मशवरा उन को दूंगा कि वह इतना गुस्सा न करें क्योंकि उन की तन्दुरुस्ती खराब हो जावे का मुझे अन्देशा है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं चौधरी साहब का बहुत अनुग्रहीत हूं और मैं भी उन्हें एक सलाह देना चाहता हूं और वह यह है कि उनकी तन्दुरुस्ती भी इधर बहुत खराब हो चुकी है, कृपा कर के वह उस पर ज्यादा ध्यान दें, मैं तो अभी बहुत जवान हूं और अभी मेरे पास आयु के बहुत वर्ष शेष हैं लेकिन यदि उनका यही रवैया रहा तो वह मुझे क्षमा करें कि उन की तन्दुरुस्ती पर कहीं कुछ बुरा असर न पड़ जाय। मैं उनको बता दूं कि मैं किसी गुस्से में नहीं बोल रहा हूं मालूम नहीं उन्होंने गुस्सा कैसे मेरा समझ लिया। मैं केवल भावनाओं से वशीभूत हो कर कुछ बातें कह रहा था और सही ही है कि उनको गुस्सा लगेगा क्योंकि वे चीजें उनके मन पर टकराती हैं और उनके उस अपराधी मन पर टकराती हैं जिनके कारण वह उधर जाकर मुख्य मंत्री बने हैं।

(इस समय ३ बज कर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक बात और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं गुलामी की वसीयत का जिक्र कर रहा था और मैंने कहा कि वह भी हमारी गुलामी की वसीयत के प्रतीक हैं। २० साल तक किसी तरह से हम ने कांग्रेस के झंडे के नीचे इस देश में और प्रदेश में जन तन्त्र को चलाया है। यह बड़ा अरसा होता है २० वर्ष का और अगर कोई दल इतने समय तक चलता है तो बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं। उसमें शक्ति के लिये दौड़ लगने लगती हैं और आन्तरिक रूप से कुछ कमजोरियां आने लगती हैं। वे हमारी इन कर्मचारियों के ही प्रतीक हैं। कृपा करके वे इन चीजों पर गम्भीरता से विचार करें।

मैं माननीय चौधरी साहब से यह भी पूछना चाहता हूं कि वे कहा करते थे कि गेहूं ५० रुपये मन बिक रहा है। श्रीमन्, आज मेरे पास आंकड़े हैं। यद्यपि मैं आंकड़ों की दुनिया में नहीं जाया करता लेकिन उनको पेश करने का अब समय आ गया है। १९६४-६५ में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल ४१ रुपये लिखा है और यह लिखा है १९६३-६४ के अन्त में। फिर

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

१९६५-६६ में यानी १९६५ के मार्च के महीने में गेहूं का भाव ८२·२१ रुपये प्रति क्विंटल था। मान्यवर, मार्च के महीने में नयी फसलें आ जाया करती हैं, गेहूं ही नहीं रबी की सभी फसल भी आ जाया करती हैं। उस दौरान में गेहूं और अनाजों के भाव ऐसे हो जाया करते हैं कि जिसमें कुछ लोग खरीद कर अपने जीवन का साधन बनाया करते हैं। १९६६ में, जो आंकड़े मेरे पास हैं, उनके अनुसार मार्च के महीने में ७४ रुपये १८ पैसे प्रति क्विंटल गेहूं का भाव था और आज गेहूं किस भाव से बिक रहा है? क्या माननीय मुख्य मन्त्री इस चीज को अस्वीकार कर सकेंगे कि आज वह १५० रुपया प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। मैं बहुत लम्बी चौड़ी बातें नहीं करता हूं लेकिन आज आप किसी के पास भुना हुआ चना लेने जाइये तो आपको ४ रुपये में एक किलोग्राम मिलेगा, दूध नहीं, चीनी नहीं, गेहूं नहीं तो मैं जानना चाहता हूं कि किस चीज के भाव उन्होंने कम किये हैं। माननीय प्रताप सिंह जी तो इतने आगे बढ़ गये कि यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है, फलां की जिम्मेदारी है लेकिन माननीय चरण सिंह जी तो हमसे १० दिन में ही भाव कम कराने की आशा करते थे। हमारे माननीय सहकारिता मन्त्री ने अभी समय भी पूरा नहीं हुआ, लोगों का नामांकन कर दिया और कई स्थानों पर उस नामांकन को काट चुके हैं। कालागढ़ में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ, कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें लूट और कत्ल नहीं होते हों लेकिन कहा जाता है कि वह चौधरी चरण सिंह जी का राज्य है। वह राज्य जो कि संविद का राज्य है उसके बारे में कहा जाता है कि वह जनता का राज्य है, जनता की आवाज कही जाती है और अगर कांग्रेस की सरकार होती है तो मेरे जैसे कमजोर आदमी की आवाज है।

माननीय झारखंडे राय जी को भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस को समाप्त कर दिया। पाकिस्तान की लड़ाई में ५०० रुपया हमें बाजारों में लगाना पड़ा। ३ वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है, मंहगाई बढ़ रही है और हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना के जितने लक्ष्य थे उनकी पूर्ति हम नहीं कर पाये। आप गलतफहमी में न रहिये या खयाल न कीजिये उनकी सरकार किस चीज की सरकार है और मैं यहां कहना चाहता हूं कि क्या आज इस प्रदेश में कोई जनतंत्र की सरकार काम करती है। कैसा जनतंत्र है जिसमें मंत्री वाक आउट करते हैं और माननीय मुख्य मन्त्री चुपचाप उस पर बैठे रहेंगे और जो एक अभूतपूर्व घटना हुई, जिसको आपने भी स्वीकार किया था, उप मंत्री महोदय वहां से वाक आउट कर के चले गये, एक कांस्टीट्यूएंट पार्टी वहां से वाक आउट कर के चली गयी, एक मंत्री एक बयान दें और चौधरी साहब दूसरा बयान दें। यहां की सरकार के बारे में तो यही काफी है। लेकिन एक बात में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भूलिये नहीं इस देश को इस दल की आवश्यकता है, एक सुसंगठित दल जिसमें किसी दिन अनुशासन था जिसमें डाक्टर सम्पूर्णानन्द जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहा कि यदि पार्टी के चुनाव में दल हार गया तो मैं वहां नेता सदन नहीं रहूंगा और वह नेता सदन नहीं रहे। उस कांग्रेस के पास में वह आत्मा रही जिस की वह प्रतिभा टंगी है और जिस दिन वह समाप्त हुई तो उस व्यक्ति के पास एक लकड़ी की चम्मच और कटोरा मिला। कांग्रेस के पास बहुत से आदमी हैं जिन्होंने रक्त की बूंद दे कर देश की सेवा की। मेरे वे मित्र जिन्होंने केवल दूध पी कर जिस देश की सेवा करने का प्रण लिया उन दूध पीने वालों के दल में और रक्त देने वालों के दल में बहुत अन्तर है। गुप्ता जी का जिक्र जितनी मर्तबा करेंगे, यदि आप यह नहीं समझ पाये कि गुप्ता जी ने उन चीजों का कितना उत्तर दिया है २० वर्ष तक शासन की गद्दी पर बैठ कर तो आपको पता चलेगा कि १ हजार गुप्ता उस समय मौजूद थे। मैं हारा नहीं हूं और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र सुन लें, मेरे मित्र बहुत लम्बी चौड़ी तकरीर कर गये, माननीय कमलापति त्रिपाठी उसका उत्तर दे चुके हैं, यहां पर बराबर डराया जाता है यह कह कर कि मिड टर्म इलेक्शन होगा। मैं कहता हूं कि यहां पर मिडटर्म इलेक्शन नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह उसकी आवाज है जो कि चाहते हैं कि इस प्रदेश में उन लोगों की गद्दियां कायम रहें जो केवल अपौर्चुनिज्म के नाते गद्दियों पर बैठे हैं। आज उन लोगों की गद्दियां कायम

रखना चाहते हैं जिन्होंने केवल गद्दियों के लोभ के कारण, जिन्होंने संसार में सब से बड़ा अनुशासनहीनता और सब से बड़ी हृदयहीनता का काम किया है। आज उन की गद्दियों को मजबूत बनाने के लिये कृपा कर के वह रट न लगायें कि वहां पर मिड टर्म पोल होगा। मैं कह देना चाहता हूं कि समय आ गया है, मैं मांग कर रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह की सरकार को चला जाना चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

मुझे मान्यवर, इस बात का दुख है कि आज जितने भाषण हुए उनमें से केवल मैं विरोध पक्ष के दो सदस्यों के भाषणों को सुन पाया हूं। मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं चला गया था घर और फिर जा कर सो गया और इसलिये कुछ मेरी अनुपस्थिति रही।

जिन दो साथियों ने मेरी उन बातों के उत्तर में कुछ बातें कही हैं मैं उन सब बातों में तो जाना नहीं चाहता लेकिन पहले मैं उन साथी की बातों को लूंगा जो बलरामपुर या गोंडा से आये हैं। उन्होंने बहुत से आरोप लगाये और कहा कि पं० जवाहर लाल नेहरू के कहने के बावजूद मैंने उत्तर प्रदेश में एक डेढ़ करोड़ रुपये का ट्रस्ट कायम कर दिया। यह सही है कि १९६३ में चीन के हमले के बाद सारे देश में और अपने प्रदेश में जगह जगह सिटीजन्स कौंसिल्स की स्थापना हुई उनके तत्वाधान में मैंने चीफ मिनिस्टर्स फंड के लिये प्रदेश में रुपया इकट्ठा किया। वह चीफ मिनिस्टर फंड दो-तीन महीने के बाद एन० डी० फंड में विलीन कर दिया गया और उस तारीख के बाद जितना रुपया चीफ मिनिस्टर्स फंड में इकट्ठा हुआ वह सब एन० डी० एफ० में दे दिया गया। अपने प्रदेश में जहां तक मुझे याद पड़ता है करीब सात करोड़ रुपये इकट्ठे हुए थे और यह रकम भारतवर्ष के सारे प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा थी और इसको इकट्ठा करने में इस प्रदेश की जनता ने भारी मात्रा में हमारा सहयोग किया था। हमारे अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने, सिटीजन्स कौंसिल के सदस्यों ने जगह-जगह बहुत मेहनत के साथ कार्य किया था। इसी समय यहां के जनरल बहादुर सिंह मुझसे मिलने आये थे उन्होंने यह ख्वाहिश प्रकट की कि जो हमारे देश के सिपाही व अफसर लड़ाई में मारे गये हैं उनके घर वालों के लिये हम कोई परमानेंट व्यवस्था करें जिससे फौज में शामिल होने वालों का हौसला बढ़े। उसके लिये कैबिनेट ने विचार किया और क्योंकि इस प्रदेश ने सबसे अधिक रुपया इकट्ठा किया था यह सोच कर कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि डेढ़ करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर फंड से निकाल कर उसका एक ट्रस्ट बना दिया जाय जिसके ट्रस्ट के अध्यक्ष गवर्नर महोदय हों, उपाध्यक्ष चीफ मिनिस्टर हों, चीफ सेक्रेटरी, फायनेंस सेक्रेटरी, इस प्रदेश में जो सब एरिया के लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वह एक्स आफिशो सदस्य रहें। एक फौज का वरिष्ठ अधिकारी चाहे रिटायर्ड हो अथवा नौकरी में हो, एक पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल किये जायं। एक असेम्बली का और एक कौंसिल का अपने कार्य काल तक सदस्य हो। असेम्बली से पहला व्यक्ति जो सिटीजन्स कौंसिल का पहिला अध्यक्ष उस नाते इस ट्रस्ट का सदस्य रक्खा जावे तथा कौंसिल सेसिटीजन्स कौंसिल का पहिला जनरल सेक्रेटरी रक्खा जावे। यह दोनों व्यक्ति निर्धारित समय तक सदस्य के रूप में रहेंगे। वह मुद्दत खत्म हो चुकी है लेकिन मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है और जब तक वह मुद्दत थी मैं उसका मेम्बर रहा। हमारे प्रदेश की सरकार ने और कैबिनेट ने उस पर निर्णय लिया था हम अपने यहां चीफ मिनिस्टर फंड कायम करने में पहल करें और हमने की। नेशनल डिफेंस फंड बाद को बना १ करोड़ ५० लाख की रकम ट्रस्ट में इस शर्त के साथ कि कोरपस कोई खर्च न कर सकेगा ट्रस्ट को दी गई उसका सूद उन सिपाहियों, कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा इत्यादि के लिये, उनके बच्चों की शादी के लिये खर्च किया जाय जिन्होंने चीन की लड़ाई में हिस्सा लिया और मर गये हों या उन संस्थाओं पर व्यय किया जाय जहां रेक्रूटमेंट अधिक से अधिक होता है या जहां वे व्यक्ति जो कि मर गये हैं उनके घर वाले कुछ संस्थायें चलाते हों या उनके लाभ में स्थापित हैं। यह एक ट्रस्ट बना है। यह सही है कि केंद्रीय सरकार चाहती थी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कि ७ करोड़ रुपये जो इकट्ठे हुये हैं वे सब उनको नेशनल डिफेंस फंड में दिये जायं जबकि किसी भी प्रदेश में ५ करोड़ से अधिक रुपया नहीं दिया था। हमारी प्रदेश की सरकार ने और मैं चूंकि मुख्य मंत्री था यदि डेढ़ करोड़ रुपया हमेशा के लिये जब कोई लड़ाई आये और उसमें कोई अधिकारी या सिपाही इत्यादि मरे उसके बच्चों को उससे सहायता दी जाय तो ऐसे कार्य के लिये यदि हमने इस प्रदेश के सिपाहियों का मनोबल ऊंचा करने के लिये किया और यह ट्रस्ट बना दिया तो कोई बुरा कार्य किया है। इसमें मैंने क्या बुरा किया ? मैं नहीं जानता कि कहां से हमारे मित्र को यह भ्रांति पैदा हो गयी कि मैंने कोई बड़ी गलत बात कर दी। यह बात सही है कि पंडित जी का भी पत्र आया था, परन्तु जो चीज प्रदेश के हित की थी और जिसके बारे में सारी कैबिनेट एक मत थी यदि हमने उसमें निर्णय लेकर एक ट्रस्ट बना दिया तो क्या बुरा किया ? क्या ऐसा कर के हमने प्रदेश के उन लोगों को जो लड़ाई में जाते हैं प्रोत्साहन नहीं दिया ? और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इस कार्य का सारे आर्मी सर्किल में बहुत स्वागत किया गया। आप किसी भी आर्मी आफिसर से जाकर पूछिये कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उन सब साथियों ने जो उस सरकार को चलाते थे इस ट्रस्ट को कायम करके उन साथियों के साथ सद्व्यवहार नहीं किया है जो लड़ाई में मारे गये थे तथा आगामी लड़ाइयों में मारे जा सकते हैं मेरे मित्र ने आपत्ति उठायी वह निरर्थक है। मेरे और मेरे साथियों के इस कार्य से प्रदेश का भला हुआ है। वह तो एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसका मंत्री फाइनेंस सेक्रेटरी है जो उसका हिसाब किताब रखता है और राज्यपाल के सत्वावधान में उसका संचालन होता है। फिर यह कौन सा आपत्ति का विषय है ?

एक आपत्ति की गयी कि मोती महल मेरे कार्यकाल में महाराजा बलरामपुर से लिया गया। तो इस में क्या अपराध की बात हो गयी। मैं तो प्रदेश का भिखारी हूं। केवल एक मोती महल ही नहीं बलरामपुर की कोठी भी उनसे मैंने दानस्वरूप मांगी सार्वजनिक कार्यों के लिये और कोई जबरिया से नहीं ली गयी। हमने तो सार्वजनिक इंस्टीट्यूशन्स के लिये उनसे भीख मांगी और उन्होंने हमें बलरामपुर की कोठी भी दे दी। वहां गरीब विद्यार्थियों के लिये एक छात्रावास बन गया। मोतीमहल में रिसर्च स्कालर्स के लिये एक छात्रावास बन गया। एक लाइब्रेरी बना दी गई जहां विद्यार्थियों को सभी तरह का सुभीता प्राप्त है। यदि इस महाराजा ने जिसने अपनी सम्पत्ति बहुत से व्यक्तियों को दे दी है, सार्वजनिक संस्थाओं को दे दी, विश्वविद्यालय को दे दी, मोतीलाल सोसाइटी को दे दी तो इसमें क्या आपत्तिजनक बात है ?

जहां तक मेरे भीख मांगने का विषय है, जब से मैं मंत्री हुआ हूं या मुख्य मंत्री हुआ हूं यानी यह विषय २० साल का नहीं है बल्कि ५ साल से सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक संस्थाओं के लिये मैंने भीख मांगी है। प्रदेश में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां मैंने भीख न मांगी हो और उन संस्थाओं के निर्मित करने में मैंने सहयोग न दिया हो जो सार्वजनिक हित में हों।

गृह उपमंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)—

भीख तो केवल राजा महाराजाओं और पूंजीपतियों से ही मांगते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लेबर लीडर्स, लेबरर्स और किसानों से भी भीख मांगता हूं। पिछले वर्ष भी जो मुझे वर्षगांठ के अवसर पर रुपया मिला है किसानों का ही रुपया है। यह तो आप राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं। आप रूस से पैसा लेते हैं, चीन से पैसा लेते हैं, विदेशों से पैसा लेते हैं। (शेम शेम की आवाजें) यदि हम देशवासियों से पैसा लेते हैं चाहे पैसे वाले हों, गरीब हों, किसान हों या मजदूर हों तो इसमें आपत्ति की कोई

बात नहीं है। मैं उन लोगों को बेकार मानता हूं जो बात ज्यादा करते हैं और एक प्राइमरी स्कूल के निर्मित करने की भी सामर्थ्य सार्वजनिक जीवन में नहीं रखते हैं। यदि आप सार्वजनिक जीवन को उठाना चाहते हैं तो केवल सरकार की तरफ निगाह डालने से नहीं उठा सकते हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थायें नहीं निर्मित हुआ करतीं। सार्वजनिक संस्थाओं के निर्मित करने में तथा उनमें सुधार लाने के लिये त्याग और तपस्या की जरूर होती है। आपने यह पेशा बना रखा है कि हमें यह कह कर बदनाम करें कि हम पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं। हमारी भीख की झोली में हर एक को योगदान देने का अवसर है। इसमें हमें कोई शर्म नहीं आती है। चरणसिंह जी ने अब कार्य शुरू किया है जिसे हम जिन्दगी भर करते रहे हैं। प्रभुनारायण सिंह जी को लेबर लीडर होने के नाते अपने ढंगों से पूंजीपतियों से पैसा मिलता रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सार्वजनिक जीवन में और सार्वजनिक संस्थाओं में रह कर चन्दा नहीं मांगता है। कोई संस्था बिना चन्दा के नहीं चल सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चन्दे का हिसाब नहीं रखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चन्दे का पैसा अपनी जेब में रखते हैं, ऐसे लोग ही ज्यादा चर्चा करते हैं और पूंजीपतियों की चर्चा करते हैं और धर्म की चर्चा करते हैं। आज कल क्या हो रहा है रोजमर्रा इधर से उधर जाते हैं। कौन उनको थैली देता है और कौन लेता है? जितने उधर गये हैं कितनी थैलियों के पीछे गये हैं आज इस तरह की बातें करने से सार्वजनिक जीवन का स्तर गिरता है, उसको नीचे गिराने से बचाना है। जो मखौल बना रखा है उससे दूर हटिये। मैं चैलेंज करता हूं और प्रत्येक सार्वजनिक कार्यकर्ता को जो सार्वजनिक संस्थाओं से संबंध रखते हैं, दावत देता हूं, कि उनमें से कोई भी उन सार्वजनिक संस्थाओं के हिसाब को जिनका मैंने संचालन किया है देख सकता है, आंक सकता है, जांच कर सकता है।

इस तरह की बातें गलत प्रोपेगेन्डा के लिये कही जाती हैं कि वे किसान के घर में पैदा हुये हैं और हम रईस के यहां पैदा हुये हैं। हमें किसानों की परवाह नहीं है, हमें गरीबों की परवाह नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज सैकड़ों विद्यार्थी किस के पास आते हैं? आपके पास आते हैं। आप उनकी मदद करते हैं मैं जानना चाहता हूं कि मेरे नौजवान साथी ने बड़ी भारी घोषणा कर दी, वह है नहीं। उन्होंने कहा कि अब उनको सरकार चलानी है। वह मुख्य मंत्री बनें, प्रधान मंत्री बनें, मुझे खुशी होगी कि आज के नौजवान जो उधर बैठे हुए हैं कल के मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री बनें। वह भार वह संभालें जो भार मेरी पीढ़ी के लोगों ने तीस चालीस साल तक संभाला या मेरे पूर्व की पीढ़ी ने ४०-५० वर्षों तक संभाला। अब वह कार्य वह संभालना चाहते हैं इससे मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन जब वह गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं। मैं नहीं समझता कि बदतमीज शब्द का इस्तेमाल यहां किया जा सकता है, अगर वे बदतमीजी की बातें करते हैं तो मैं अपना अधिकार समझता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सार्वजनिक जीवन में काम किया है, जिसको एक तजुरबा है, जो उनको कुछ सीख दे सकता है, जो कुछ तजुरबा दे सकता है, उनसे कह दूं कि वह गलत रास्ते पर है। जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है यह नार्म फंक्शनिंग है डेमोक्रेसी का। यह अपोजीशन का अधिकार है। उस अधिकार को बरतने में जो बातें कहनी चाहिये हम कहने की चेष्टा करते हैं उनमें अगर कहीं किसी ने ज्यादती की है तो मैं उसका समर्थक नहीं हूं। परन्तु आपकी जो गलतियां हैं हमारा कर्त्तव्य है कि उन भूलों को हम आपके समक्ष और जनता के समक्ष प्रस्तुत करें। कांग्रेस दल विरोधी दल है। आज वह शासन में नहीं है, लेकिन कल, परसों वह शासन में जायेगा अगर उसमें जिन्दगी बाकी रहेगी। इसका कर्त्तव्य है कि आपकी खामियों को, आपकी अवसरवादिता को जनता के सामने रखे। इन कारणों से यह प्रस्ताव किया गया है। यदि उसके रखने से आपकी सरकार जाती है तो आपको इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। यदि उसके रखने से जनता शिक्षित होती है तो उसका स्वागत करना चाहिये। बीस साल के बाद कांग्रेस को अवसर मिला है कि वह अपोजीशन का पार्ट अदा करे। भले ही उसको अपोजीशन में रहने का तजुरबा हासिल न हो, आपने प्राप्त किया है, भले ही वह उन तरीकों को अपना न सके, और अपना भी नहीं सकेगी। जो बीस साल तक शासन में रहने के कारण हमने जिम्मेदारी निभायी है, विकल जो सीख रही हैं जैसा स्वतः वे कहते हैं कि अब

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जिम्मेदारी की बातें करने सोचना लगे है। अगर कोई गैरजिम्मेदारी की बातें करते हैं तो अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करते हैं।

मैं लम्बी चौड़ी बहस में नहीं जाना चाहता। मेडिकल कालेज के लिए कहा गया कि वह डेफिसिट है तरह तरह का करप्शन है। जितने प्रगतिशील इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उनको डेफिसिट से गुजारना पड़ेगा, चाहे वह इंजीनियरिंग कालेज हो या मेडिकल कालेज हो, यह मेरा जिन्दगी का तजुरबा है। इस लिए यह कहना कि वहां ६० लाख का डेफिसिट है, विश्वविद्यालयों में ४०-५० लाख का डेफिसिट हमने पूरा किया, आइन्दा जो सरकार होगी उसे पूरा करने की चेष्टा करेगी। यह कोई कारण नहीं हो सकता कि चूंकि डेफिसिट बढ़ गया है इस लिए ले लें। हर एक शिक्षित व्यक्ति चाहता है कि जो दोष वहां हों उनको मिटाया जाय। वहां प्राइवेट प्रैक्टिस चल रही है, इस लिए भी चालू है कि वहां तनख्वाहें जो देते हैं उन तनख्वाहों के मुकाबले में कम हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है। बजाय उस दिशा में बातचीत करने के आप ऐसा कदम उठाना चाहते हैं कि उस संस्था की प्रगति में बाधक सिद्ध हों। मुझे कोई लखनऊ मेडिकल कालेज से लगाव नहीं है। मैंने चार पांच मेडिकल कालेज निर्मित करने में भाग लिया और उनके बनाने में अगुवाई का भी कार्य किया है। मैं चाहता हूं कि जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों में प्रगति हो। परन्तु उन इंस्टीट्यूशंस में जो सबसे अच्छा कार्य कर सकता है यदि उसके कार्य में बाधा डालना चाहते हैं तो यह कोई बुद्धिमता और दूरदर्शिता की बात नहीं है। और इसलिये जो आपका उत्तर है वह असंतोषजनक है। आप तय कर लें, आप उसको ले लें, लेकिन इससे एक कदम पीछे आप उस संस्था को ले जायेंगे, उसको आगे बढ़ने में रुकावटें खड़ी करेंगे। अब मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि कई मेरे साथी उनके भाषण का जवाब अपने भाषणों में दे चुके हैं। मैं जिन बातों को रखना चाहता था, उन्हें रख दिया।

कुछ बातें कीमतों के बारे में आचार्य जी ने कहीं। एक बहुत बड़ा चार्ज हम पर है, विकल जी ने कहा और भी तमाम लोग कहते हैं, कि मेरे नाम से कीमतें बढ़ती हैं और पगड़ी तेज होती थीं। और शायद मजाक में मैंने कहा भी था कि मालूम पड़ता है कि काले आदमी के नाम से कीमतें ज्यादा बढ़ती हैं और अब शायद खूबसूरत आदमी के आजाने से घटेंगी लेकिन खूबसूरत आदमी के आ जाने से उसे लोगों की ऐसी नजर लग गयी कि कीमतें घटीं तो दूर रहा, वे दुगुनी तिगुनी हो गयीं और जनता इससे त्राहि-त्राहि कर रही है। अब रिक्शा वाले, जिनकी चर्चा चरणसिंह जी करते थे, कहते हैं कि अब चरणसिंह भैया की सरकार कब हटावोगे। तो आज गुप्ता जी चरण सिंह की सरकार को हटाने के ज्यादा हामी नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि इसे और ज्यादा ज्यादती और अनीति और गलत बातें करने का मौका मिले। लेकिन कोई बीच में यदि बात हो जाये तो भी मुझे उससे कोई एतराज नहीं होगा।

यह बात बहुत बार-बार कही जाती है कि यदि चरण सिंह की सरकार न रही तो मिड-टर्म एलेक्शन होगा, आप इस तरह से क्यों जनता को धमकाते हो? चौधरी साहब एलेक्टोरेट का कोई मैनडेट लेकर नहीं आये हैं। प्रदेश में कांग्रेस के लोग ही सबसे बड़ी संख्या में चुनकर आये थे, उसे ही जनता का मैनडेट मिला था और उसने शासन का सूत्र भी संभाला था, लेकिन कोई कांग्रेस छोड़कर चला जाए और मुख्य मंत्री बन जाये तो उसे कभी न तो जनता का मैनडेट प्राप्त है और न उस अधिकार को प्राप्त करने की धृष्टता कर सकता है। इतना ही मैं कह सकता हूं और अधिक नहीं कहना है इतना ही और कहना है कि जिन कमियों और जिन गलतियों की ओर मैंने ध्यान दिलाया है, उन्हें ध्यान में रखकर माननीय सदस्य उस प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे, विभाजन के कार्यक्रम की तैयारी होगी। इसलिये अब आप सदन का समय बढ़ा दें तब तक के लिये जब तक कार्यवाही समाप्ति न हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब इसके पहले कि मुख्य मंत्री बोलें, मैं एक सूचना दे दूं

नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत मेरे पास ४ सूचनायें आयी थीं। मैंने उन सभी को अस्वीकृत कर दिया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, आप सदन का कार्यक्रम भी घोषित कर दीजिये।

मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद--(क्रमागत)

*श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता था कि एक बहुत छोटा भाषण दूं, आवेशरहित शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन माननीय आचार्य लक्ष्मीरमण जी के रोष, रोष क्या बल्कि उनके अफसोस को देखकर और माननीय गुप्ता जी जो अपने भाषण के अंतिम हिस्से में गर्म हो गये तो मुझे कहना पड़ता है, यद्यपि मैं स्पेशल इंगलिश का विद्यार्थी नहीं रहा और इसलिये मैंने न शेक्सपियर को पढ़ा है न मिल्टन को लेकिन किसी का एक वाक्य है जो मुझे इस समय इस सिलसिले में याद आता है और वह यह है "Her ladyship protesteth too much" इसका मतलब यह हुआ कि उसकी सफाई में इतना प्रोटेस्ट करते गये कि उसका मतलब ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि चन्दा तो वह वसूल करते हैं वह सब लोगों से करते हैं। यहां से मेरे एक साथी ने बीच में इंटरेप्शन कर दिया यद्यपि मैंने उन्हें रोका भी था, तो उस सिलसिले में उन्होंने इतनी पैरवी की और इतनी की कि बहुत ज्यादा कर गये और ऐसे स्थल पर आ गये जिसको वह खुद भी डिफेंस नहीं कर सके। खैर, इस वक्त मैं कोई आवेश की बात नहीं कहना चाहता, मेरी कोशिश यह होगी कि बिलकुल इम्परसनल कहूं। मैं किसी मित्र के मुताल्लिक परसनल नहीं कहना चाहता क्योंकि उससे डिबेट का स्तर गिर जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि बिलकुल पोलिटिकल बात कहूं। एक जरा सा जिक्र करना पड़ता है अगरचे मैं उसे ऐवायड करना चाहता था लेकिन मेरे मित्र लक्ष्मीरमण जी का सारा भाषण उसी के ऊपर सीमित था। अब मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आगे के लिये जो हो चुका, सो हो चुका कृपा करके मेरी ज्यादा जिक्र न किया करें। मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा उसकी ज्यादा परवाह न करें। वह केवल पोलिटिकल बात कहें। मेरे ऊपर नाराजी हो जाती है तो उसे हृदय में रखें जरा परसनल हो जाता है और इसलिये मैं परसनल जवाब देने से बचना चाहता हूं। मेरी ट्रेचरी की बात कही जाती है। उसका बहुत जवाब दे चुका हूं लेकिन केवल एक बात जो आज के पायनियर में निकली है कि स्वतंत्र पार्टी के एक मित्र को जो सेंट्रल की कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी है उन्होंने अपने आप में मिला लिया मैं कुछ मेम्बर्स ने एतराज किया कि वे इस्तीफा दे कर लड़कर आते तब उनको मिलाया जाता लेकिन उनको शामिल कर लिया। अब इसके औचित्य अनौचित्य में नहीं जाना चाहता लेकिन यह ट्रेचरी है या नहीं, लेकिन यह सही है कि सन् ५० से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी आर्गनाइजेशन में भी यही होता रहा है, बराबर वह गलत रहा तो या सही रहा हो मैं उसको औचित्य में नहीं जाता लेकिन यह फैक्ट है कि इतनी बड़ी आर्गनाइजेशन जिसकी तरफ हिन्दुस्तान के छोटे छोटे आर्गनाइजेशन्स जो बन पाये थे या बनने जा रहे थे प्रेसीडेंट उदाहरण के लिये देख आर्गनाइजेशन्स जो बन पाये थे या बनने जा रहे थे प्रेसीडेंस उदाहरण के लिये देख रहे तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

उन्होंने क्या दृष्टांत रखा था। तो जो सन् ५० से आजतक करते रहे हैं कम से कम उन्हें तो उलाहना देने का अधिकार नहीं है आज भी लोग उसी चीज को कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल गौतम--

क्या मिनिस्टर बनने के लिये कोई गया था ?

श्री चरण सिंह--

उसके लिये तो मेरे मित्र जो तीन चार लोग उनके पीछे बैठे हैं उन्हीं से पूछ देखें। अध्यक्ष महोदय, आचार्य जी ने कहा कि चरण सिंह जी ने कहा था कि कांग्रेस ने १८ दिन के राज्य में कीमतों को कम नहीं होने दिया और यह शिकायत उनको है कि आज की कीमतें बढ़ी हुई है। कीमतों के मुताल्लिक में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो मेरा प्वाइंट था वह यह था कि दूकानदारों और पब्लिक के हृदय में यह बात थी कि यहां की गवर्नमेंट दूकानदारों पर नियंत्रण नहीं रख सकती। और कांग्रेस गवर्नमेंट जिस सूबे में जाती गयी वहां प्राइसेज कम होती चली गई। मेरे पास वह सब आंकड़े मौजूद हैं २५ फरवरी १९६७ की खबर है कि जब अजय मुकर्जी का जलूस निकला तो इसमें वह है कि:

"Prices of some food articles showed a downward trend on Friday. The price of fine rice sold in the open market fell from Rs.1.75 to Rs.1.62 a kilogram within 24 hours. The coarse variety was sold at Rs.1.55."

इसका मतलब वह है कि कलकता में अजय मुकर्जी के मुख्य मंत्री होने की जब सम्भावना हो गई तो उस समय कीमतें गिर गई। इसी तरीके से उड़ीसा में और पंजाब में भी हुआ। सब जगह यह हुआ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ वह भी निवेदन करना चाहता हूं :

"*Panic on account of soaring prices*—Bareilly, March 3, there is panic in the district on account of soaring prices of food grains. The traders are taking advantage of the present unsettled conditions and hint that food-grain prices may go up to Rs.80 per 40 k.g. The business community point out that they had heavily subsidized the winning candidates during the present election and they were assured that they had nothing to fear. They also added that the present Congress Government could not take any action against them and the next Government would take a long time to settledown and formulate a policy.

वह बरेली की खबर है कि प्राइसेज बढ़ रही है बिजनेस कम्युनिटी यह कहती है कि क्योंकि हमने बहुत रुपया दिया है जीतने वाले उम्मीदवार को बरेली जिले के, लिहाजा हमारे खिलाफ यह गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगी।

Grain prices fall in U.P.—Meerut, March 7—The price of wheat in meerut has come down by Rs. 35 per quintal within 24 hours of the announcement by the opposition M.L.As. that they were in a position to form Government in Uttar Pradesh. The wheat price had come down by Rs.10 per quintal immediately after the defeat of Finance Minister, Kailas Prakash from Meerut, but soon it went up to Rs.180 per quintal following strong rumours that the Congress would form the Government in the State." इसका मतलब यह है कि मेरठ में गेहूं की कीमत ३५ रुपया फी क्विंटल नीचे आगई है इस घोषणा से २४ घन्टे के अन्दर अपोजीशन की मिनिस्ट्री यू०पी० में बनने वाली है। कैलाश प्रकाश, फाइनेंस मिनस्टर के हार जाने के बाद इस खयाल से कि कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बनने वाली है मेरठ में १० रुपया फी क्विन्टल दाम गिर गये लेकिन फिर उसके बाद यह खबर आने के बाद कि कांग्रेस गवर्नमेंट फिर बनने वाली है फिर कीमत १८० रुपया क्विंटल गेहूं की कीमत हो गई। यह खबर भेजने वाला कोई पोलीटिकल आदमी नहीं है और न एस० वी० डी० का मेम्बर है। वह एक कारेस्पाडेन्ट की रिपोर्ट है। वह एक मारकेट इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट है। फिर १६ मार्च के हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर है "Meerut, 15th March—After a fall in the 'prices of food-grains an upward trend has again started within the last 24 hours, prices have gone up by about 15 percent. जब यहां गवर्नमेंट बनी तो प्राइस गिरी

लेकिन फिर बढ़ गई। मेरे मित्र जानना चाहते हैं कि यहां क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय वह आंकड़े मैं पब्लिक रेकार्ड से दे रहा हूं। अब उनको बनारसी दास गौड के पास में भेज दूं या न भेजूं इससे कुछ नहीं होने वाला है हापुड़ में ४ अप्रैल क गेहूं का भाव था १५६ रु० क्विंटल, १८ अप्रैल को १०८ रु०, २ मई को ११४ रु०, १६ मई को ११६ रु०, ३० मई को ११४ रु०, १३ जून को ११५ रु०, २७ जून को १३० रु० और लेटेस्ट १३ जुलाई को १ ८ रु० क्विंटल जबकि २८ मार्च को था १४३ रु० क्विंटल। इस तरीके से यहीं ट्रेंड मेरठ हाथरस और लखनऊ का भी है।

लखनऊ में २८ मार्च को ५५ रु० क्विटल, फिर १४२ रु०, फिर पहली अप्रैल के बाद ११६ रु० फिर १२२ रु०, फिर ११४ रुपये, ११८ रु०, ११८ रु०, ११४ रु० और १८ जुलाई को १३७ रु० क्विंटल गेहूं का भाव रहा।

मेरे कहने का मतल यह था कि जिस तरीके से दूसरे सूबों में गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट बनने से प्राइसेस गिरी उसी तरीके से यू०पी० और दूसरे सूबों में जहां कांग्रेस गवर्नमेंट बनी वहां प्राइसेज गिरी नहीं बल्कि ऊंची हो गईं। उसका आधार मैंने अपको बताया कि बिजनेस कम्यूनिटी को वह विश्वास नहीं था कि कांग्रेस गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट मे जर्स ले सकेगी। जैसे यहां गवर्नमेंट बनी प्राइसेज गिरीं, फिर सवाल होता है कि फिर प्राइसेज क्यों बढीं। उसका कारण यह कि अबकी बार हमारे यहां प्रोडक्शन ११६ लाख टन हुआ। ६४–६५ में १५० लाख टन था ६५–६६ में १३० लाख टन था और ६६–६७ में ११६ लाख टन थ। ये जो प्राइजेज बढी हैं केवल हमारे ही सूबे में नहीं बढ़ी हैं बल्कि सब सूबों में बढ़ी हैं। अगर प्रोडक्शन कम होता है तो प्राइसेज बढ़ेंगी। अगर करेंसी बढ़ जाय और प्रोडक्शन अनुपात में उतना न बढ़े तो प्राइसेज जरूर बढ़ेंगी, ह मोटा सा इकोनामिक उसूल है। और अभी ४०० करोड़ रुपये की करेंसी वहां बढ़ायी गयी है। इस वजह से जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ८७, ८८ चेक पोस्टस हमने कायम किये हैं ताकि इस प्रदेश का प्रोडक्शन बाहर न जाने पाये।

मेरे दोस्त लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने कहा कि दूध की प्राइस नहीं घटी। दूध की प्राइस घट सकती है दूध का प्रोडक्शन बढ़ने से और जानवरों की नस्ल सुधरने से। इस गवर्नमेन्ट को कायम हुये केवल तीन चार महीने हुये हैं और उम्मीद यह की जाती है कि हर चीज की प्राइस घट जायगी और दूध के दाम भी कम हो जायेंगे जब कि एक भैंस या एक गाय दस या ग्यारह महीने में बियाती है। आप शायद उम्मीद यह करते हैं कि इस तरह का जानवर हम पैदा कर दें कि जिस से दूध बढ़ जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना यह कि बहुगुणा जी ने कहा है कि इलाहाबाद में एडवोकेट की नियुक्ति के सिलसिले में बहुत भाई भतीजावाद बरता गया है। फैक्ट्स क्या हैं इसे सुन लीजिये। तीन ला आफिसर्स पहले से मौजूद थे श्री के० एन० सिंह.....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

मुख्य मंत्री जी को मैं अध्यक्ष महोदय आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सभी गवर्नमेंट एडवोकेट्स के बारे में नहीं कहा था। मैंने गवर्नमेंट एडवोकेट की जो पोस्ट होती है उस एक के बारे में कहा था कि बिजनौर के एक वकील की नियुक्ति उस जगह पर कर दी गयी थी नामजदगी करके।

श्री चरणसिंह--

उसके सिलसिले में आपने भाई भतीजावाद की बात कही है। मैं, अध्यक्ष, महोदय, बता दूं कि उसका नाम है श्री ऋषि राम अग्रवाल और अध्यक्ष महोदय, श्री ऋषिराम अग्रवाल जी सरकारी वकील थे बिजनौर के, और जिस वक्त में पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी था उस वक्त मेरी कलम से उनकी नियुक्ति हुई थी। मैंने उनका चरित्र, उन की काबलियत, उनकी तारीफ सुनी और बीस साल का जो मेरा अनुमान था, जो मेरी रीडिंग थी वह मैंने सही पाया और मैंने अपनी कलम से उन का एप्वांइटमेंट किया गवर्नमेंट एडवोकेट इलाहाबाद के पद पर। दो, चार उनकी बहस सुनने के बाद मुझे एडवोकेट जनरल ने यह कहा मैं आपको बधाई देता हूं आपके इस

[श्री चरण सिंह]

सेलेक्शन के लिये। लेकिन साथ ही वह कहा कि मुझ को एक ही बात परेशान कर रही है कि यह व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं रहेगा गवर्नमेंट एडवोकेट। मैंने कहा कि क्यों नहीं रहेगा? तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही हाईकोर्ट के जज के लिये इन को चीफ जस्टिस ले जायेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

मैं इसको पहले ही कह चुका हूं।

श्री चरण सिंह--

मैं भाई भतीजावाद की बात कह रहा हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

यह तो आप के समधी की सिफारिश पर हुआ है। श्री रामगोपाल दास के कहने से हुआ है।

श्री चरणसिंह--

नहीं हुआ है। इसके लिये किसी की सिफारिश नहीं हुई है। पहले भाई भतीजावाद की बात थी, अब समधी की सिफारिश की बात हो गयी। आप बैठिये।

जहां तक कंपनीज का ताल्लुक है, मैं कंपनी वालों से बहुत दूर रहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि कंपनी ला क्या है, उस का एसोशिएशन कैसा होता है और उन का कानून क्या होता है। उनके मैनेजिंग एजेंट कैसे होते हैं और शेयर होल्डर्स कैसे होते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुगुणा जी को गुस्सा जल्दी आ जाता है। वे जवान आदमी हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वे गुस्सा नहीं करेंगे। बात यह है कि मैं एक ही बात करूंगा कि आम तौर पर लोग दूसरों को आंकते हैं अपने चश्मे से। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, नवल किशोर जी ने कहा कि चरणसिंह जो कैदी हैं अपने साथियों के, और दूसरे ही लहजे में उन्होंने कहा कि अपने साथियों की बात नहीं मानते, कालागढ़ के मामले में नहीं मानी तो कौनसी बात सही है? इनकी हर बात मानता हूं या कोई बात नहीं मानता? वाकया यह है कि मैं इनकी बहुत सी बात मानता हूं और वाकया यह भी है कि ये लोग भी कुछ मेरी बातें मानते हैं। मैं इनका कैदी हूं भी और नहीं भी। वैसे हर एक साथी एक दूसरे का कैदी होता है, चाहे कैबिनेट हो, कमेटी हो, कानफरेंस हो, ऐडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो न प्रिजनर हूं न डिक्टेटर हूं।

यह कहा गया कि यू० एल० एफ० चल कैसे रहा है? इतनी डिस्पैरिटीज के होते हुये भी चल रहा है। प्रतापनारायण तिवारी जी भी इस संबंध में बतलाया। जहां इतनी डाइवर्सिटी है वहां कुछ मामलों पर यूनिटी भी है, एक मत भी है और ही मामले आज की सरकमस्टेंसेज में ज्यादा इम्पार्टेंट हैं बनिस्बत उनमें जिनपर डाइवर्सिटी या डिफरेंस आफ ओपीनियन है। मसलन हमारे वहां खेती की पैदावार बढ़नी चाहिये, इसमें किसी पार्टी के दो प्रोग्राम नहीं हो सकते। किसी पार्टी में इख्तलाफ नहीं हो सकता कि पानी, खाद, बीज, इनफेक्टिसाइड, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल रिलीफ, माइनर इरिगेशन का प्रावीजन किया जाय। और यह ऐसा काम है कि जो बरसों-बरसों सब की इनरजीज को ऐबसार्ब कर सकता है। इसी तरीके से स्टेट के प्रशासन में इकोनामी और एफिश्यैंसी भी हो। यह आसान काम नहीं है। इस पर भी सब एक मत हैं। हमारे लोगों की इनकम बढ़े, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, सरप्लस टु दि नीड्स आफ ग्रोअर पैदावार बढ़े। उसके बाद नान-ऐग्रिकल्चरल सेक्टर जो इकोनामी का है वह विकसित हो, कारखाने खुलें, तिजारत बढ़े, ट्रांस्पोर्ट बढ़े, स्कूल बढ़ें, बिजली बढ़े। ये सब चीजें हैं। लेकिन जैसा कि प्रतापनारायण तिवारी जी ने कहा बड़ी बड़ी आर्गेनाइजेशंस में अक्सर डिफरेंसेज होते हैं, वह भी चलते हैं। कांग्रेस में हैं,

लेकिन चलते हैं। यह ठीक है कि उससे प्राब्लम्स पैदा होती है, लेकिन एक कोलीशन गवर्नमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट मुल्क में हो रहा है। इंगलैन्ड में जहां २ बड़ी पार्टियां है उनमें भी कोलीशन हुआ है। धीरे धीरे यहां भी तीन तरह की पार्टियां रह जायंगी। उसमें कुछ कठिनाइयां आयेंगीं यह जरूर है, मैं उससे इन्कार नहीं करूंगा, लेकिन कोलीशन गवर्नमेन्टस का चलना आसान नहीं है यह अर्ज करने के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने जो परसों तकरीर की थी और आज जरा सी बात कही, उसका जिक्र करके कनफाइन करूंगा माननीय गुप्ता जी के प्वाइंटस में। आज एक बात कही इस संस्थान की बाबत। ठीक है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से तो हुआ था नैशनल डिफेंस फंड कायम, और एक था चीफ मिनिस्टर्स फंड। कुछ रुपया उन्होंने लिया उसमें से। यह ठीक है कि अपने लिये नहीं लिया, वह एक फंड कायम हो गया। लेकिन उस फंड का औचित्य कितना था वह इस बात से प्रकट है कि माननीय जवाहरलाल जी ने कई बार लिखा कि वह ठीक नहीं किया। उनकी दलीलें हैं लेकिन यह सही है कि वह रुपया नेशनल डिफेंस फंड में जमा करना चाहिये था अपने नाम से अलहदा फंड में जमा नहीं करना चाहिये था। दूसरी बात वह कि जवाहर लाल जी ने उसको पसन्द नहीं किया.....

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं यह बताना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर्स फंड जो कायम हुआ था वह कैबिनेट की अनुमति से हुआ था और वह नेशनल डिफेन्स फंड के पहले कायम हुआ था।

श्री चरणसिंह--

कैबिनेट की राय से ही हुआ होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो यह मालूम ही नहीं पड़ा कि यह फंड कब बना। चीफ मिनिस्टर ने चाहा फंड कायम हो गया। मुझे यह याद नहीं कि मैं उसमें शामिल था या नहीं। (व्यवधान) चीफ मिनिस्टर की जब खुशी थी तभी तो यह कायम हुआ होगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि चाहे वह केबनेट के फैसले से ही कायम हुआ हो, मगर जवाहर लाल जी ने यह कहा था कि इस फंड का रूपया नेशनल डिफेन्स फंड में आ जाना चाहिये। जो मेरे सामने मित्र बैठे हैं उन्होंने भी शिकायत की थी।

तीसरी बात यह है कि माननीय गुप्ता जी ने अपने आपको नामिनेट कर लिया। पर्सनल कैपेसिटी में उनको अपने आप को नियुक्त नही करना चाहिये था वह चीफ मिनिस्टर को रख सकते थे। पर्सनल कैपेसिटी में नहीं रखना चाहिये था।...

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जो उसको पर्सोनल तय हुआ वह कैबिनेट की राय से हुआ।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष--

आप ५ मिनट में कृपया समाप्त कर दें।

श्री चरण सिंह--

आपसे माननीय कृष्णा नन्द राय ने फरमाया था कि कुछ समय बढ़ा दिया जाये आपने कहा था बाद में देखा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि माननीय नेता सदन ने जो कहा उसमें माननीय नेता विरोधी दल की सहमति होगी (किसी के आपत्ति न करने पर) तो यह निश्चय रहा कि चौधरी साहब के भाषण के बाद जब तक सदन में वोटिंग का कार्य चलता रहेगा, सदन का समय बढ़ा हुआ माना जायगा ।

श्री चरण सिंह—

माननीय गुप्ता जी ने जो भी प्वाइन्टस उठाये वे सारे वही हैं जो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर पर हुई बहस के समय उठाये थे । मैं तो उम्मीद करता था कि कोई और कुसूर मेरा होगा जिसे वे बतलायेंगे क्यों कि उन सब कुसूरों का तो मैं जवाब दे चुका था । लेकिन चूंकि माननीय गुप्ता जी ने वहीं बातें दोहराई हैं, मैं संक्षेप में उनका जिक्र करूंगा । मसलन उनको यह शिकायत थी कि वाराणसी में क्यों नहीं जुडीशियल इन्क्वायरी फार्मिंग की हुई । अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे चुका था । अगर मेरा जवाब काट कर बात कहते तो भी बात थी मेरा जवाब सुन लिया, उनको मौका नहीं मिला तो अब मुझे जवाब देते । मेरी बातों का जवाब उनके पास क्या है । मैंने कहा था कि मैं इस बात के लिये तैयार था कि जुडिशियल इन्क्वारी करा दी जाय । लेकिन जो वीस कौंसिल बनी हुई थी जिसमें श्री प्रकाश और सत्य नारायण सिंह एम० पी० जो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट थे वे लोगों के दस्तखतों के साथ यह बात लेकर आये थे कि जुडिशियल इन्क्वयारी करवाने पर तो दोनों सम्प्रदाओं के जजबात भड़क जायेंगे । पब्लिक हित में यह नहीं होगा मैं इसके बाद और सैकड़ों आदमियों ने दरख्वास्तें दीं और उन्होंने लिखा कि मौके का इन्वस्टीगेशन न किया जाय । दोनों कम्युनिटीज बरबाद हो जायेंगीं, दोनों की खाइयां पटने के बजाय चौड़ी हो जायेंगीं । इसलिये जुडिशयल इन्क्वयारी नहीं कराई गई । और वहां के बुजुर्गों की सिफारिशों को मानकर न जाने कौन सी गलती की है यह मेरी समझ में नहीं आया । मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि माननीय गुप्ता जी जैसे व्यक्ति से कोई बात बारबार दोहराई जाय ।

दूसरी बात गवर्नमेंट सर्वेन्टस के विषय में कही गई । गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस की क्या बात है । गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस का पन्द्रह महीने से मामला चल रहा है । अगर वह मामला तय हो गया तो इसमें क्या बुराई है । आपस की मुखालफत सही है लेकिन मुखालिफ को भी कभी कभी दाद देना सही है अगर कोई काम उससे सही हो जाय । अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हू कि सारी जनता ने, सारे डिसइन्टैरेस्टेड लोगों ने इस बात की प्रशंसा की है कि जो १५ महीने से प्रशासन ठप था, अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही थी वह इस गवर्नमेंट ने आते ही खत्म कर दी । अध्यक्ष महोदय, आज कर्मचारी ठीक वक्त पर आते हैं....

श्री कृष्णानन्द राय—

कोई ठीक वक्त पर नहीं आते.....

श्री चरणसिंह—

सावन और भादों में जो अन्धा हो जाता है उसको हरा ही हरा दीखता है ।

(श्री श्रीराम तिवारी के खड़े होने पर)

श्री चरणसिंह—

मैं माननीय श्रीराम तिवारीजी से दरख्वास्त करता हूं कि वे बारबार खड़े न हों । वे मुझसे उम्र और तजुर्बे में भी छोटे ही हैं और उनका बार-बार बीच में खड़े होकर अव्यवस्था करना, मैं समझता हूं, उनके लिये मुनासिब नहीं है ।

मैं माननीय बहुगुणा और कृष्णानन्द राय जी को इतना अकलमन्द जरूर समझता हूं कि वे दिल में बात कुछ और रखते हैं और जुबान में कुछ रखते हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यानी माननीय गुप्ता जी गलती कर रहे थे जब उन्होंने आप पर विश्वास किया। आपने भी दिल में कुछ रखा और जुबान पर कुछ बात रक्खी और जब मौका देखा तो निकलकर बाहर हुये।

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, लाठी चार्ज हुए, अश्रु गैस हुए, मुकदमे चले, १४४ हुई, मगर मामला हल नहीं हुआ। यहां न अश्रु गैस हुई, न लाठी चार्ज हुआ, न सेक्रेटरियेट में कोई लाठी चार्ज हुआ, और मामला हल हो गया। अगर आपकी गवर्नमेंट में सब कुछ होता रहा तो मुबारकबाद है आपको।

यह कहा गया कि राज्य कर्मचारियों को दबाकर नहीं रखा जा सकता है। माना कि वह पापूलर मूवमेंट है। उनका खयाल है कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस को दबाकर नहीं रख सकी उसी तरह राज्य कर्मचारियों को दबाकर नहीं रखा जा सकता है। वहां अंग्रेजों के राज्य के खिलाफ जनता उठी हुई थी। वह नैशनल स्ट्रगिल थी। उसका मुकबला राज्य कर्मचारियों की मूवमेंट से नहीं हो सकता है। हर आदमी चाहता है कि ज्यादा तनख्वाह हों, ज्यादा मिले लेकिन गवर्नमेंट को अपनी नीड्स भी देखनी पड़ती हैं। कोई गवर्नमेंट किसी आदमी को हमेशा सन्तुष्ट नहीं रख सकती है। कौन दबाकर रखता है? हम उनकी कामन-सैंस की, उनके पैट्रियोटिज्म को, अपील करते हैं और जितना दे सकते हैं उतना दिया। अब उनकी समझ में आ गई है कि बात ठीक है। केवल ८ आदमियों के गिरफ्तार करने से जो उनको गुमराह कर रहे थे, सारा मामला हल हो गया।

कहा गया कि कुमायूं में यूनिवर्सिटी कायम नहीं हुई, तिब्बतवालों के साथ चीनवालों ने अच्छा बर्ताव किया है और अगर यूनिवर्सिटी कायम नहीं हुई और गवर्नमेंट ने कुमायूंवालों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो उन पर एडवर्स एफेक्ट पड़ सकता है। मैंने कल भी उनको बीच में टोकने की गुस्ताखी की थी लेकिन शायद मैं अपने प्वाइंट को समझा नहीं पाया। पहली बात तो यह है कि मैं इसको फैक्ट नहीं मानता हूं कि तिब्बत की पापूलेशन चीन के राज्य से खुश है। चीनियों ने तिब्बत की सारी कल्चर और इकानामी नष्ट कर दी है। लेकिन माननीय गुप्ता जी की इत्तिला है कि नहीं, वहां के लोग बड़े खुश हैं अगर कुमायूं के लोग उनको अपने से कम्पेयर करेंगे तो कहीं उन पर यह असर न पड़ जाय कि अपने देश की सरकार से चीन की सरकार अच्छी है और चीन का अगर आक्रमण हो तो उनकी पावर आफ रैजिस्टैंस कम न हो जाय। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं समझता हूं कि कुमायूं के लोगों की देशभक्ति का इन्सल्ट है, उनका अपमान है। अगर कोई मुखालफि मालदार देश आकर हमारे देश के लोगों को यह कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तुम रैजिस्ट मत करना, और हम आ गये तो तुम्हें मालदार बना दिया जायगा, यह खयाल किसी पब्लिकमैन से आये, इस पर मैं सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर सकता। नैशनेलज्मि या पैट्रियाटिज्म का ताल्लुक रुपये से नहीं है, इकानामिक डवलममेंट से नहीं है। उसका ताल्लुक है उसके दिल से, उसकी जात से, उसके गौरव से, उसके नोशन से। उसका इकानामिक कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय मित्र ने यह कही कि अरे साहब, करप्शन मिटाया जा रहा है, टेरर हो रहा है। माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि टेरर हो रहा है। इस में दो तीन बातें सोचने की हैं। आया इस गवर्नमेंट ने किसी को सस्पेन्ड किया है, या किसी को सजा दी है तो क्या बिला तहकीकात के दी है? क्या केवल शुबहे पर दी है? ऐसा नहीं है। बहुत से केसेज ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टर आफ विजलेन्स ने जब हमने चार्ज लिये उसमें २ महीने से लेकर २६ महीने पहले तक अपनी रिपर्ट भेज दी थी और लिखा था इनलोगों के खिलाफ ऐक्शन लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, शायद उन पर ऐक्शन इसलिये नही लिया गया कि सोचा यह होगा कि अगर ऐक्शन लिया गया तो टेरर

[श्री चरण सिंह]

हो जायगा। मैं इसको टेरर नहीं मानता, फ्रीडम मानता हूं। अगर कोई आदमी गिल्टी करार दिया जाता है और डायरेक्टर आफ विजिलेन्स यह रिपोर्ट देते हैं कि उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय, तो ऐक्शन न लेना जनहित के साथ द्रोह है और उनके खिलाफ ऐक्शन लेना किसी भी प्रकार से टेरर नहीं कहा जा सकता। टेरर वह कौन लोगों के लिये है? जो लोग गलती करते हैं, जो लोग बेइमानी करने की सोचते हैं। गलती करने वालों के लिये जो टेरर है वह अच्छे आदमियों के लिये ईमानदार आदमियों के लिये प्रोत्साहन देने वाले है। गलत काम करनेवालों के लिये, इसलिये अगर टेरर हो तो गलत बात नहीं है टेरर तो केवल उस माने में हो सकता है जब खिलाफ कायदा खिलाफ कानून कोई काम किया जाय, किसी को सजा दी जायें। हां, यह जरूर हुआ कि हमने इस काम में कुछ गर्मी लाई। विजिलेन्स की जब रिपोर्ट आई तो हमने उसमें २-२ वर्ष और २६-२६ महीने नहीं लगाये। बल्कि अगर रिपोर्ट १८ तारीख को आयी है तो २१ तारीख को हमने उसपर आर्डर्स पास कर दिये। और जितनी शिकायतें हमने उनके पास भेजी उनके लिये लिखा कि इनमें जल्दी से जल्दी तहकीकात करके भेजा जाये। क्या इसको टेरर कहा जायेगा ?

मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया था, हाई कोर्ट से हमने दरख्वास्त की थी कि वे अपने यहां एक विजिलेन्स सेल क्या कायम करने के लिये तैयार है। मुझे अत्यन्त खुशी है यह जानकर कि २२ जुलाई को हाई कोर्ट इस बात पर राजी होगया है कि उनके यहां एक विजिलेन्स सेल कायम किया जाय ताकि जुडीशियल आफीसर्स मुंसिफ, जज तथा सर्विस के दूसरे मेम्बरान के खिलाफ और कोई शिकायत हो तो तहकीकात कराई जा सके। अब हम हाईकोर्ट में मातहत अच्छे अच्छे पुलिस आफीसर्स रखेंगे ताकि तहकीकात उनके मातहत कराई जा सके। गवर्नमेंट के नोटिस में अगर कोई शिकायत आती थी तो डायरेक्टली उसके खिलाफ इंक्वायरी कराने के बारे में कठिनाई होती थी। अब उसके द्वारा हाई कोर्ट के पास हम ऐसी ऐजेन्सी रख रहें हैं कि जो उनकी इनक्वायरी करेगी जिनके बारे में ऐसी शिकायत आती है कि वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। जो रेप्युटेशन यू०पी० की न्याय के मामले में, दूसरे आसपास के सूबों में कुछ दिनों पहले थी सारे भारत में उसकी वह प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो जायगी। क्या यह टेरर होगा ? अगर कोई कर्मचारी जुडीशियल सर्विस का मेम्बर रहते हुए पार्शियालिटी करने की बात सोचता है तो विजिलेन्स कमीशन के कायम होने की सुन कर टेरर जरूर महसूस करेगा। अगर यही टेरर है तो इस टेरर की जरूरत है।

मैं ठीक नहीं समझा कि गुप्ता जी का उस समय क्या आशय था जब उन्होंने यह कहा कि रिट्रेंचमेंट ठीक तो है, होना चाहिये लेकिन किसी आदमी को निकाला न जाय जब तक उसको दूसरा रोजगार न मिल जाय। फिर वह रिट्रेन्चमेंट कैसा ? मैं फिर कह देना चाहता हूं कि यह हमारी कोशिश होगी कि इकोनामी करने में कम से कम रिट्रेन्चमेंट हो और दूसरी बात है कि जो कर्मचारी रिट्रेन्च्ड होंगे, उनको हत्तुलइमकान एबजार्ब करने का प्रयत्न किया जायगा लेकिन हम गारन्टी नहीं दे सकते कि सब को ही एबजार्ब कर लिया जायगा।

इसके अलावा और क्या रास्ता है ? कर बढ़ने नहीं चाहिये, खर्च बढ़ना चाहिये। दो ही रास्ते होते हैं साधन बढ़ें और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, कर की वसूली ठीक से हो इवेजन वगैरह न हो और साथ ही जो साधन नहीं उन में इकनामी की जाय। हर गवर्नमेन्ट को खर्च में इकनामी करन होती है, मालदार मुल्कों में भी इकनामी पर निगाह रखी जाती है। इतिहास में ऐसी गवर्नमेंट्स की मिसाल तो हैं कि जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है लेकिन गवर्नमेन्ट खराब चल रही है लेकिन एक मिसाल भी ऐसी नहीं होगी कि किसी सरकार की वित्तीय स्थिति खराब हो और वह सरकार काम अच्छा कर रही हो। ऐसा हो नहीं सकता। इसलिये जरूरत है कि वित्तीय साधनों का ठीक से उपयोग हो और सरकार की नीति हो कि

वह हर चीज में एकानामी की तरफ दृष्टि रखे और इकानामी करने में रिट्रेन्चमेंट भी हो सकता है। वह हुआ है लेकिन बहुत तकलीफ के साथ हम उसे करेंगे और हम इकानामी करने में उससे हटना नहीं चाहते ।

महिलाओं के संबंध में गुप्ता जी की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वह उम्र में मुझसे बड़े हैं और वह जो कुछ कहेंगे उसमें जनहित का ध्यान रखेंगे और उनकी बात से मुझे रोशनी मिलेगी ऐसी मुझे आशा थी लेकिन उन्होंने शायद सोचा कि महिलायें हमसे नाराज हो जांय और उनके रिश्तेदार इस सरकार के खिलाफ हो जायं। लेकिन इससे ज्यादा महिलाओं के साथ और यह गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसा पहले भी कहा था कि हत्तुलइमकान हम सब को ही लगाने की कोशिश करेंगे ? इतनी जगहें थोड़े से ट्रेनिंग के बाद हैं कि हम क्वालिफाई होने वालियों को लगा देंगे। इसके बाद भी फिर क्यों ऐसी बात कही जाय और कोशिश की जाती है कि फास्ट चलते रहें। मैं कहना चाहता हूं हमारा सबका फर्ज है और जो देश क प्यार करते हैं उन बहिनों कों धार क'तें हैं उनका फर्ज है कि ऐसी हवा और फिजा पैदा की जाय कि ऐसी जो गलत बातें होती हैं उनको प्रोत्साहन न मिले, जरासे टेम्पोरेरी एडवान्टेज के लिये माननीय गुप्ता जी ने बिना सोचे ऐसी बात कही उससे मुझे बहुत तकलीफ है ।

डिस्सोलूशन और पब्लिक मेनडेंट की बातें कही गईं, पता नहीं श्री लक्ष्मी रमण जी यहां हैं या नहीं, उन्होंने एक बात उठाई और कहा कि मैं चैलेन्ज करता हूं। उस वक्त मुझे खुशी हो रही थी । जब तक मैंने यह शब्द सुने थे मैंने यह नहीं समझा था, वह यह चैलेन्ज करना चाहते थे हम चुनाव के मैदान में साबित करेंगे कि कौनसी पार्टी पापुलर है लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। उन्होंने कहा कि डिस्सोलूशन नहीं हो सकता। आप कैसे चैलेन्ज करते हैं उनके मिनिस्टर कह रहे थे, गवर्नमेंट आफ इंडिया के डिस्सोलूशन हुआ करता है और हमारे मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि वह करायेंगे, डिस्स लूशन होगा या नहीं होगा, यह दूसरी बात है। लेकिन फिर उसमें चेलेंज की क्या बात थी ?

मैं अब रह-रह कर एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो मुझको कहना नहीं चाहिये थी लेकिन मजबूर होकर कह रहा हूं कि जहां तक एलेक्ट्रेट के वर्डिक्ट की बात है वह तो किसी भी दल को अबके एलेक्शन में नहीं मिला। क्लीयर मेजारिटी में कोई पार्टी आई हो, ऐसी बात नहीं हुई। अफसोस है कि वह कांग्रेस दल को भी नहीं मिला, वह सब से बड़ी पार्टी चुनकर आई लेकिन उसे भी क्लीयर वर्डिक्ट नहीं मिला। अगर कोई विश्लेषण पिछले जनरल एलेक्शन का हो सकता है तो जनता का केवल एक ही वर्डिक्ट मिला है कि अब यहां की कांग्रेसी लीडरशिप को देखकर उसने एलान कर दिया है कि हमारा विश्वास अब कांग्रेस में नहीं रहा है। नेगेटिव वर्डिक्ट केवल इतना ही हुआ है; इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, कल माननीय गुप्ता जी ने कहा कि ट्रांसफर्स होते हैं लेकिन रुक जाते है। ३-३ महीनों में और ६-६ महीनों के ट्रान्सफर होते हैं लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि सारी फाइलों को माननीय गुप्ता जी या और किसी माननीय मित्र के सामने रखने को तैयार हूं और उससे पता चल जायगा कि कितने ट्रांसफर्स उस जमाने में हुए और कैंसिल हुए औ कितने ट्रांसफर इस सरकार के जमाने में हुए और कैंसिल हुए। तब उससे अन्दाजा लग जायगा कि वस्तुस्थिति क्या है और कितने बेजा आर्डर्स कैंसिल हुए। मैं यह मानने में कोई गुरेज नहीं करता हूं कि कुछ ट्रांसफर जरूर ऐसे कैंसिल हुए होंगे, मैं तो कुछ ही करता हूं जो मेरे हुक्म में होते हैं, जो नहीं होने चाहिए थे लेकिन माननीय गुप्ता जी जानते हैं कि जब तरह-तरह की प्लीडिंग होती है तो सरकार को अपने पिछले जजमेंट के खिलाफ भी करना पड़ता है लेकिन जो ट्रांसफर्स कैंसिल किए गये हैं, वे उतने हमने नहीं किए हैं जितने पहले होते आये हैं। एक जगह पर १९ ट्रांस्फर हुए और उनमें से १४ कैंसिल हुए। एक बार, एक सुपरवाइजर का ट्रांसफर हुआ जैसा कि मुझे एक अधिकारी ने बताया, लेकिन जब दूसरे फरीक को पता लगा तो वह टैलीफोन पर ही कैंसिल हुआ। फिर पहले फरीक को पता चला तो दोबारा ट्रांसफर हुआ; और फिर जब दूसरे को पता चला हो फिर कैंसिल हुआ। इस प्रकार की बहुत सी मिसालें आप पायेंगे।

[श्री चरणसिंह]

हमारे माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी ने यह कहा ये जो ट्रांसफर हुए हैं ये डायरैक्टिंग माइंड से या डिसीज्ड माइन्ड से हुए है। "डिसज्डि" के दोनों मतलब हो सकते हैं। एक बीमार और एक खराब। मेरे एक मित्र ने यह कहा कि क्या यह पार्लियामेंन्टरी एक्सप्रेशन है। आपने ठीक ही फरमाया, बहुत अनपार्लियामेंट्री नहीं है। ठीक है, मैं समझता था कि माननीय गुप्ता जी शायद रिट्रेक्ट करें लेकिन उन्होंने नोट कर लिया तो मैंने कहा यह बात सही भी हो सकती है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है और मैं जानता हूं कि मेरे मित्र ने उस आशय को नहीं समझा. उधर के बैठने वालों ने भी उस आशय को नहीं समझा, जब उन्होंने यह कहा कि बात सही भी हो सकती है। कुछ हलकों में तो यह खबर है कि चरण सिंह के दिमाग में बीमारी हो गयी है जिसके कारण वे सिर पकड़े बैठे रहते हैं। मेरे दोस्तों को बलरामपुर हास्पिटल से रिपोर्ट मिली है कि मैं ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं हूं। मुझे अफसोस है और हार्दिक वेदना से कहना चाहता हूं कि अगर राजनीतिक कैल्कुलेशन्स अपने साथियों का करके, अगर ये कैल्कुलेशन्स किये जांय तो सारे प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पब्लिक लाइफ की बदकिस्मती है, मैं कहूं। और क्या कहूं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं माननीय गुप्ता जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं परन्तु मैं उनके पोलिटिकल आइडियाज को गलत समझता हूं। उससे देश को दुःख ही होगा न कि सुख।

श्री अध्यक्ष—

कल इस प्रश्न पर कि वोटिंग की क्या प्रक्रिया हो, मैंने कुछ व्यवस्था दी थी, उस विषय में मुझे यह सूचना देनी है। २५ जुलाई को इस सदन में कुछ घटनायें हुई थीं जब कि वोटिंग की प्रक्रिया जारी हो चुकी थी। वैसी पुनरावृत्ति न हो, इस विचार से कल मैंने घोषणा की थी कि मैं वोटिंग सभा कक्षों में भेज कर नहीं कराऊंगा और वह इसलिये की थी कि इस तरह का हमारे यहां स्पष्ट प्राविधान है कि हम सभा कक्षों में भेज कर भी वोटिंग करा सकते हैं और किसी और रीति का अनुसरण करके भी करा सकते हैं। मैंने उसके बाद एक रीति की घोषणा भी की थी कि कौनसी रीति होगी और मैंने बताया था कि मैं एक बक्स रखवा दूंगा, माननीय सदस्य आयेंगे, उनको छोटे-छोटे कार्ड्स मिल जायेंगे। उस पर 'हां', 'नहीं' लिखा होगा। 'हां', या 'नहीं' काट देंगे, और अपने हस्ताक्षर करके डाल देंगे। मैंने यह समझा था कि ऐसी प्रथा से जो अशोभनीय दृश्य आये थे वे बच जायेंगे और जो मतदान होगा उसकी लिस्ट बन सकेगी, इसलिये वह सर्वथा नियमानुकूल होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने उस पर आपत्ति की, माननीय नेता सदन ने भी की। मैंने उस समय यह विश्वास दिलाया था कि अगर मुझे आश्वस्त कर दिया जाय कि इसमें कोई आपत्ति है, और वह नियमों के विपरीत है, तो मैं उस पर पुनः विचार कर सकता हूं। कल शाम को मेरे कक्ष में माननीय नेता सदन, माननीय न्याय मंत्री और कुछ और मंत्रि मंडल के सदस्य ऐडवोकेट जनरल के साथ आये और उन्होंने कुछ तथ्य मेरे सामने रखे। माननीय बनारसी दास, मुख्य सचेतक कांग्रेस पार्टी, को भी बुला लिया था। माननीय ऐडवोकेट जनरल ने इस बात को तो स्वीकार किया कि हमारी विधान सभा की जो प्रक्रिया नियमावली हैं उसमें इंगलैंड में जो प्रक्रिया है, या लोक सभा में जो प्रक्रिया है, उस से वह बहुत ज्यादा वाइड और व्यापक है और उस के रहते हुए किसी दूसरी रीति से वोटिंग कराना सर्वथा न्यायसंगत है, और जो घोषणा मैंने की थी वह भी नियमों के प्रतिकूल नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने मुझसे साथ ही इस बात पर आग्रह किया और यह परामर्श दिया कि अगर मैं एक बक्से की बजाय दो बक्से रखवा दूं जिन पर 'हां' और 'नहीं' लिखा हो तो एक तो वह जो विभाजन की प्रक्रिया है उसके अधिक से अधिक नजदीक हो जायगी और दूसरी ओर संकेत यह भी किया कि वोटिंग देते समय इस गलती की अधिक सम्भावना है कि 'हां' या 'नहीं' जब लिखा होगा उसमें से एक शब्द जब काटना पड़े तो हो सकता है कि वोट जरा सी गलती से इनवैलिड हो जाय। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य था। जो उनकी रिपोर्ट है उन्होंने इस तथ्य को तो स्वीकार किया

"The British Parliament has stuck to the method of Division into

Lobbies. But the Rule of Uttar Pradesh Vidhan Sabha is wider. 'Vibhajan' has been defined as....."

विभाजन की परिभाषा दी गयी है कि" "विभाजन" का तात्पर्य सदस्यों को सभा कक्षों में भेज कर या अन्य किसी रीति का अनुसरण कर के अभिलिखित मतदान से है"

"It is, therefore, clear that some other method can be adopted instead of sending in to the lobbies."

इससे यह प्रत्यक्ष है कि कोई दूसरी रीति सभा कक्ष में भेजने के अतिरिक्त अपनायी जा सकती है मतदान के लिये। तो मैंने उनका सुझाव पाने के बाद माननीय नेता विरोधी दल से सम्पर्क करने का यत्न किया। मुझे खेद है कि मैं विरोधी दल के नेता को इससे सहमत नहीं करा सका। उनका विचार यह था कि जो मैंने कल घोषणा की है उसके बाद इसमें परिवर्तन करना उचित नहीं है। लेकिन उन सारी बातों को अध्ययन करने के बाद, जिन कठिनाइयों की ओर उन्होंने इंगित किया, उसको समझने के बाद में ऐसा सोचता हूं कि....

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं, श्रीमन्, केवल इतना निवेदन करना चाहता था कि यदि श्रीमन् कोई निर्णय ले सकें, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य हैं कि जो ऐडवोकेट जनरल साहब की राय पढ़ी गयी उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं यदि उनके संबंध में श्रीमन् कुछ विचार कर लें तो उचित होगा, क्योंकि निर्णय लेने के पूर्व में इस मत का हूं कि ऐडवोकेट जनरल की राय न अंतिम है और न तथ्यपूर्ण है। और यदि मुझे २,३ मिनट का समय दें तो कुछ तथ्य आपके सामने रख दूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें। मैं यह कहने ही वाला था कि एडवोकेट जनरल की राय न अन्तिम है न हमारे ऊपर बाध्य है लेकिन संविधान में महाधिवक्ता का कोई स्थान है और उनके मत का कोई मूल्य है। जहां तक कि उनके मत का सवाल है, वह मुझसे पूर्णतया इत्तिफाक करते थे कि मैंने जो घोषणा की थी वह ठीक है, नियमसंगत है लेकिन मैंने उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन किया ताकि जिस गलती की संभावना मैंने बताई उसे दूर किया जा सके। आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं सुन लूंगा। वैसे मैं इस प्रथा का अनुसरण करूंगा। दो बाक्सेज होंगे और उन पर मोटा-मोटा 'हां' और 'न' लिखा होगा। फिर मैं माननीय सदस्यों को क्रमानुसार बुलाऊंगा और वे माननीय सदस्य यहां आयेंगे और जो पर्ची उनको मिलेगी उस पर वे हस्ताक्षर करके उन बक्सों में डाल देंगे। मैं इधर के पक्ष से बात कर चुका हूं। मैं माननीय लक्ष्मी-रमण आचार्य के विचारों को भी सुनूंगा, उनको अवसर दूंगा, लेकिन इस पर विवाद नहीं होगा। मैं इसे करीब-करीब सोच चुका हूं, "अन्तिम निर्णय" अभी नहीं है वह शब्द इसलिये कहना रोक दिया है कि जब आगे कहने का अधिकार मांगा है तो मैं पहले उसे भी सुन लूं और आप आग्रह करेंगे तो मैं सुनूंगा।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं केवल दो चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। श्रीमन् ने एक निर्णय लिया, ठीक है। एडवोकेट जनरल साहब का एक स्थान है और आपने बड़ी कृपा की इस सदन के ऊपर कि उनकी राय आपने सदन के सामने रख दी। मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हमारी और ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रक्रिया नियमावली में बड़ा अन्तर है और यह उस समय से हैं जबकि विधान के संबंध में बहस हुई और उस पर विचार हुआ था संविधान असेम्बली के सामने और वहां पर हमने अपने देश की समस्त परिस्थिति पर विचार करके कुछ चीजें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं हैं उनको एक प्रकार से स्वीकार किया और एक प्रकार से उनको हमने स्वीकार नहीं किया जो कि वहां हैं। मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पृष्ठ ४२२ और ४२४ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कि वहां पर यह सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी की जाती है। पृष्ठ ४२२ में डिवीजन का चैप्टर है। उसमें कुछ लम्बी बातों के साथ डिवीजन्स होते हैं। किस प्रकार से

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

लार्ड्स और कामन्स में डिवीजन्स होते हैं उस सब का जिक्र है। ४२५ पृष्ठ पर है "डिवीजन इन दी कामन्स" में यह निवेदन कर रहा था कि वहां की प्रथा और यहां की प्रथा में बहुत अन्तर है। वहां, ट्रोलीज पार्टी को नहीं मिल पाती हैं तो डिवीजन नहीं हो पाता है। वहां माननीय सदस्यों को हर स्थान पर एक सम्मानीय स्थान प्राप्त है। वहां पर लाबीज में सदस्यगण के हस्ताक्षर नहीं होते; केवल सदस्यगण उसमें से निकलते हैं और उसमें गिनती होती है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने वहां की परम्परा का अनुसरण नहीं किया है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं जानता हूं कि आपने अनुसरण नहीं किया है। यह भी मैं जानता हूं कि हमारी प्रक्रिया नियमावली उससे कहीं ज्यादा अधिक आगे है और उसमें अध्यक्ष महोदय को बहुत से अधिकार दिये गये हैं जो कि शायद वहां पर नहीं हैं क्योंकि वहां प्रक्रिया नियमावली जैसी कोई चीज नहीं है। तो मैं श्रीमन् से निवेदन करता हूं कि आपने बहुत स्वस्थ चीज कल कही थी। एक प्रकार से मैं स्वयं बहुत सुखी नहीं हूं जबकि मैं यह कहता हूं कि हमारे ऊपर एक प्रकार का जब नो-कान्फीडेन्स मोशन आया था १ अप्रैल को जबकि चौधरी चरणसिंह गये थे, मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत शांति से यहां पर लाबीज में लोगों ने हस्ताक्षर किये थे, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज की परिस्थिति बदल गयी। मैं अगर उस पर आंसू बहाऊं तो कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन जो लाबीज की प्रथा है उसमें मेरे मत के अनुसार पहले हां, नहीं कहलाते हैं, उससे निर्णय लेते हैं, फिर हाथ उठवाते हैं उससे निर्णय लेते हैं और अगर हम लाबीज मांगते हैं तो लाबीज से निर्णय लेते हैं। मेरा यह निश्चित मत है कि जब लाबीज में मत विभाजन मांगा जाता है तो उसमें कुछ ऐसी चीज है "इन व्यू आफ दि हाउस" वोट करते हैं। इसका कई बार जिक्र आया लेकिन यहां पर सदस्यगण जब अलग-अलग लाबीज में चले जाते हैं तो इन व्यू आफ दि हाउस नहीं वोट करते हैं। तो लाबीज में जा कर सदस्यगण को किसी प्रकार से अपना मत देने का संरक्षण प्राप्त हो जायगा, यह बात नहीं है। यह भी निहित है कि लाबीज में जाकर सदस्यगण अपने मन के अनुसार वोट कर सकें। यह भी निहित है कि लाबीज में घुसने के बाद कोई सदस्य यदि न चाहे तो वोट न दे और वह चुप अलग बैठा रहे।

श्री अध्यक्ष—

आपका सुझाव क्या है?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं यह कहता हूं कि एक बक्स की प्रथा जो कल श्रीमन् ने इंगित की थी मेरी दृष्टि में वह ठीक थी और वह ऐसा था जिसको माननीय नेता सदन ने किसी समय में स्वीकार कर लिया था। इन परिस्थितियों में मेरा निवेदन है कि एक ही बक्स रहना चाहिये। मैं कोई दोषारोपण नहीं करता, न जाने कितने सदस्यों को कल से आज तक बन्द किया गया है।

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

यह झूठ है। मैं इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस देता हूं।

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)—

कल भी जब आपने सूचना सदन को दी थी विभाजन की प्रणाली की तब भी आपको आशंका थी जरूर। मगर माननीय नेता सदन ने जो शाम को अपनी उदारता का परिचय दिया उससे वह जो आशंकायें आपकी थीं वह निर्मूल हुईं। आज भी मैं समझता हूं, जैसा नेता विरोधी दल ने अभी आश्वासन भी दिया और कहा अपने भाषण में कि यह विरोधी पक्ष का अधिकार है

अविश्वास का प्रस्ताव लाना। हम ला चुके और अपनी आलोचना कर चुके। मैं अपील करता हूं माननीय नेता विरोधी दल से कि अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। यह विभाजन की क्रिया शायद आपको करनी न पड़े। तो पहले ही यह जो आप व्यवस्था कर रहे हैं शायद इसकी आवश्यकता न पड़े।

श्री हुकम सिंह (जिला आगरा)—

यह सुझाव बिलकुल नहीं मानना चाहिये और हाउस का विभाजन होना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

आप को कहने का पूरा अधिकार था और है।

श्री चन्द्रबली—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मत विभाजन के प्रक्रिया का सवाल है, आज आपके द्वारा विभाजन की प्रक्रिया नियमावली के जरिये दो तरीके सामने आये हैं। उनके अलावा कोई तरीका उचित नहीं है क्योंकि मत विभाजन में जो दूसरा तरीका रखा गया है कि दोनों तरफ बक्स हों। उसमें आप के सामने नियमित तौर पर उन बक्सों के सामने कुछ पर्दा डालने को बाध्य करेंगे। सब से उत्तम तरीका वही है जो प्रक्रिया नियमावली में लिखा हुआ है, चाहे छूरी चले चाहे लाठी चले। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि इसमें वह अपना मत डालते समय छिपा सकते थे लेकिन उसको माननीय नेता सदन मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये अर्ज है कि पुराना तरीका ही बरकरार रखा जाय चाहे लाठी चले चाहे छूरी चले।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही बात कहनी है। प्रदेश की ८ करोड़ जनता के भाग्य का फैसला इस प्रस्ताव में होगा और सब सदस्य अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके संबंध में बड़ी कठिनाई आ रही है, जोर दबाव और कुअरशन आ रहे हैं।

श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

यह समझने से मजबूर हूं कि जब विभाजन की मांग नहीं की गई है तो इस पर समय नष्ट क्यों किया जा रहा है। हो सकता है कि यह डिवीजन की मांग करने से पहले ही हार मान जायं।

श्री अध्यक्ष—

जोशी जी, आपकी बात अपनी जगह पर सही है। लेकिन नग्न सत्य देखने में कोई कठिनाई नहीं होती है। मैंने सदन की इच्छा समझने के बाद जो आशंका है उसके लिये क्या प्रक्रिया होगी, यह निश्चित हो जाय। अगर कार्य शुरू कर दूंगा तो फिर इस पर बात नहीं करूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, वैसे तो एक बक्स में ही ठीक होता है। यदि चौधरी साहब जीतते तो हिम्मत के साथ राज्य करते और कहते कि मेरे साथ स्पष्ट बहुमत है लेकिन एक बक्स के ऊपर आपत्ति है और दो बक्स चाहते हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उचित यह है कि यह अच्छा नहीं है। यदि दोनों बक्स ही रखने हैं तो वे आपकी कुर्सी के पीछे रखाये जाने चाहियें और (शोर, शोर)

श्री अध्यक्ष--

अगर यह रफ्तार है कानून को हाथ में लेने की, तो आगे क्या होगा, मैं नहीं जानता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, मुझे इतना ही कहना है कि जो नहीं, नहीं हो रही है उसका मतलब हम जानते हैं कि हर मेम्बर के पीछे ८-१०-१५-२० आदमी लगा दिये गये हैं जो हिटलर की गैस्टेपो की तरह काम कर रहे हैं। उनके दबाव से जोर डाल कर अगर चौधरी साहब जीत भी जायंगे तो उनके लिये शोभा की बात नहीं होगी। प्रजातंत्र का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। चौधरी साहब क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं तो क्लीन वोट भी होना चाहिये और क्लीन वोट एक ही बक्से से हो सकता है।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य और बहुगुणा जी ने....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह हाउस में वोटर तो हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष--

प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं। मैंने उनको अनुमति दी है।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

मान्यवर, मतों के विभाजन के सम्बन्ध में माननीय बहुगुणा जी ने जो सुझाव दिया है कि चेयर के पीछे बक्स रखे जायं, जो भी वोटिंग होना चाहिए विभाजन के सिलसिले में वह बिफोर दि हाउस होना चाहिए और बिफोर दि हाउस होने की प्रक्रिया ब्रिटिश पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में है और उसके सम्बन्ध में श्रीमन् ने भी रूलिंग दे रखी है।

श्री वीरेश्वर त्यागी (जिला मेरठ)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहता हूं। जिस नियम के अन्तर्गत विभाजन की कार्य प्रणाली बतलायी गयी है वह कहता है--"विभाजन" का तात्पर्य सदस्यों को सभा कक्षों में भेज कर या अन्य किसी रीति का अनुसरण करके अभिलिखित मतदान से है। मेरा नम्र निवेदन है कि विभाजन का तात्पर्य सभा कक्षों में भेज कर है और इसे आगे अतिरिक्त बात जो दी गयी है उसके पीछे एक मकसद है और वह यह है कि हमारी विधान सभा के नियम लोक सभा के नियमों से लिये गये हैं। लोक सभा में विभाजन की दो पद्धतियां हैं--एक हाउस को विभाजित करके और दूसरा एलेक्ट्रानिक डेवाइस से राय लेने की पद्धति। मैं आप का ध्यान उस बुनियादी डिवीजन के सिद्धान्त की ओर ले जाना चाहता हूं। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ४२६ पर लिखा हुआ है

"A division that is to say, the separation into two lobbies for the purpose of being counted of the Members who wish to vote for and against a question respectively is the process adopted by both Houses to decide a question."

मेरा निवेदन यह है कि आप के पीछे बक्स रखने की पद्धति के इस बुनियादी सिद्धांत के विपरीत है। डिवीजन का मतलब यह है कि आप सदन का डिवीजन करेंगे। फिजिकल सेपेरेशन आफ मेम्बर्स इज ऐबसोल्युटली नेसेसरी फार डिवीजन। आपकी पद्धति के अनुसार केवल वोटों का विभाजन होगा, सदस्यों का विभाजन नहीं होगा। जब संविधान इस बात की इजाजत देता है, जब किसी नियम के इंटरप्रिटेशन का सवाल हो हाउस आफ कामंस की पद्धति को देखें और विभाजन के मामले में हाउस आफ कामंस की पद्धति साफ है कि सेपेरेशन आफ मेम्बर्स से डिवीजन होना चाहिए।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, माननीय वीरेश्वर त्यागी ने दलील दी कि हाउस आफ कामंस में यह प्रथा है कि लाबीज का डिवीजन होना चाहिये। हाउस का फिजिकल डिवीजन होना चाहिये, मेम्बर्स का नहीं। अगर माननीय त्यागी जानते हों, आज कल मैकेनिकल प्रोसेस बन गया है जिसके अनुसार अब लाबीज की प्रथा समाप्त हो रही है बल्कि यहां से डिवीजन का बटन दबा देते हैं और सामने नम्बर चले आते हैं। तो, श्रीमन्, जो विफर दी हाउस की बात है, उसके विषय में मैं यह चाहता हूं कि जो आप बक्से रख रहे हैं, वे चाहे एक या दो आप चार रखें, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि, चूंकि आप यह भी चाहते हैं कि वोट लिखित हो, यह जो पर्चे देने की प्रथा या प्रणाली है यह ठीक नहीं है, एक माननीय सदस्यों के नामों की लिस्ट हो वे आप के पास आकर उसमें अपने नाम के सामने हां या नहीं लिखते जाएं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बैलट-पेपर किस प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत छापा गया है। आप रजिस्टर पीछे रख लीजिये, डिब्बों की जरूरत नहीं है। एक-एक सदस्य आपके पास जाएं और रजिस्टर पर अपने दस्तखत करता जाए, लेकिन डिब्बों की बात का कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

आप जो भी आदेश देंगे, वह कतई हमें शिरोधार्य होगा। आपने कल एक व्यवस्था दी और आपने साथ में यह भी कहा था कि मेरा जो आदेश है, उसमें यदि कोई कानूनी कमी हो या नियमों की कोई अवहेलना हो, तो ही उस पर पुनः विचार हो सकेगा वरना नहीं। तो आपने अभी स्वयं ही कहा है कि आपने जो व्यवस्था दी थी वह कतई नियमानुकूल थी, जिसकी पुष्टि एडवोकेट जनरल ने कर दी है। तो मेरा एक इम्प्रेशन बना कि उस व्यवस्था पर चूंकि माननीय मुख्य मंत्री को कोई एतराज है, इसीलिये ही उसको अब चेंज करने की बात है, यदि ऐसा ही है तो मुझको उस पर कुछ कहना नहीं है। किन्तु जब, मान्यवर, यह बात है तो आज उस व्यवस्था को बदलने की और उस पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता नहीं है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

मेरी आपसे अब इस बहस को बन्द करने की प्रार्थना है। मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप जो निर्णय दें वह बताएं और इसे बन्द करें।

श्री अध्यक्ष—

सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये। जब भी सदस्य इधर के या उधर के मिले हैं मैं उनसे इस पर विचार करता रहा और कल माननीय नवल किशोर जी ने जो सब से बाद में बात कही, वह मैं सब से पहले कहना चाहता हूं केवल यह कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि उनके मन पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ा। उसके लिये मेरे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन यह जो विवेचना की उसमें मेरा कहना था कि जो स्थिति मेरे सामने आयी थी उसमें कक्षों में जाकर डिवीजन कराना मैं असम्भव समझता हूं।

प्रक्रिया नियमावली में है कि किसी दूसरी नीति का प्रयोग किया जा सकता है, मैंने उसको सोचा और उसकी घोषणा की। मैंने उस को बदला नहीं लेकिन उसमें अगर कोई सुधार की बात आवे, तो यह नीति का कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस बारे में, सुधार के लिये, मेरे सामने दो डिब्बों की बात रखी गयी— एक "हां" का डिब्बा और एक "नहीं" का डिब्बा, चूंकि एक डिब्बा होने से उसमें कुछ गलती और भ्रम होने की सम्भावना थी। इन सारी चीजों को देखते हुये मेरी व्यवस्था यह है, जो आज के लिये ही होगी, कि दो बक्से रखे जायेंगे, उनके लिये परचे मैंने तैयार करवा लिये हैं। माननीय सदस्य जब आएंगे, वे परचे उनको दे दिये जाएंगे, जो कर्मचारी वहां बैठे होंगे वह उनके नाम के आगे

[श्री अध्यक्ष]

ठिक कर लेंगे, जिससे पता चल सके कि अमुक-अमुक सदस्य आ चुके हैं। दो बक्स रखे जाएंगे। एक पर बड़ा-बड़ा "हां" लिखा होगा और दूसरे पर बड़ा-बड़ा "नहीं" लिखा होगा। माननीय सदस्य पर्चे लेकर उन बक्सों में से किसी एक के पास अपना पर्चा लेकर जाएंगे और उसमें से किसी एक में अपनी इच्छानुसार अपना पर्चा छोड़ देंगे। "हां" और "नहीं", यह दो बक्स होंगे उसमें डाल देंगे।

अब माननीय त्यागी जी ने एक शक किया है और माननीय नेकराम जी ने भी। शक उठाने को तो हर माननीय सदस्य को पूर्ण अधिकार है। माननीय त्यागी जी ने विलायत के कांस्टीट्यूशन का जिक्र किया। हमारी आदत विलायती कांस्टीट्यूशन के अनुकरण की हो गयी है। कांस्टीट्यूशन का जिक्र त्यागी जी ने किया कि संविधान में प्राविधान है कि इंगलिश कांस्टीट्यूशन को हम देखें। अगर ऐसा हो तो बड़ी कृपापूर्वक माननीय त्यागी जी मुझे दिखा दें। उसमें यह है कि अगर हमारे यहां की प्रक्रिया नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है तो फिर हम दूसरी देख सकते हैं। पहले लोक सभा की तरफ देखें, और अगर उसमें न हो तब फिर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं और इसलिये कि वह मदर आफ पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी है। हम तब देखते हैं जब हमारे यहां कांस्टीट्यूशन न हो लेकिन हमारे यहां प्राविधान स्पष्ट है। फिर हमारे यहां के कंडीशंस और वहां के कंडीशंस में बहुत अन्तर है। ठीक ही कहा था इस मामले में नेकराम जी ने। अब मैं नेकराम जी की सूचना के लिये यह बता दूं कि हमारे यहां प्रोवाइडेड है जो हमारे नियमावली के संस्करण हैं उसमें, कुछ लफ्जों को कम कर दिया गया है। पहले संस्करण में साफ-तौर से कहा गया था कि विभाजन का तात्पर्य सदस्यों का सभा कक्षों में भेज कर या किसी अन्य रीति का अनुसरण करके जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ओर मतदान करने वाले सदस्यों की सूची बन सके उसको संस्कृताइज करके हिन्दी में अभिलिखित "मतदान" सब्स्टीट्यूट कर लिया गया है। उसकी प्रोसीडिंग्ज से ऐसा पता चलता है। इसमें संशय नहीं रह गया है, और मैं समझता हूं कि हम बिलकुल अपनी जो प्रक्रिया नियमावली में है उसके अन्दर काम कर रहे हैं।

अब मैं नेता सदन से एक बात कह रहा हूं। वे कृपा करके सुनलें। हम इस प्रथा को इस समय की स्थिति के लिये परमावश्यक समझ कर अपना रहे हैं और उसके लिये हम इस सदन के माननीय नेता और माननीय नेता विरोधी दल के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, माननीय नेता सदन पर विशेष रूप से जिससे अब शान्तिपूर्वक मतदान सम्भव हो सके। उसके लिये जब तक मतदान की प्रक्रिया चलती रहे उसमें समय लगेगा, डेढ़ दो घन्टा भी लग सकता है और जितना व्यवधान होगा, उतना समय अधिक भी लग सकता है। तो कृपा कर के जितने भी माननीय सदस्य हैं वे तो अपनी अपनी सीट पर बैठें रहें। मेरे पास अल्फाबेटीकल लिस्ट है उससे मैं सदस्यों का नाम लूंगा। वे आयें और अपने दस्तखत कर के, वोट डाल कर के अपनी सीट पर चले जायं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करूंगा कि आज प्रदेश की जनता देख रही है और दूसरे प्रदेश भी देख रहे हैं। जो यहां हुआ उससे हम काफी क्षुब्ध हैं, आज कृपा करके ऐसा करें जिससे उनकी पुनरावृत्ति न हो और शान्तिपूर्वक कार्य सम्पन्न हो सके। कई माननीय सदस्य हैं एक ही नाम के यद्यपि ऐसा प्राविधान है अगर जिला भी आगे लिख दें जैसे राजबहादुर नाम के चार या अयोध्या प्रसाद जी कई हैं तो वे अपने नाम के आगे जिला भी लिख दें तो सुविधा होगी। वैसे उसको कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री चरण सिंह—

एक बात मैं जानना चाहता था कि जब वहां से परचा मिलेगा तो क्या उसके लिये आप अपनी लिस्ट में टिक मार्क लगायेंगे जिससे कोई दस्तखत फ्लैजीबिल हो गया तो आपको अपनी लिस्ट बनाने में दिक्कत न हो, क्या कोई ऐसा तरीका है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसका प्राविधान कर दिया है।

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से अपने दोस्तों से आपके आदेश के विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि कोशिश यह की जाय कि अत्यन्त शान्तिपूर्वक वातावरण में यह मतदान का कार्य सम्पन्न करने का प्रयत्न किया जाय। जो हमारी कुछ बदनामी परसों हमारी गलती से हो चुकी है उसको अगर हम धोना चाहते हैं तो उसके लिये बहुत आवश्यक है कि शान्त वातावरण में यह कार्य किया जाय। मैं अपने उधर के दोस्तों से भी यह दरख्वास्त करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा यह निवेदन है किलाबी के सब दरवाजे बन्द करा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--

हर प्रकार का प्रबन्ध कर दिया गया है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--

क्या "हां" या "नहीं" लिखा जायगा।

श्री अध्यक्ष--

बिलकुल लिखना नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल--

हिन्दी में हस्ताक्षर किया जायगा या अंग्रेजी में ?

श्री अध्यक्ष--

जिस भाषा में आप चाहते हैं कर सकते हैं लेकिन अच्छा यही है कि साधारणतया जिस भाषा में आप अटेन्डेन्स रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं उसमें ही करें।

प्रश्न यह है कि यह सदन मन्त्रि-मंडल में अपना अविश्वास प्रकट करता है।

(घंटी बजाई गई)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

स्वाभाविक है कि लोगों में कुछ उत्सुकता हो लेकिन हर बात में आप लोग खड़े हो जाते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री श्रीराम तिवारी--

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि ये बक्से आप वहीं ऊपर रखवा दें।

श्री अध्यक्ष--

मेरी समझ में नहीं आता कि इससे क्या फायदा होगा। कृपा करके आप इसको हमारे ऊपर ही छोड़ दें।

श्री श्रीराम तिवारी--

दोनों बक्से एक ही जगह रखवा दें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष--

मुझे एक बात यह कहनी है कि सारे माननीय सदस्य कृपा करके अपनी-अपनी सीट पर बैठें। अगर कोई माननीय सदस्य इस सदन के और मेरे कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति इस सदन में हों तो उनका रहना अनधिकृत और अनुचित होगा। (कुछ क्षण के उपरान्त) मैं समझता हूं कि वे चले गये हैं।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)--

श्रीमन्, एक माननीय मंत्री जी जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, यहां बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

उन्हें रोज-रोज की प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार है। वे बैठ सकते हैं। वोट नहीं दे सकते। आप देखते रहियेगा।

एक बात और है। मेरे पास एक माननीय सदस्य का आग्रह आया कि उनको लघु-शंका की जरुरत है, तो ऐसी चीजों की पूर्ति के लिये यदि किसी को जाना हो उनके लिये ऐसी स्थिति में मैं लाबी में ऐरेंजमेंट करवा रहा हूं।

अब विधान सभा के सचिव नामों का पुकारना शुरू कर रहे हैं।

मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि "हां" या "नहीं" कुछ नहीं लिखना है। केवल उस पर्चे पर अपना हस्ताक्षर कर दें, जिस भाषा में आप चाहते हैं, जिस भाषा में आप करते हैं। जिस पर्चे पर किसी का दस्तखत नहीं होगा वह वोट नहीं माना जायगा।

(इसके पश्चात् माननीय सदस्यों का नाम पुकारा जाना प्रारम्भ हुआ।)

(विभाजन होते समय श्री चन्द्रबली का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रबली--

आपने सारे विश्व की परम्परा को तोड़ कर जनतंत्र का विरोध किया है, उसके विरुद्ध कार्य किया है।

श्री अध्यक्ष--

इस विषय में कल मैं आपको सदन में अवसर दूंगा। और इसके बाद से आपके इस भाषण की रिपोर्टिंग नहीं होगी।

(विभाजन समाप्त होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैं बड़ा आभारी हूं जो शान्ति रही उसके लिये आप सब सदस्यों का। आप कृपा करके थोड़ी देर और शान्ति का वातावरण रखें। मैं दोनों दलों में से केवल व्हिप्स को अनुमति दूंगा, अगर वे आवश्यक समझें तो यहां गिनती के समय आ जायं।

इस विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात् मुख्य मंत्री जी को कल का प्रोग्राम बताना होगा।

(विभाजन की गणना के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष--

वोटिंग का परिणाम इस प्रकार है--

हां--२००

नहीं--२२०।

पक्ष में—२००

अजीत प्रताप, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्र मोहनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उमादत्त, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
कन्हई लाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कालीचरण, श्री
किशन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंग बहादुर राणा, श्री
केशव देव, श्री
खूब सिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जानकी प्रसाद, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव राम, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देशराज सिंह, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री

प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फाबक चिश्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी दास, श्री
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बाबूलाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनी सिंह अवस्थी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मन्नीलाल, श्री
महराम सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुहम्मद महमूद अली खाँ, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खाँ, श्री
मोहनलाल आचार्य, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रफी मुहम्मद खाँ, श्री
रमाकान्त, श्री
राजकिशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राम अंजोर, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम कुमार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति अंचल, श्री
रामरतन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह, श्री
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामायण राय, श्री
रूप नरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शिव गोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री

शिव शंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्री नारायण तिवारी, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सरदार सिंह, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सोहन लाल, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहरबख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीश चन्द्र, श्री
हिम्मत बहादुर, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

विपक्ष में—२२०

अंगने लाल, श्री
अख्तर अली खाँ, श्री
अठई राम, श्री
अनन्त राम, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झाँसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, "राकेश" श्री
अहमदउल्ला खाँ, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदित नारायण, श्री
ऊदल, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
ओम् प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झाँसी)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशुन लाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
केशरी लाल, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाभक्त सिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जितेन्द्र नाथ, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राम, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री

टीकमसिंह, श्री
तिरमलसिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दृगराजसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनराज यादव, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुवकुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
पत्थर राम, श्री
प्यारे लाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदन सिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्री प्रसाद अवस्थी, श्री
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजकिशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचन राम, श्री (वाराणसी)
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
मही लाल, श्री
महेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर
महेश कुमार, श्री
मानसिंह, श्री
मारकंडे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायमसिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (झाँसी)
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री

राम अचल सिंह सेंगर, श्री
राम अधार, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
राम किशोर, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरेश पांडेय, श्री
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसरन सिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामेश्वरसिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
लाखन, श्री
लालकृष्ण कुमार पाल, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
श्याम लाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री
(उपनाम लालो शर्मा वकील)
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
होरी लाल यादव, श्री

नोट—एक मत पत्र हस्ताक्षर अस्पष्ट होने के कारण अवैध घोषित किया गया।

इसमें एक वोट ऐसा निकला जिस पर हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं थे जो गिना नहीं गया। अतः अविश्वास का प्रस्ताव गिर गया।

(व्यवधान के बीच)

न्याय मंत्री (श्री श्याम लाल यादव)—

श्रीमन्, सरकार के पास इस समय कोई कार्य नहीं है, अतः सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिये।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ४० मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:

२७ जुलाई, १९६७।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३८ (२) के तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११पर]

विभाग	पद जो समाप्त किए जा रहे हैं तथा उनकी संख्या		मासिक बचत
१	२	३	४
	पद	संख्या	रु०
नियुक्ति विभाग ..	डाइरेक्टर आफ टूरिज्म ..	१	१०
	कन्ट्रोलर आफ बेट्स और मेजर्स ..	१	..
	विशेष सचिव, परिवार नियोजन ..	१	..
	संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव शाखा ..	१	..
	विशेषाधिकारी (पिटीशन) हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ..	१	..
	डिप्टी सेक्रेटरी, नियोजन एवं कृषि विभाग तथा सचिव, परिवहन सर्वे टीम	१	..
	विशेषाधिकारी, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग ..	१	..
	योग ..	७	१०,९५३
सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग।	स्टोर कीपर-कम-केयर टेकर पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा ..	१	..
	ड्राफ्टसमैन, पुरातत्व विभाग, लखनऊ	१	..
	डिस्पैच क्लर्क	१	..
	स्वीपर	१	..
	योग ..	४	६६३
सामान्य प्रशासन विभाग (पुनस्संगठन)	ओ० एण्ड एम० आफिसर ..	२	..
	ओ० एस० डी० (फार्म) ..	१	..
	कैम्प क्लर्क ओ० एस० डी० (फार्म)	१	..
	ओ० एस० डी० (फार्म) के चपरासी का पद	१	..
	योग ..	५	१,५६८

१	२	३	४
	पद	संख्या	रु०
कृषि विभाग ..	जन संपर्क अधिकारी ..	१	..
	कृषि प्रसार अधिकारी ..	१	..
	सेवक गण	२	..
	शाक भाजी प्रसार अधिकारी ..	१	..
	ज्येष्ठ शाक भाजी निरीक्षक, अधीनस्थ सेवा वर्ग–१	५	..
	सहायक शाक भाजी निरीक्षक, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–३ ..	३२	..
	एकाउन्ट्स लिपिक-कम-स्टोर कीपर	२७	..
	एकाउन्ट्स कामदार ..	३२	..
	माली	५४	..
	अर्दली चपरासी	१	
	योग ..	१५६	२०,३६१
निदेशालय मत्स्य विभाग	ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक ..	५	..
	मछुआ	१०	..
	योग ..	१५	४,२००
पशु पालन विभाग ..	क्लास २ अधिकारी ..	१	..
	फार्म सुपरिंटेंडेंट ..	२	..
	रिसर्च असिस्टेंट ..	१	..
	सहायक संख्या विद ..	१	..
	पशु सेवक ..	३	..
	लैब असिस्टेन्ट ..	१	..
	लिपिक ..	३	..
	इन्यूमरेटर ..	९	..
	कम्प्यूटर ..	५	..
	इन्फीरियर ..	५६	..
	कैटिल सुपरवाइजर ..	६	..
	मास्टर हार्स मैन ..	४	..
	ज्येष्ठ चारा निरीक्षक ..	१	..
	चारा निरीक्षक ..	३	..
	चपरासी ..	५	..
	योग ..	१०१	१२,२८९

विधान सभा उत्तर प्रदेश

१	२		३	४
	पद		संख्या	रु०
सामुदायिक विकास विभाग	ग्राम सेविका	..	१,७५३	..
	सहायक विकास अधिकारी (महिला)		८५४	..
	सहायक विकास अधिकारी (महिला) के चपरासी	..	८५४	..
	प्रवर वर्ग सहायक (मुख्यालय पर)		१	..
	अवर वर्ग सहायक (मुख्यालय पर)		१	..
	योग	..	३४६३	६,३०,१३९
शिक्षा विभाग ..	निर्देशक सैनिक शिक्षा	..	१	..
	कमान्डेन्ट ..	..	१८	..
	क्वार्टर मास्टर ..	..	१	..
	सहायक कमान्डेन्ट ..	..	३६	..
	सहायक क्वार्टर मास्टर	..	१	..
	स्टाफ इन्सट्रक्टर ..	..	२३४	..
	लिपिक ..	..	८८	..
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	..	२२९	..
	सब डिप्टी इन्सपेक्टर्स	..	१७८	..
	सब डिप्टी के चपरासी	..	१७८	..
	योग	..	९६४	१,७१,५४४
हरिजन सहायक विभाग	मुख्यालय—			
	सांख्यिक ..	..	१	..
	प्रगति लिपिक ..	..	२	..
	कनिष्ठ लिपिक ..	..	१	..
	मैसेन्जर ..	..	१	..
	जिला स्तर			
	ज्येष्ठ लिपिक ..	..	५१	..
	मैसेन्जर ..	..	५१	..
	योग	..	१०७	१७,३२५

१	२	३	४
	पद	संख्या	
समाज कल्याण विभाग	क्षेत्रीय सहायक निदेशिका ..	१०	..
	प्रोबेशन आफिसर	६४	..
	मुख्य शिक्षिका	६	..
	सहायक शिक्षिका	१८	..
	वरिष्ठ सहायक	११	..
	कनिष्ठ सहायक	५७	..
	स्टोर कीपर	६	..
	महिला मंगल क्लर्क ..	३३	..
	जिला संयोजिका	१२	..
	ग्राम सेविका	३६१	..
	ड्राइवर	१८	..
	चतुर्थ श्रेणी	११४	..
	स्टेनोग्राफर	१	..
	योग ..	७११	१,०२,७७०
सूचना विभाग ..	सम्पादक 'त्रिपथगा' ..	१	..
	आशुलिपिक	१	..
	चपरासी	१	..
	गीत एवं नाटक अधिकारी ..	१	..
	चपरासी	१	..
	मेल आर्टिस्ट (ग्रेड-१) ..	४	..
	फीमेल आर्टिस्ट (ग्रेड-१) ..	४	..
	मेल आर्टिस्ट (ग्रेड-२) ..	३	..
	स्टेज मैनेजर एवं स्टोर-कीपर ..	१	..
	मेक-अप मैन	१	..
	साउन्ड आपरेटर	१	..
	इलेक्ट्रीशियन	१	..
	स्टोर सहायक	२	.
	जिला सूचना अधिकारी ..	५४	..
	अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी ..	५	..
	क्षेत्र प्रचार लिपिक ..	५४	..
	ड्राइवर	५४	..
	आपरेटर	५४	..
	चौकीदार	५५	..
	पब्लिसिटी असिस्टेंट-कम-प्रोजेक्टर आपरेटर	९५	..

विधान सभा

१	२	३	४
	पद	संख्या	
	चपरासी	५५	
	लाइब्रेरियन	१	
	(गाजीपुर में क्लीनर के पद के एवज में)		
	कल्चरल डेवलपमेंट आर्गनाइजर ..	१	
	योग ..	४५०	१,१६,२६१
चिकित्सा विभाग	सीनियर मेडिकल आफिसर ..	१	..
	फील्ड मेडिकल आफिसर ..	६	..
	सहायक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ..	६	..
	सुपरवाइजर	३६	..
	फील्ड कर्मचारी . ..	१५०	..
	लिपिक	७	..
	ड्राइवर्स	८	..
	चपरासी	७	..
	मेहतर (पार्ट टाइम) ..	१	..
	वितरक	७	..
	योग ..	२२९	४०,७३३
गृह (कारागार) विभाग	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ..	९	९७५
नियोजन विभाग (विकास अन्वेषणालय)	रिसर्च आफिसर ..	१	..
	सीनियर इन्वेस्टीगेटर ..	३	..
	जूनियर इन्वेस्टीगेटर ..	४	..
	कम्प्यूटर	३	..
	स्टेनोग्राफर	१	..
	ड्राइवर	१	..
	चपरासी	२	..
	लेडी डाक्टर	१	..
	अतिरिक्त क्षेत्र अधिकारी ..	१	..
	सहायक विकास अधिकारी ..	१	..
	क्लक-कम-टाइपिस्ट-कम-कशियर ..	१	..
	मोटर चालक-कम-क्लीनर ..	१	..
	चपरासी	३	
	योग ..	२३	४,१००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४
	पद	संख्या	
मूल्यांकन निदेशालय (नियोजन)	ज्येष्ठ मूल्यांकन अधिकारी ..	१	..
	क्षेत्र अनुसंधाता	५	..
	गणक	४	..
	आलेखक	३	..
	आशुलिपिक	३	..
	रिकार्ड कीपर	१	..
	मोटर चालक	१	..
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ..	३	..
	योग ..	२१	८,१६०
पंचायत राज विभाग	पंचायत क्लर्क	३७०	..
	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) ..	४५	..
	योग ..	४१५	९०,१७५
श्रम विभाग ..	मेडिकल आफिसर (एलो०) ..	३	..
	मेडिकल आफिसर (होम्यो०) ..	१	..
	मेडिकल आफिसर (आयुर्वेदिक) ..	३	..
	हितकारी अधीक्षक ..	५	..
	हितकारी सहायक	७	..
	कम्पाउन्डर (एलो०) ..	६	..
	कम्पाउन्डर (होम्यो०) ..	२	..
	कम्पाउन्डर (आयुर्वेदिक) ..	६	..
	म्युजीशियन-कम-कल्चरल आर्गनाइजर	२३	..
	मिडवाइफ	१५	..
	मेड सरवेंट	७	..
	सिलाई शिक्षिका	३	..
	प्यून-कम- चौकीदार ..	१४	..
	स्वच्छकार	७	..
	संचालक (व्यवस्थापक) ..	३	..
	माली	१	..
	प्रौढ़ शिक्षक	६०	..
	संगीतज्ञ (अल्पकालीन) ..	६२	..
	सिलाई शिक्षिका-कम-गृह सहायिका	४	..

१	२	३	४
	पद	संख्या	
	सहायक हितकारी अधीक्षक ..	२	..
	दाई	३	..
	हेल्थ विजिटर	१	..
	सहायक व्यवस्थापक अथवा संचालक	१	..
	उप क्षेत्रीय अधिकारी ..	१	..
	दफ्तरी	१	..
	चपरासी	१	..
	स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट ..	३	..
	सहायक सेवायोजन अधिकारी ..	१	..
	अवर वर्ग सहायक	३	..
	योग ..	२४९	२५,२६०
उद्योग विभाग ..	जिला उद्योग अधिकारी ..	४५	..
	सहायक विकास अधिकारी (उद्योग)	५२८	..
	औद्योगिक सलाहकार (अर्थशास्त्र)	१	..
	औद्योगिक निरीक्षक ..	८६	..
	क्लर्क	११८	..
	चपरासी-चौकीदार	२०२	..
	आशुलिपिक	४	..
	योग ..	९८४	२,६५,६००
राजकीय सीमेंट फैक्टरी, चुर्क, मिर्जापुर	चपरासी तथा अर्दली ..	१४	..
प्रान्तीय वस्त्र नियन्त्रक, उ० प्र०, कानपुर	आशुलिपिक	१	..
	स्टेटिस्टीशियन	१	..
	रिफरेन्स क्लर्क	१	..
	लोवर डिवीजन असिस्टेन्ट ..	१	..
	दफ्तरी	१	..
	चपरासी	१	..
	योग ..	२०	३,१३७

१	२	३	४
	पद	संख्या	
सार्वजनिक निर्माण विभाग	अधीक्षक अभियन्ता	१	..
	स्टैनोग्राफर	१	..
	कम्प्यूटर	२	..
	ड्राफ्ट्समैन	२	..
	हेड असिस्टेंट	१	..
	सीनियर नोटर एन्ड ड्राफ्टर ..	५	..
	जूनियर नोटर ऐंड ड्राफ्टर ..	२	..
	रूटीन क्लर्क	१०	..
	दफ्तरी	१	..
	चपरासी	३	..
	चौकीदार	१	..
	पानी वाला	१	
	मेहतर	१	..
	अधिशासी अभियन्ता ..	१	..
	ओवरसियर (सिविल) ..	१८	..
	ओवरसियर (विद्युत्) ..	१	..
	हेड क्लर्क	१	..
	अपर ग्रेड क्लर्क	८	..
	लोवर ग्रेड क्लर्क	१२	..
	कम्प्यूटर	१	..
	ड्राफ्ट्समैन	२	..
	स्टोर-कीपर	१	..
	दफ्तरी	१	..
	चपरासी	७	..
	चौकीदार	१	..
	पानीवाला	१	..
	मेहतर	१	..
	स्टेनोग्राफर	१	..
	योग ..	८८	२२,५००

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

थाना शिवरतनगंज, जिला रायबरेली, में १५ मार्च, १९६७, से १६ जून, १९६७, तक हुई चोरी के सम्बन्ध में सूचना

कहां और किसके यहां चोरी हुई	की गई कार्यवाही का विवरण
१--टेलीग्राफ तार कटिंग	.. जांच हो रही है।
२--श्री राम स्वरूप मिश्र, विशारद, निवासी सेमरौता	.. लापता रही
३--श्री एस० पी० शाही, बी० डी० ओ०, सिंहपुर	.. ,,
४--श्री सन्त प्रसाद गुप्ता, निवासी इन्हौना	.. ,,
५--श्री रामफेर अहीर, निवासी पूरे संगोई, मजरे रतवलिया	.. ,,
६--श्री विजय बहादुर सिंह, निवासी राजापुर जमौलिया	.. ,,
७--श्री जगन्नाथ प्रसाद अहीर, निवासी पूरे सूबेदार, मजरे कोटवा मुहम्मदाबाद।	,,
८--श्री विपत कोरी, निवासी जगतपुर ..	.. जांच हो रही है।
९--श्री रमाशंकर शुक्ल, निवासी पूरे भिखारी, मजरे इन्हौना	.. न्यायालय के विचाराधीन है।
१०--श्री ननकू अहीर, निवासी पूरे शिवदर्शन सिंह, सेमरौता	.. जांच हो रही है।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ८३ एल० ए०--१९६७--८४६।